सामुदायिक सहभागिता

संदर्शिका सह पठन सामग्री

सरपंचों, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति
तथा प्रेरकों के लिये

सत्र– 2010–11

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन (छ.ग.)

: संरक्षण :

के.आर. पिस्दा (आई.ए.एस.)
मिशन संचालक रा.गाँ.शि. मिशन छ.ग.

~: मार्गदर्शन :~

एन.पी. कौशिक
अतिरिक्त मिशन संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
रा.गाँ.शि.मिशन रायपुर छ.ग.

आशुतो□ा चावरे
संयुक्त संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
रा.गाँ.शि.मिशन रायपुर छ.ग.

--# समन्वय एवं संयोजन #--

चंद्रभू□ण बगरिया
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग.

एच.के. बैस
राज्य परियोजना कार्यालय छ.ग.

=: अकादमिक सहयोग :=

सुनील मिश्रा
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग.

:: लेखन एवं संपादन समूह ::

बेनीराम साहू रविनारायण त्रिपाठी, कु योगिता रानी साहू कु चंचल ठाकुर, श्रीमती ीतल सारथी, प्रदीप कुमार पाण्डेय, सिंहासांता लकड़ा, सीमांचल त्रिपाठी, वाय. लोकेश रेड्डी, संजय कुमार ाह, द्रोण साहू रजनीश मिश्रा, आजाद मोहम्मद अंसारी, मोहन पटेल, दिलीप कुमार सोनवानी, रजनीश सिंह, साकेत कुमार बंजारे, रमेश कुमार तिवारी, गणेश तिवारी, गरूड़ प्रसाद मिश्रा.

—// टंकण एवं ले—आऊट //—

प्रकाश कुमार साहू एवं छोटेलाल यादव

—: प्रकाशक :—

राज्य परियोजना कार्यालय, रा.गाँ.शि.मि. रायपुर छ.ग.

प्राक्कथन

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए अब तक अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयासोंसेसफलता भी मिली परन्तु आज भी बहुत से बच्चे ाला से बाहर हैं। प्रवेश लिये बच्चोंका पूरे समय तक स्कूल मेंठहराव नहीं हो पा रहा है। जो बच्चे स्कूल में दर्ज हैं उन्हेंअच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यदि इनके कारणोंका विश्ले ाण करेंतो पता चलता है कि शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था मेंसमुदाय की सहभागिता यथोचित तरीके से नहीं मिल पा रही है।

इन्हीं सब बातोंको ध्यान मेंरखते हुए राज्य परियोजना कार्यालय, सर्वशिक्षा अभियान ने माइक्रोप्लानिंग कोआधार मानकर, उसके माध्यम से ात–प्रतिशत् समुदाय के सशक्तीकरण करने की ुरूआत की है। प्रदेश के सभी शिक्षकोंएवं नवयुवक साथियोंकी सहायता से ात्–प्रतिशत् गाँवोंकी माइक्रोप्लानिंग हो चुकी है। प्रत्येक गाँव की उपलब्धियोंएवं विशि ट ैक्षिक समस्याओंकी पहचान की जा चुकी है। ाला अप्रवेशी, ाला त्यागी एवं अध्ययन त्यागी बच्चोंको चिन्हांकित कर लिया गया है और उन्हें स्कूल एवं RTC/NRTC के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। समुदाय ,पंचायतीराज संस्था, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति तथा कक्षा मूल्याँकन समिति की महती भूमिका को ध्यान मेंरखते हुए शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था को सुधारने की रणनीति बनाई गई है ।

साथियोंसंदर्शिका मेंशिक्षा के क्षेत्र मेंआ रही रूकावटोंजैसे– लैंगिक असमानता, समावेशी शिक्षा, बच्चोंके स्कूल न आने के कारण, ग्रामीण / ाहरी / नक्सल प्रभावित क्षेत्रोंकी समस्याओंआदि को ध्यान मेंरख कर वि ाय –वस्तु का निर्धारण किया गया है। साथ ही समस्याओंके निदान हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विभिन्न विभागोंसे समन्वय, ैक्षिक योजनाएँ एवं शिक्षा मेंसहभागिता बढाने के लिए उनकी क्षमता विकास की प्रक्रिया को भी ध्यान मेंरखा गया है । प्रशिक्षण को रूचिकर बनाने के लिए ऐसी तकनीकोंका उपयोग किया गया है जिससे प्रतिभागियोंकी सहभागिता बढाई जा सके। समाज मेंव्याप्त शिक्षा के प्रति नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दिशा मेंअग्रसर करने एवं संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया है।

साथियों, यह संदर्शिका मात्र एक प्रशिक्षण सामग्री न होकर एक अभ्यास–पुस्तिका के रूप मेंआपके हाथोंमेंसौंपी जा रही है। आप देखेंगे कि प्रत्येक वि ाय–वस्तु के पश्चात् अभ्यास कार्य के लिए एक स्थान दिया गया है जिसमेंमाइक्रोप्लानिंग की फाइल एवं अपने गाँव की समस्याओंको चिन्हांकित कर उसके लिए कार्ययोजना का निर्माण करेंगे। निर्मित कार्ययोजना की गतिविधियोंको पूरा करेंगे एवं अपने पंचायत व ग्राम को "सशक्त समुदाय और अच्छी शिक्षा" की ओर ले जाकर समग्र विकास करने मेंसक्षम होंगे।

मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी स्कूल के सुचारू संचालन सहित ाला से बाहर बच्चोंका ात्–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के इस महाभियान मेंअपना अमूल्य सहयोग देकर इस राज्य को एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य बनाकर देश के विकास मेंअपना योगदान देंगें।

के.आर. पिस्दा
(भा.प्र.से.)
संचालक राजीव गाँधी शिक्षा मिशन,
रायपुर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका सह समय सारणी

प्रथम दिवस

समय	विवरण	पे.नं.
09.30 – 10.00	पंजीयन	
10.30 – 11.00	उद्घाटन	
11.00 – 12.00	अपने गाँव के माइक्रोप्लानिंग की फाईल पढ़ना और परिचय	
12.00 – 12.10	चायकाल	
12.10 – 01.30	शिक्षा का महत्व	1–5
01.30 – 02.30	भोजन अवकाश	
02.30 – 03.30	बच्चों के स्कूल न आने के कारण एवं बच्चे, शिक्षक, पालक, समुदाय, विद्यालय की समस्याएँ	6–9
03.30 – 04.30	स्कूल की शैक्षिक गतिविधियाँ	10–14
04.30 – 04.40	चायकाल	
04.40 – 06.30	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य, उद्देश्य एवं योजनाओं की जानकारी	15–17
06.30 – 07.30	दीर्घ विश्राम	
07.30 – 08.30	दिनभर की गतिविधियों की समीक्षा एवं प्रश्नोत्तर	

द्वितीय दिवस

08.30 – 09.00	नाश्ता	
09.00 – 09.30	डायरी वाचन	
09.30 – 10.00	पूर्व दिवस का विवरण	
10.00 – 11.30	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धाराएँ	18–25
11.30 – 12.00	बालिका शिक्षा	26–30
12.00 – 12.10	चायकाल	
12.10 – 12.40	समावेशी शिक्षा	31–32
12.40 – 01.10	अनुदान राशियों एवं व्यय की जानकारी	33–35
01.10 – 02.00	ाला विकास एवं प्रबंधन समिति, कक्षा मूल्याँकन समिति एवं शिक्षा विकास समिति के कार्य	36–39
02.00 – 03.00	भोजनावकाश	
03.00 – 03.30	मध्यान्ह भोजन के गुणवत्तायुक्त संचालन की जानकारी देना।	40–43
03.30 – 04.00	निर्माण कार्य, स्कूल के संचालन एवं ाला विकास योजना बनाने में पंचायत की भूमिका	44–53
04.00 – 04.10	चायकाल	

04.10 – 05.00	ग्राम पंचायत एवं शिक्षा का अधिकार	54–57
05.00 – 06.00	6–14 उम्र के बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिए क्या कर सकते हैं?	58–59
06.00 – 06.30	शहरी / ग्रामीण / नक्सली / दूरस्थ अंचल, रेड अलर्ट क्षेत्र के बच्चों के लिए योजनाएँ	60–68
06.30 – 07.30	दीर्घ अवकाश	
07.30 – 08.30	दिनभर की गतिविधियों की समीक्षा एवं प्रश्नोत्तर	

तृतीय दिवस

08.30 – 09.00	नाश्ता	
09.00 – 10.00	गीत, डायरी वाचन तथा समीक्षा	
10.00 – 10.30	बाल मनोविज्ञान	69–71
10.30 – 12.00	शैक्षिक गुणवत्ता विकास के लिए शैक्षिक प्रक्रियाएँ	72–80
12.00 – 12.10	चायकाल	
12.10 – 12.50	मूल्यांकन कैसे करें?	81–83
12.50 – 01.30	बच्चों के समस्याओं को पालकों के साथ मिलकर कैसे दूर करें?	84–87
01.30 – 02.30	भोजनावकाश	
02.30 – 03.00	अन्य विभागों से समन्वय कैसे करें?	88–93
03.00 – 03.30	शैक्षिक गतिविधियों में ग्राम पंचायत, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति, कक्षा मूल्यांकन समिति की भूमिकाएँ	94–96
03.30 – 04.00	आदर्श बच्चे, विद्यालय, शिक्षक, सरपंच, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति, कक्षा मूल्यांकन समिति एवं शिक्षा विकास समिति के मापदण्ड	97–103
04.00 – 04.30	वार्षिक कैलेण्डर	104–105
04.30 – 05.00	समापन	
	परिशिष्ट	106–110

.....00.....

शिक्षा का महत्व

I) उद्देश्यः—

(1) प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा की अनिवार्यता से सरपंचों को अवगत कराना।

(2) शिक्षा के महत्व को बताना।

(3) शिक्षा के प्रति सरपंचों में समझ विकसित करना।

(4) शिक्षा के प्रति सरपंचों को संवेदनशील बनाना।

(5) सरपंच एवं समुदाय को शिक्षा की मूल समस्याओं से अवगत कराना एवं निदान हेतु प्रेरित करना।

II) आवश्यक सामग्रीः—

व्हाईट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, ड्राईंग शीट, स्केच पेन, पाँच बॉटल एवं काले कपड़े की पाँच पट्टियाँ आदि।

III) विधिः— प्रश्नोत्तर एवं चर्चा विधि।

IV) वातावरण निर्माणः— खेलः— पाँच बॉटल वाला खेल।

प्रशिक्षक 3—4 प्रतिभागियों के आँखों में पट्टी बाँधेंगे।

बॉटल को तीन बार पार करना है।

1. पहले चरण में पाँचों बॉटल को पार करेंगे।
2. दूसरे चरण में प्रशिक्षक धीरे से पीछे के चार बॉटल हटा देंगे और प्रतिभागियों को उसे पार करने को कहेंगे।
3. तीसरे चरण में प्रशिक्षक सभी बॉटलों को हटा देंगे और प्रतिभागियों को उसे पार करने को कहा जायेगा।

निर्देशः— तीनों चरणों के पूर्ण होने तक प्रतिभागियों के आँखों में पट्टियाँ बँधी रहेंगी। साथ ही ो ा प्रतिभागी खेल समाप्त होते तक ांति बनाए रखेंगे।

⇨ प्रशिक्षक, प्रतिभागियों से यह नि क ा निकलवाएँ कि शिक्षित व्यक्ति तर्क करके अपना रास्ता चुनता है। किन्तु अशिक्षित व्यक्ति बिना सोच—विचार के कार्य करता रहता है।

V) चर्चा के बिन्दुः—

प्रशिक्षक सरपंच / समुदाय से पूछेंगे कि—

प्रश्न :— शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में क्या—क्या अंतर होता है?

(प्रतिभागियों से आने वाले उत्तरों को प्रशिक्षक ड्राईंग शीट पर नोट करेंगे।

— संभावित उत्तर —

शिक्षित	अशिक्षित
1) साफ—सफाई का ध्यान रखते है।	1) सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता।
2) कृ ा कार्य में नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं।	2) परम्परागत तरीके से कृ ा करते हैं।
3) वर्तमान, भूत और भवि य के बारे में समझकर कार्य करते हैं।	3) वर्तमान की चिंता रहती है भवि य के बारे में नहीं सोच पाते।
4) आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हैं।	4) आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं।
5) आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं।	5) आत्म विश्वास कम होता है।

6) बहुत सारी जानकारियाँ होती है।	6) जानकारियों का अभाव होता है।
7) बाहरी दुनिया से संपर्क होता है।	7) बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं होता है।
8) जल्दी अनुकरण करते हैं।	8) जल्दी अनुकरण नहीं कर पाते।
9) योजनाओं का लाभ उठाते हैं।	9) इन्हें योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती।
10) समय के महत्व को समझते हैं।	10) समय के महत्व को नहीं समझते।
11) अन्ध विश्वास से मुक्त होते हैं।	11) अन्ध विश्वासी व रूढ़िवादी होते हैं।
12) आधुनिक विचारधारा के होते हैं।	12) पारम्परिक सोच वाले होते हैं।
13) अखबार, पुस्तक आदि पढ़कर समझ सकते है।	13) नहीं पढ़ सकते।
14) अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं।	14) बच्चे सही तरीके से पढ़ पा रहे है या नहीं यह नहीं जान सकते।
15) शिक्षित व्यक्ति अपने बच्चों के भवि य के वि ाय में दूरगामी सोच रखते हैं।	15) ये अपने बच्चों के भवि य के प्रति सजग नहीं होते।
16) निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।	16) निर्णय लेने के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं।
17) अपने बच्चों के प्रगति कार्ड पढ़कर समझ सकते हैं।	17) नहीं पढ़ सकते हैं।

– केस स्टडी –

घुटुरकुण्डी नामक गाँव में एक विद्यालय है। गाँव के बच्चे शाला में पढ़ने जाते हैं। इस गाँव के दो बच्चे चेतन और रूपक शाला नहीं जाते थे। शिक्षक ने पालक के घर जाकर बच्चों को ाला में लाने का प्रयास किया। चेतन और रूपक शिक्षक को देखकर इधर–उधर छिप जाते थे। दोनों बच्चों के पालक निरक्षर थे। उन्होंने उन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। पढ़े–लिखे सभी लड़के–लड़कियाँ खेती, दुकान, व्यवसाय, कम्प्यूटर, नौकरी आदि के द्वारा समाज के लिए कार्य करने लगे। किन्तु चेतन और रूपक कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। गलत संगति के कारण उनमें बुरी आदतें पड़ गई। वे गाँव के लोगों के साथ झगड़ा–झंझट, नशापान, चोरी आदि करने लगे। तब भी किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब ये अपने गाँव तथा आसपास के गाँवों में भी बड़ी–बड़ी चोरियाँ करने लगे। चोरी और मारपीट के कारण दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई। गाँव वालों से पूछताछ की गई। गाँव की बदनामी होने लगी। आज भी उनके गाँव या आसपास के गाँवों में कोई भी चोरी होने पर चेतन, रूपक और गाँववालों से ही पूछताछ की जाती है।

अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों से पूछें–

प्रश्नः– बच्चे ऐसा क्यों करने लगे?

संभावित उत्तर– .....

प्रश्नः– क्या इन बच्चों को सुधारा जा सकता था?

संभावित उत्तर– .....

प्रश्नः– यदि ये बच्चे स्कूल आते तो क्या ऐसा करते?

संभावित उत्तर– .....

प्रश्नः– क्या इन बच्चों को स्कूल लाया जा सकता था?

संभावित उत्तर– .....

प्रश्नः– इन बच्चों को स्कूल नहीं लाया गया तो बताइये इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं?

संभावित उत्तरः–

(1) बालक (2) पालक (3) शिक्षक (4) सरपंच (5) समुदाय (6) अन्य

प्रश्नः– ऐसे कौन–से कारण थे, जिससे इन बच्चों को स्कूल नहीं लाया जा सका?

संभावित उत्तर–

1. माता–पिता अशिक्षित थे।
2. पंचायत, शिक्षा के प्रति गैरजिम्मेदार थी।
3. ाला प्रबंधन और विकास समिति, शिक्षा के प्रति असंवेदनशील थी।
4. उस गाँव का समुदाय शिक्षा के महत्व को समझता ही नहीं था।
5. दो बच्चों के अशिक्षित हो जाने पर गाँव पर क्या–क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी।

प्रश्नः– बच्चों के ाला न आने से हानि किनको हुई?

संभावित उत्तर–

(1) बालक (2) पालक (3) शिक्षक (4) सरपंच (5) समुदाय (6) अन्य

प्रश्नः– क्या आपको लगता है कि शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है?

संभावित उत्तर– .....

प्रश्नः– इन बच्चों को शाला में प्रवेश दिलाने के लिये पालक, शिक्षक, सरपंच, ाला विकास एवं प्रबंधन समिति तथा समुदाय को क्या–क्या प्रयास करने चाहिये थे?

संभावित उत्तर–

(1) पालक (2) शिक्षक (3) सरपंच (4) समुदाय (5) ाला विकास एवं प्रबन्धन समिति।

प्रश्नः– क्या आपके गाँव में भी ऐसे बच्चे हैं?

संभावित उत्तर– .....

प्रश्नः– गाँव के सरपंच होने के नाते आप क्या करेंगे?

संभावित उत्तर– .....

आइये अब हम अपने गाँव का मूल्यांकन करें–

मूल्यांकन बिन्दु	हाँ	नहीं
– क्या आपके गाँव का स्कूल प्रतिदिन निर्धारित समय पर खुलता है?		
– क्या आपके गाँव का स्कूल निर्धारित समय से पूर्व बंद हो जाता है?		
– क्या आपके गाँव के 3–6 व र्ा के सभी बच्चे आँगनबाड़ी जाते हैं?		
– क्या आपके गाँव के 6–14 व र्ा के सभी बच्चों के नाम शाला में दर्ज है?		
– क्या आपके गाँव के सभी बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं?		
– क्या सभी बच्चे दिनभर स्कूल में रहते हैं?		
– क्या शिक्षक पूरे समय अध्यापन कार्य करते हैं?		
– क्या बच्चों को पढ़ने में रूचि है?		
– क्या बच्चों को स्कूल जाने में खुशी होती है?		
– क्या बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप शिक्षा पा रहे हैं?		
– क्या पाँचवी कक्षा के सभी बच्चे पुस्तक पढ़ लेते हैं?		
– क्या सभी बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप गणित के सवाल हल कर लेते हैं?		
– क्या आप अपने गाँव के शाला की देखरेख करते हैं?		
– क्या आप ाला के प्रत्येक मासिक बैठक में भाग लेते हैं?		
– क्या आपको अनुदान राशियों की जानकारी है?		
– क्या अनुदान राशियों का उचित उपयोग होता है?		
– क्या आपके गाँव के स्कूल मैं मीनू के अनुसार मध्याह्न भोजन बनता है?		
– क्या स्कूल में पेयजल की व्यवस्था है?		
– क्या स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हुआ है?		
– क्या पालक / समुदाय ने स्कूल में वृक्षारोपण किया है?		
– क्या स्कूल में ौचालय की व्यवस्था है?		
– क्या बच्चे ाला के ौचालय का उपयोग करते हैं?		
– क्या पालक अपने बच्चों से वि ाय संबंधी प्रश्न पूछते हैं?		
– क्या पालक बच्चों को घर में पढ़ाते हैं?		
– क्या आपके गाँव के सभी निःशक्त बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं?		
– क्या आपके गाँव की बालिकाएँ स्कूल जाती है?		
– क्या पालक, समुदाय एवं सरपंच शाला में सहयोग करते हैं?		
– क्या आपको शिक्षा की नई पद्धतियों की जानकारी है?		
– क्या पालक बच्चों के गृह कार्य देखते हैं?		
– क्या बच्चों को किसी वि ाय में परेशानी हो रही है, यह पूछते हैं?		
– क्या शिक्षकों को किसी वि ाय को पढ़ाने में परेशानी हो रही है? यह पूछते हैं।		

यदि इन प्रश्नों में से किसी एक भी प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है तो क्या आप अपने गाँव के विद्यालय और बच्चों के शिक्षा–स्तर से संतुष्ट हैं?

प्रश्नः– यदि नहीं तो इसका कारण बताइये?

संभावित कारणः– 1. ....

2 ....

3. ....

4. सरपंच एवं समुदाय का शिक्षा के प्रति जागरूक न होना।

5. सरपंच एवं समुदाय का स्कूल को अपना न समझकर सरकारी समझना।

6. शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन न करना।

कार्ययोजना

सरपंच अपने ग्राम के माईक्रोप्लानिंग की फाईल पढ़कर निम्नलिखित कार्ययोजना बनायेंगेः–

क्र.	शिक्षा में बाधक तत्व कौन–कौन से हैं?	कारण	समाधान कैसे करेंगे?	किनका सहयोग लेंगे?	कब तक करेंगे?
1.	....	....	....	....	....
2	....	....	....	....	....
3.	....	....	....	....	....
4.	....	....	....	....	....
5.	....	....	....	....	....

निष्कर्षः–

गाँव के प्रत्येक बच्चे को स्कूल नियमित लाने, उनको पूरे समय तक रहने तथा उन्हें स्तरानुरूप आनन्ददायी शिक्षा दिलाने में पालकों एवं समुदाय का सहयोग अति आवश्यक है। ग्राम का मुखिया होने के नाते समुदाय को शिक्षा का महत्व बताने एवं विद्यालय से जोड़ने का दायित्व भी सरपंच का है।

..........00.........

बच्चों के स्कूल नहीं जाने के कारण

(बच्चे, शिक्षक, पालक, समुदाय, सरपंच, विद्यालय की समस्याएँ)

उद्देश्यः—

(1) बच्चों के स्कूल नहीं जाने के कारणों से अवगत कराना।

(2) शिक्षक, पालक, ग्राम पंचायत, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति एवं कक्षा मूल्यांकन समिति की समस्याओं से अवगत कराना।

(3) बच्चों के स्कूल नहीं जाने के कारणों का विश्ले ाण करने की क्षमता विकसित करना।

(4) प्रत्येक समस्या का समुदाय के साथ मिलकर समाधान करने की क्षमता विकसित करना।

(5) समस्याओं का निदान कर प्रत्येक बच्चे को स्कूल में लाने हेतु कार्ययोजना का निर्माण कर क्रियान्वयन करना।

आवश्यक सामग्रीः— ड्राईंग शीट 5 नग, स्केच पेन 10 नग, मार्कर 1 नग, व्हाइट बोर्ड, स्केल 5 नग।

विधिः— समूह चर्चा एवं प्रश्नोत्तर विधि।

गतिविधिः— प्रतिभागियों को 5 समूह में बाँटकर उन्हें समूह चर्चा करने के लिए प्रशिक्षक निर्देशित करेंगे।

चर्चा के बिन्दुः—

(1) **बच्चों के विद्यालय न आने के कारणों में—**

अ) घरेलू कारण।

ब) विद्यालयीन कारण।

स) बच्चों के कारण।

द) शिक्षकीय कारण।

इ) प्रशासनिक कारण।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों को लगभग 15 मिनट चर्चा के लिये समय देंगे। तत्पश्चात् सभी समूहों द्वारा ड्राईंग शीट पर कारणों को लिखकर प्रदर्शन करेंगे। जिसके संभावित उत्तर निम्नानुसार हो सकते हैं—

क्र.	घरेलू कारण	विद्यालयीन कारण	शिक्षकीय कारण	बच्चों के कारण	प्रशासनिक कारण
1)	मवेशी चराने भेजना।	दूरस्थ या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भवन विहीन विद्यालयों का होना।	शिक्षक का बच्चों के प्रति कठोर व्यवहार।	बच्चों को शिक्षकों से भय।	शिक्षकों से गैर ैक्षणिक कार्य करवाना।
2)	वनोपज संग्रह करने भेजना।	अपूर्ण एवं जर्जर शाला भवन।	शिक्षक का नियमित एवं समय पर स्कूल न आना।	गलत संगति में पड़ जाना।	शिक्षकों का अकाद —मिक कार्य से विमुख होना।

3) छोटे बच्चों की देखभाल करवाना।	विद्यालय का आंत–रिक एवं बाह्य वातावरण का आक–र्षक न होना।	शिक्षक का वि ाय की पूर्व तैयारी के साथ स्कूल न आना।	बच्चों में खेल के प्रति विश ा रूझान होना।	
4) कृ ा कार्य कराना	विद्यालय में बौद्धिक एवं शारीरिक गति–विधियों का अभाव।	शिक्षण अधिगम सामग्री का उचित प्रयोग न करना।	बच्चों के स्तर, गति एवं रूचि के अनुसार शिक्षण का अभाव।	योजनाओं के विधि–वत् क्रियान्वयन का अभाव।
5) लड़कियों से खाना पकवाना एवं घरेलू कार्य करवाना।	विद्यालय में खेल–खेल में गति एवं स्तरानुरूप शिक्षण का अभाव।	सिखाने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष अवलोकन एवं गतिविधि आधारित न होना।		
6) दुकानदारी में सहयोग हेतु संलग्न करना।	विद्यालय में खेलने के लिये खेल सामग्री व मैदान का अभाव।	कुछ शिक्षकों के द्वारा मादक व नशीले पदार्थों का सेवन कर स्कूल आना।	गृहकार्य का भय।	
7) मजदूरी करवाना	स्वच्छ शौचालय, पेयजल की सुविधा एवं रख–रखाव का का अभाव।	शिक्षक का व्यक्तिगत लाभ वाले कार्यों में संलग्न रहना।	हीन भावना से ग्रसित होना साथी के साथ विवाद।	
8) घुमंतू जाति या विश ा जनजाति द्वारा लगातार स्थान परिवर्तन करना।	विद्यालय भवन एवं सामग्री का उपयोग अन्य कार्यों में करना।	शिक्षक का शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच एवं लगन का अभाव।	कई बच्चों का कम उम्र में घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।	अनुदान राशियों का सही समय में प्राप्त न होना।
9) जीविकोपार्जन हेतु पलायन।	विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की कमी।	शिक्षक बनना प्रथम प्राथमिकता न होकर अंतिम कार्य के रूप में चयनित होना।	त्यौहारों एवं उत्सवों के प्रति विश ा रूझान। ारीरिक विकलां–	

			गता।
10) ाला समय में परंपरागत काम धंधों में लगाना।	मीनू अनुसार मध्यान्ह भोजन का न बनना।	अनावश्यक वार्तालाप एवं मोबाईल में व्यस्त रहना।	बच्चों का संकोची स्वभाव।
11) रूढ़िवादी मान्यताएँ		बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता का अभाव।	वि ाय विशे ा के प्रति भय।
			बस्ते का बोझ अधिक होना।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से कहेंगे कि अभी हमने बच्चों के विद्यालय न आने के कारणों का विश्ले ाण किया।

आइये, अब हम पालक, शिक्षक, ग्राम पंचायत, विद्यालय, ाला प्रबंधन एवं विकास समिति, कक्षा मूल्याँकन समिति की समस्याओंपर एक नजर डालें।

I) पालकों की समस्याएँ:–

1) मैं गरीब हूँ इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ा सकता।
2) मेरे तो दादा–परदादा पढ़े–लिखे नहीं थे, तो अब मेरा बच्चा पढ़–लिखकर क्या कर लेगा?
3) मेरा बच्चा फेल हो गया है, अब स्कूल जाकर क्या करेगा?
4) अगर मेरा बच्चा कुछ दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या हो जायेगा?
5) मुझे काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते इसलिए बच्चे को अपने साथ ले जाता हूँ।
6) मेरा बच्चा स्कूल जाता है लेकिन पढ़ना–लिखना नहीं जानता, तो स्कूल जाकर क्या फायदा?
7) हम तो हमेशा बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहते हैं, पर वह जाता ही नहीं।
8) लड़की पढ़ने जाएगी तो घर का काम कब सीखेगी?

II) शिक्षकों की समस्याएँ:–

1) एक ही समय में एक से अधिक दायित्वों का निर्वहन।
2) मुख्यालय में आवास की समुचित व्यवस्था का न होना।
3) पहल करने के लिए शिक्षकों में संकोच।
4) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षकों का भयभीत रहना।
5) शिक्षकों को पालकों का सहयोग एवं समर्थन न मिल पाना।
6) शिक्षकों से गैर ैक्षणिक कार्य करवाना।
7) एकल शिक्षकीय विद्यालय में उस शिक्षक का कोई सहयोगी न होना।
8) शिक्षकों के अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन न मिलना।
9) क्षेत्रीय भा ााओं की जानकारी न होना।
10) कम वेतन वाले शिक्षकों का आर्थिक लाभ हेतु अन्य कार्यों में संलग्न होना।

III) ग्राम पंचायतों की समस्याएँः–

1) बैठकों एवं ग्राम सभाओं में व्यस्त रहना।
2) स्कूल की बैठकों के बारे में पहले से जानकारी न होना।
3) शाला त्यागी, अप्रवेशी, अध्ययन त्यागी बच्चों की सही जानकारी न होना।
4) स्कूल के संचालन एवं ैक्षिक गतिविधियों में पंचायत की भूमिका की जानकारी न होना।
5) शिक्षकों एवं शाला समितियों से समन्वय न हो पाना।

IV) ाला विकास एवं प्रबन्धन समिति और कक्षा मूल्यांकन समिति की समस्याएँः–

1) समिति के सदस्यों को सदस्यता की जानकारी न होना।
2) समिति के सदस्यों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी न होना।
3) स्कूल के संचालन एवं ैक्षिक गतिविधियों में अपनी भूमिका की जानकारी न होना।
4) घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना।
5) कई सदस्यों का कम पढ़ा–लिखा एवं अशिक्षित होने के कारण स्कूल जाने में संकोच करना।
6) मूल्यांकन के तरीकों की जानकारी न होना।
(7) समिति के सदस्यों को बैठक में आने की जानकारी समय पर न मिलना।

अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों से अपने गाँव के माइक्रोप्लानिंग की फाईल को पढ़ने के लिए कहेंगे तथा कार्य योजना बनाने के लिए कहेंगे।

क्र.	बच्चों के स्कूल न आने के कारण	समाधान	जिम्मेदारी एवं निगरानी	कब तक
1.	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....	.....
7.	.....	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....	.....

नि कर्ष–

इस प्रकार सरपंच बच्चों के स्कूल नहीं आने के कारणों का विश्ले ाण करेंगे। साथ ही पालक, शिक्षक, ग्राम पंचायत, ाला प्रबंधन एवं विकास समिति तथा कक्षा मूल्याँकन समिति की समस्याओं का समुदाय के साथ मिलकर समाधान कर प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक ले आयेंगे। तभी सरपंच और समुदाय का दायित्व पूरा होगा।

स्कूल की शैक्षिक गतिविधियाँ

I) उद्देश्यः—

(1) शाला की शैक्षिक गतिविधियोंकी जानकारी प्रदान करना।

(2) शाला की वास्तविक स्थिति सेअवगत कराना।

(3) शाला की मूल समस्याओंकी पहचान कर पाना।

(4) शाला की शैक्षिक समस्याओंके समाधान हेतु क्षमता विकसित करना।

(5) शाला की समस्त शैक्षिक गतिविधियोंमेंसामुदायिक सहयोग हेतु योजना बनाकर क्रियान्वित करना।

II) आवश्यक सामग्रीः— ड्राईंग शीट, स्केच, मार्कर, व्हाईट बोर्ड, डस्टर इत्यादि।

III) चर्चा के बिन्दुः— प्रशिक्षक प्रतिभागियों को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार्ट में लिखने के लिए कहेंगे।

प्र हमारे विद्यालय में क्या—क्या हो रहा है?

प्र क्यों हो रहा है?

प्र क्या होना चाहिए?

प्र इसे कैसे सुधार सकते हैं?

प्रतिभागियोंको 10 मिनट का समय देंगे तत्पश्चात् उनसे प्रदर्शन करने को कहेंगे।

संभावित उत्तरः— **स्कूल की शैक्षिक गतिविधियाँ**

क्या हो रहा है?	क्यों हो रहा है?	क्या होना चाहिए?	कैसे सुधार कर सकते हैं?
(1) स्कूल निर्धारित पर नहीं खुलता एवं समय से पूर्व बंद हो जाता है।	शिक्षक समय के प्रति पाबंद नहीं है। पालक, शा.वि.एवंप्रस. के सदस्य, सरपंच शाला की सतत् मॉनीटरिंग नहीं करते।	शाला निर्धारित समय पर खुले और पूरे समय तक शिक्षक व बच्चे स्कूल में रहें।	सरपंच, ग्राप्र एवं वि.स. व क.मूस. के सदस्योंएवं समुदाय के द्वारा शाला की सतत् मॉनिटरिंग हो। समय पर उपस्थित न होने वाले शिक्षकों को शाला के उचित क्रियान्वयन हेतु प्रेमपूर्वक समझाएँ तथा न मानने पर उच्च अधिकारियोंको इनकी जानकारी दें।
(2) कुछ बच्चे शाला नहीं आते, जो बच्चे शाला में दर्ज हैं वे पूरे समय तक शाला में नहीं रहते।	अभी भी हम शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक एवं सशक्त नहीं हुए हैं।	गाँव का एक भी बच्चा शाला से बाहर न हो। गाँव का प्रत्येक बच्चा नियमित स्कूल आए। बच्चों के रूचि, गति एवं स्तर के अनुरूप	सरपंच, ग्राप्र एवं वि.स., क.मूस. के सदस्य, शिक्षक, समुदाय सभी एकजुट होकर प्रत्येक बच्चे को शाला में लाएँ। यदि शाला समय में बच्चे बाहर घूम रहे हों तो उन्हें स्कूल में लाकर शिक्षक एवं पालकों को इसकी

		आनंददायी शिक्षण हो।	जानकारी दे। प्रत्येक दिन ाला की देखरेख एवं प्रबंधन में सरपंच, शिक्षा समिति के सदस्य एवं समुदाय अपना योगदान दें।
(3) जो बच्चे स्कूल में आते हैं उन्हें स्तर अनुरूप शिक्षा नहीं मिल पाती। अभी भी बहुत से बच्चों को पढ़ने–लिखने एवं गणित के सवाल हल करने में परेशानी होती है।	बच्चे केवल ाला समय में ही अध्ययन करते हैं। भय या संकोचवश शिक्षक से अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। बच्चों के गति एवं स्तरानुरूप शिक्षण का। अभाव है। बच्चों का व्यक्तिगत शिक्षण नहीं हो पाता। पालक एवं समुदाय का शिक्षा में भागी–दारी में कमी है।	प्रत्येक बच्चे का उनकी गति एवं स्तर के अनु–रूप शिक्षण होना चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की की व्यवस्था हो। पालक, समुदाय ाला में आकर बच्चों को पढ़ाएँ/सिखाएँ। पालकों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।	सरपंच, ाप्र एवं वि.स., क.मूस. के सदस्य, पालक एवं समुदाय बच्चों को विभिन्न जानकारियाँ दें। उदा.–अपने व्यवसाय की जानकारी, शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएँ, संस्मरण सुनाएँ। घर में प्रत्येक पालक बच्चों से दिनभर की गतिविधियों, गृहकार्य आदि की जानकारी लें तथा उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। समुदाय के सभी व्यक्ति बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के गति एवं स्तरानुरूप शिक्षण प्रक्रिया का उचित क्रियान्वयन कराएँ।
(4) शिक्षक अनावश्यक बातचीत, मोबाईल या अखबार पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। कुछ शिक्षक नशापान करके स्कूल आते हैं।	सरपंच, ा. प्र एवं वि.स. तथा क. मूस. के सदस्य, पालक, शिक्षकों की इन हरकतों को अन–देखा कर रहे हैं या उन्हें समझा नहीं रहे हैं।	प्रत्येक शिक्षक को पूरे समय कक्षा में अध्यापन करना चाहिए। नशापान करने वाले शिक्षकों का स्कूल में आना सख्त मना हो। प्रत्येक शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे।	सभी शिक्षकों को प्रेमपूर्वक समझाकर उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित करें। ाला की मानीटरिंग कर शिक्षकों से उनके द्वारा किये जा रहे शिक्षण संबंधी जानकारी लें।
(5) अनुदान राशियों का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।	हम अनुदान राशियों की जानकारी नहीं रखते। ग्रामसभा या मासिक	सरपंच, पालक, ाप्र एवं वि.स., क.मूस. के सदस्यों को अनुदान राशियों की जानकारी	ग्रामसभा में अनुदान राशियों के आय–व्यय के ब्यौरा हेतु सामाजिक अंकेक्षण करें। अनुदान राशियों के उचित उपयोग

	बैठकों में खर्च का ब्यौरा नहीं लेते।	एवं खर्च का ब्यौरा लेना चाहिए।	हेतु पूरे समुदाय के साथ मिलकर आवश्यकतानुरूप कार्ययोजना बनाकर राशि खर्च करें।
(6) स्कूल भवन जर्जर है। स्कूल में स्वच्छता, बागवानी, पेयजल, ौचालय, अहाते आदि का अभाव है।	स्कूल को हम सरकारी भवन सोचकर वहाँ के किसी भी कार्य में योगदान करने से बचते हैं। स्कूल के प्रति स्वामित्व की भावना का अभाव है।	स्कूल का भवन स्वच्छ एवं आक र्क होना चाहिए तथा स्कूल में बागवानी, पेयजल, ौचालय, अहाता, खेल का मैदान, किचन ोड आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।	गाँव के लोग स्वयं स्कूल की देखरेख करें। समुदाय और शिक्षक मिलकर बागवानी, अहाता, मैदान का निर्माण करें। स्कूल में पेयजल, स्वच्छता व ौचालय का उपयोग करने की आदत डालें।
(7) कुछ विशे ा आव– आ यकता वाले बच्चों को सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है। जैसे–कैप, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र आदि।	विभिन्न योजनाओं की जानकारी का अभाव। जानकारी है भी तो नि क्रय ता है।	विशे ा आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। अतः इनसे संबंधित योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए।	विशे ा आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु संवेदनशील होकर इन्हें पूरी सुविधाएँ दिलाएँ।
(8) गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन नहीं मिल पा रहा है।	बच्चों के पो ाण को लेकर हम सजग नहीं है।	बच्चों को साफ–सुथरा एवं संतुलित पो ाण आहार मिलना चाहिए।	समुदाय गुणवत्तायुक्त भोजन प्रदाय हेतु सतत् मॉनीटरिंग करें व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएँ।
(9) खेलकूद, व्यायाम, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बालसभा आदि कार्यक्रम नियमित क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं।	खेलकूद, व्यायाम, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बालसभा में समुदाय की सहभागिता का अभाव है।	स्कूल में सभी प्रकार के पाठ्य–सहगामी क्रियाएँ नियमित होनी चाहिए एवं उनमें समुदाय का सहयोग भी होना चाहिए।	समुदाय के लोग बच्चों के खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

एक गाँव की कहानी

धमतरी जिले में एक गाँव है धौराभाठा। उस गाँव के विद्यालय में अहाता नहीं है। इस कारण जानवर ाला परिसर के पेड़–पौधों को नुकसान पहुँचाते थे। बच्चों को मध्यान्ह भोजन भी गुणवत्तायुक्त नहीं मिलता था। कई बच्चे ाला से बाहर थे और ाला आने वाले बच्चों का भी पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था। गाँव वालों का ाला की शिक्षा से दूर–दूर तक कोई नाता नहीं था।

तभी गाँव के सरपंच श्री सुदर्शन लाल ने पूरे समुदाय को शिक्षा की महत्ता बताते हुए सभी लोगों को ाला से जोड़ने का कार्य किया। आज विद्यालय में अहाता न होने पर भी विद्यालय परिसर बाग–बागवानी, फूल–पौधे, साग–सब्जियों से हरा–भरा है। वह जानवरों से भी सुरक्षित है। समुदाय के लोग विद्यालय में अहाते की अनिवार्यता महसूस नहीं करते। विद्यालय की बागवानी की सुरक्षा करना वे अपना कर्तव्य समझते है। ग्रामीणों ने मिलकर सर्वसम्मति से विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की क्रियान्वयन की जवाबदारी गाँव के ही विकलांग व्यक्ति भोला राम साहू को दिया है। जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करता है। सरपंच श्री सुदर्शन लाल और सभी पालक मिलकर ाला में आने वाली समस्याओं का निराकरण करते हैं तथा समय–समय पर विद्यालय की प्रगति की समीक्षा करके विकास के लिए सुझाव भी देते हैं।

पालक अपने–अपने बच्चों को घर में पढ़ाने का कार्य भी करते हैं। अशिक्षित पालक अपने बच्चों को पढ़ाने पर विशे ा जोर देते हैं। वे कहते हैं **"पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे"।**

गाँव का हर घर विद्यालय–सा बन गया है। सामुदायिक सहभागिता के परिणाम स्वरूप विद्यालय से बच्चों की अनियमित उपस्थिति की समस्या का समाधान हो गया है। हर बच्चा विद्यालय जाता है। शिक्षक ाला में पूरे समय तक पूरे मन से अध्यापन करते हैं। इसके अलावा गाँव वाले शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारियाँ भी रखते हैं।

पालक बच्चों के मूल्यांकन में शिक्षकों का साथ देते है। गर्मी की छुट्टी में बच्चे कम्प्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग आदि कार्य समुदाय के सहयोग से सीखते हैं। बच्चों का ैक्षिक स्तर ऊँचा उठा है, जिससे आज गाँव में पालक, बालक और समुदाय सभी खुश हैं। शिक्षक, पालक ,बालक, सरपंच एवं समुदाय के बीच में मधुर संबं ा है। समुदाय की सहभागिता से स्कूल की शिक्षण व्यवस्था में एक अनोखा परिवर्तन हुआ है। गाँव में कम्प्यूटर शिक्षा और जीवन मूल्यों के लिए **"जीवन विद्या"** के माध्यम से मानवीय संचेतना के विकास के प्रयास किये जाने लगे हैं। समुदाय की सहभगिता से ाासन के विभिन्न योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हुआ है। इन सभी का सकारात्मक प्रभाव गाँव के समग्र विकास में दिखाई दे रहा है।

प्रश्नः– गाँव में किस प्रकार की ैक्षिक समस्याएँ थीं?

संभावित उत्तरः– .....

प्रश्नः– इसका समाधान गाँव वालों ने कैसे किया?

संभावित उत्तरः– .....

प्रश्नः– शिक्षा के प्रति पालकों की सोच में क्या–क्या बदलाव आये?

संभावित उत्तरः– ....

प्रश्नः– यह बदलाव कैसे आया, इसका कारण क्या था?

संभावित उत्तरः– ....

प्रश्नः– क्या आप भी अपने गाँव में ऐसा परिवर्तन चाहते हैं इसके लिए आप क्या–क्या करेंगे?

संभावित उत्तरः– ....

कार्ययोजना

सरपंच अपने ग्राम के माईक्रोप्लानिंग की फाईल पढ़कर निम्नलिखित कार्य योजना बनाएँगेः–

क्र.	शाला की गतिविधि	आपकी भूमिका	सहयोग, जिम्मेदारी	कब तक
1.	....	....	....	....
2	....	....	....	....
3.	....	....	....	....
4.	....	....	....	....
5.	....	....	....	....

निष्कर्षः–

शाला की सभी शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में सरपंचों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः उन्हें चाहिए कि समुदाय को जोड़कर स्कूल के शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन करें।

..........00...........

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

(1)उद्देश्य :–

(1) सर्व शिक्षा अभियान की सामान्य जानकारी देना।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की सामान्य जानकारी देना।

(3) सर्व शिक्षा अभियान की सफलता में समुदाय की भूमिका स्प ट करना।

(4) सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का लोकव्यापीकरण करना।

(2)आवश्यक सामग्री :–

व्हाईट बोर्ड, मार्कर, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं कार्यनीति संबंधी चार्ट।

(3)गतिविधि :–

प्रशिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं कार्यनीति का चार्ट प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक लक्ष्य एवं कार्यनीति की विस्तृत व्याख्या करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के लक्ष्य :–

(1) 6 से 14 आयु वर्ग के शत्–प्रतिशत बच्चों का नजदीकी शालाओं में नामांकन।

(2) सभी नामांकित बच्चों का कक्षा आठवीं तक की शालेय शिक्षा पूर्ण होने तक ठहराव।

(3) शालेय शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार।

(4) जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतो ाजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

(5) व ा 2007 में प्राथमिक ााला ओं में दर्ज सभी बच्चों को 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करना।

(6) सामाजिक विभेद, लिंगभेद, जाति सम्प्रदाय आदि के भेदभाव से मुक्त रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।

सर्वशिक्षा अभियान की कार्यनीतियाँ:–

(1) प्रत्येक ग्राम, टोला अर्थात् 1 किमी. की परिधि में प्राथमिक ााला व 2 किमी. की परिधि में माध्यमिक ााला खोलना।

(2) प्रत्येक प्राथमिक ााला में 1:2 व माध्यमिक ााला में 1:4 के अनुसार शिक्षक की व्यवस्था करना।

(3) ााला भवन आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण करना।

(4) मध्यान्ह भोजन हेतु किचन ेड का निर्माण करना।

(5) मध्यान्ह भोजन हेतु चावल व राशि उपलब्ध करना। साथ ही रसोईया नियुक्त कराना।

(6) बर्तन उपलब्ध कराना।

(7) ााला प्रांगण में पेयजल व ौचालय की व्यवस्था कराना।

(8) ााला भवन को साफ–सुथरा व आक क बनाने के लिए प्रतिव ा मरम्मत अनुदान के रूप में प्रत्येक ााला को 5500 रूपये व ााला अनुदान के रूप में प्रत्येक प्राथमिक ााला को 5,000 रूपये व मा.शा.. को

7,000 / — रूपये स्वीकृत करना।

(9) प्रत्येक ाला को प्रति शिक्षक के मान से 500 / — रूपये शिक्षक अनुदान स्वीकृत करना।

(10) नवीन प्राथमिक ाला को 10,000 / — रूपये व माध्यमिक ाला को 50,000 / — रूपये टी.एल.ई. के रूप में स्वीकृत कराना।

(11) निःशुल्क शिक्षा व निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराना।

(12) प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए निःशुल्क गणवेश वितरण कराना।

(13) कक्षा तीसरी से पाँचवी तक की एस.टी., एस.सी. की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था।

(14) कक्षा छठवी से आठवी तक की एस.टी., एस.सी. व ओबी.सी. के बालक / बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।

(15) एस.टी., एस.सी. बालक / बालिकाओं के लिए आश्रम ाला व छात्रावास व्यवस्था।

(16) आवश्यकता आधारित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर बल देना व साथ ही उपकरण व शि यवृत्ति की व्यवस्था।

(17) प्रत्येक शिक्षकों के लिए प्रतिव ि20 दिवसीय प्रशिक्षण व्यवस्था।

(18) नवनियुक्त शिक्षकों के लिए 30 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण व्यवस्था।

(19) तकनीकी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध कराना।

(20) एस.टी., एस.सी. बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गाँधी आश्रम व्यवस्था।

(21) ालेय समय के उपरांत अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था।

(22) बालिकाओं के लिए कढ़ाई—बुनाई प्रशिक्षण।

(23) ाला त्यागी व कामकाजी बच्चों के लिए आर.बी.सी. एवं एन.आर.बी.सी. शिक्षा व्यवस्था।

(24) जीवन कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था।

(25) वर्तमान परिवेश व बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एम.जी.एम.एल., ए.एल.एम., ई.सी.सी.ई., ई.एल.एल.सी. शिक्षण व्यवस्था कराना। बच्चों को पर्याप्त अवसर और उनकी गति, रूचि व स्तरानुरूप शिक्षण पद्धति का प्रयोग।

(26) ालेय स्तर पर ाला प्रबंधन एवं विकास समिति और प्रत्येक कक्षा के लिए मूल्यांकन समिति का गठन।

(27) विकासखण्ड व जिला स्तर पर शिक्षा समिति का गठन करना।

(28) डोर—टू—डोर सर्वे व्यवस्था।

(29) 15—20 ालाओं के बीच सी.आर.सी. की स्थापना।

(30) विकासखण्ड स्तर पर बी.आर.सी. की स्थापना।

(31) एस.सी.ई.आर.टी., डाइट, बी.आर.सी.सी. व सी.ए.सी. द्वारा ालाओं की सतत् मॉनीटरिंग व मार्गदर्शन व्यवस्था।

(32) क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्था का संचालन।

(33) समूह बीमा योजना।

(34) स्वास्थ्य परीक्षण।

(35) शिक्षण सामग्री निर्माण कौशल प्रशिक्षण।

(36) रेडियो कार्यक्रम।

(37) ाालेय प्रबंधन एवं ैक्षणिक व्यवस्था मेंसमुदाय की भागीदारी को महत्व प्रदान कराना।

(38) ैक्षिक गुणवत्ता विकास हेतु माईक्रोप्लानिंग (ग्राम सूक्ष्म नियोजन) कर उपलब्धियोंव समस्याओंका चिन्हांकन कराना।

सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के सार्वजनीकरण की परिकल्पना एक निश्चित अवधि मेंकी गई थी। परन्तु सभी लक्ष्य प्राप्त न हो पाने की स्थिति मेंइसे 2012 तक बढ़ाया गया है और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन 2012 तक सर्वशिक्षा अभियान को जारी रखते हुए किया जाना है।

सरपंच, ाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य अपने ग्राम की माईक्रोप्लानिंग फाईल पढ़कर अपने ग्राम की उपलब्धियोंव विशि ट ैक्षिक समस्याओंकी पहचान करेंगे।

क्र	उपलब्धियाँ	क्र	ालेय समस्या
1.		1.	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

नि कर्ष-

इस प्रकार पंचायती राज संस्था, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति व समुदाय, शिक्षा व्यवस्था से परिचित होंगे। साथ ही इन सारी योजनाओंके लाभ हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिससे शिक्षा का अधिकार के अधिक से अधिक बिन्दुओंका सही ढंग से पालन होगा और अपेक्षित ैक्षिक स्तर को प्राप्त कर सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य व उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

.....00.....

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009

I) उद्देश्यः–

1. सरपंचों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम से परिचित कराना।
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के महत्व को बताना।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता से अवगत कराना।
4. शिक्षा का अधिकार कानून की कार्यप्रणाली से सरपंच, समुदाय को अवगत कराना।
5. शिक्षा का अधिकार कानून को यथोचित रूप से लागू करने में सरपंच, समुदाय की भूमिका से परिचित कराना।
6. शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु सरपंच, समुदाय द्वारा कार्ययोजना बनाना।

II) आवश्यक सामग्री :–

ड्रईंग शीट, कागज पेन्सिल, रबर, स्केच पेन, आर.टी.ई. अधिनियम की कॉपी।

III) विधिः– समूह चर्चा एवं प्रश्नोत्तर विधि।

IV) वातावरण निर्माणः– ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के..... गीत को प्रशिक्षक प्रतिभागियों के साथ मिलकर हाव–भाव के साथ गाएँगे।

V) गतिविधिः–प्रशिक्षक, प्रतिभागियों को 5 समूहों में बाँटेंगे।

– प्रशिक्षक नीचे लिखे प्रश्न के लिए निर्धारित चर्चा के बिन्दुओं को कागज में लिखकर प्रत्येक समूह को एक–एक चिट उठाने को कहेंगे एवं उस विषय पर 20 मिनट समूह चर्चा कर ड्रईंग शीट में चर्चा से निकले प्रमुख बिंदुओं को लिखने तथा उसका प्रदर्शन करने को कहेंगे।

VI) चर्चा के बिन्दुः–

प्रश्नः– सभी बच्चे प्रतिदिन स्कूल आएँ और उनकी अच्छी शिक्षा हो सके इसके लिए क्या–क्या नियम होने चाहिए–

1. बच्चों के लिए
2. शिक्षक के लिए
3. समुदाय के लिए
4. पालकों के लिए
5. विद्यालय के लिए

त्तर–

ों के लिए	शिक्षकों के लिए	पालकों के लिए	विद्यालय के लिए	समुदाय के लिए
क्षा।	1. गैर शिक्षकीय कार्यों से मुक्त हो।	1. अपने बच्चों को नियमित ाला भेजें	1. विद्यालय निर्धारित समय पर खुले।	1. समुदाय के लोग सभी बच्चों की जानकारी शिक्षकों से लें।
अनाथ बच्चों के लिए ा का निर्माण हो।	2. शिक्षक के लिए मुख्यालय में ही आवास व्यवस्था हो।	2. शिक्षक से संपर्क बनाए रखें।	2. विद्यालय आक र्षक व साफ–सुथरा हो	2. सभी बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजे।
क की व्यवस्था आनन्ददायी शिक्षा	3. शिक्षक समय का पाबंद हो। 4. शिक्षक निर्धारित समय तक अध्यापन कार्य करें।	3. स्कूल में आकर बच्चों की एवं शिक्षक की गतिविधियों को देखें । 4. बच्चों को होमवर्क कराएँ ।	3. SDMC और CEC का गठन हुआ हो। 4.प्रतिमाह SDMC और CEC	3. शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करे। 4. अनुदान राशि का उचित उपयोग
तावरण	5. पालकों से संपर्क करें	5. स्वयं के अच्छे अनुभवों से बच्चों को अवगत कराएँ।	5. गाँव के लोग स्कूल की सभी गतिविधियों में भाग लेते हों।	सुनिश्चित करें। 5. ाला की निगरानी व देख–रेख करें।
ोजन दीक हो ोझ न हो।	6. अवांछित चर्चा व मोबाईल पर अनावश्यक बातचीत से बचें। 7. बच्चों की गति, स्तर एवं रूचि के अनुरूप शिक्षण करें।	6. बच्चों से ऐसे कार्य न कराएँ जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान हो। 7. बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें 8.बच्चों के मूल्यांकन कार्य में सहयोग करें 9. बच्चों से पूछें कि आज उसने स्कूल में क्या–क्या सीखा?	6. शिक्षकों में आपसी तालमेल हो। 7. शिक्षक और बच्चों के मध्य मित्र–वत् संबंध हो। 8. बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। 9. आक र्षक बागवानी व खेल का मैदान हो।	6. गाँव के सभी बच्चे स्कूल में गति, स्तर अनुरूप शिक्षा पा रहे हैं यह सुनिश्चित करे। 7. ाला की समस्याओं का समाधान करेंगे।

तिभागियों के प्रदर्शन के पश्चात् प्रशिक्षक उनके द्वारा निकाले गए बिन्दुओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम से जोड़ते हु
ानकारी देंगे।

TE अधिनियम की कॉपी से प्रत्येक बिन्दु का विस्तृत वर्णन करेंगे।

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009

6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चो को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानूनः–
भारत गणराज्य के 60वें व र्ा में संसद द्वारा निम्नानुसार क्रियान्वित किया जावे–

अध्याय –1
प्रारंभिक

1. कानून की ुरूआत एवं विस्तार :–

1. यह कानून बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 कहा जाए।
2. इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत मे होगा।
3. यह केन्द्र सरकार द्वारा आधिकारिक गजट मे प्रकाशन तिथि से लागू होगा।

अध्याय –2
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

1. 6–14 आयु के प्रत्येक बच्चे को निकट के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
2. उपखण्ड (1) की पूर्ति के लिए किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने व पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार का ुल्क या राशि देना नहीं होगा।
3. प्रावधान है कि निःशक्तता से पीड़ित बच्चे जैसा कि निःशक्त लोगों के लिए समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण सहभागिता कानून, 1996 के खण्ड 2 के अनुच्छेद (i) में वर्णित है, वर्णित कानून के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
4. जहां कोई बच्चा, 6 व र्ा के अधिक उम्र का, किसी स्कूल में प्रवेश नही दिलाया गया हो या प्रवेश दिलाया गया हो लेकिन अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं किया हो, तब उसे उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा।

   यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां किसी बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया गया है तो उसे दूसरे बच्चे के बराबर आने के लिए विश ा प्रशिक्षण निर्धारित तरीके एवं समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

   यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश दिलाया गया ऐसा बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, यहां तक कि 14 व र्ा उम्र के बाद भी निःशुल्क शिक्षा का पात्र होगा।

5. स्थानान्तरण का अधिकार :–

1. ऐसे किसी स्कूल में जहां प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था न हो, किसी बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए भाग 2 खण्ड (द) के उपखण्ड (iii) व (iv) मे वर्णित स्कूल को छोड़कर किसी भी स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा।

2 जहां किसी बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए किसी भी कारण से राज्य के भीतर या बाहर एक स्कूल से दूसरे स्कूल स्थानांतरण की आवश्यकता हो भाग 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (iii) व (iv) में वर्णित स्कूलों को छोड़कर किसी भी स्कूल मे स्थानांतरण लेनेका अधिकार होगा।

3. ऐसे किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश के लिए पूर्व स्कूल जहां बच्चा अन्तिम प्रवेशित था, के प्रधान पाठक या प्रभारी को तुरन्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

यह भी प्रावधान है कि ऐसे किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करना या प्रवेश देने मे विलम्ब या अमान्य का कारण नहीं होगा। यह भी प्रावधान है कि विलम्ब से स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रधान पाठक या प्रभारी सेवानियमौंके अंतर्गत उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

अध्याय–3

उचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और पालकों के कर्तव्य

6. इस कानून के प्रावधानोंके क्रियान्वयन के लिए उचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण को इस कानून को लागू होने के 3 व ों के भीतर ऐसे क्षेत्र या पड़ोस की सीमा में जहां स्कूल स्थापित नहीं है, जहां निर्धारित किया जा सकता है, स्थापित करना होगा।

7. इस कानून के प्रावधानोंके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय प्रावधान हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. उचित सरकार

(अ) प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी।

(1) 6 से 14 व ों के आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और

(2) 6 से 14 व ों आयु के प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना।

(स) कमजोर वर्ग और सुविधा वंचित समूहों के बच्चे किन्ही भी कारणों से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और पूर्ण करने से वंचित न हों सुनिश्चित करना।

(द) अधोसंरचना ााला भवन, ैक्षणिक स्टॉफ एवं अधिगण उपकरण सहित उपलब्ध कराना।

(ई) खण्ड 4 में विशि टीकृत विशे । प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

(फ) प्रत्येक बच्चों का प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करना एवं मॉनिटरिंग करना।

(ग) अनुसूची में विशि टीकृत मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करना।

(ह) प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु का समयबद्ध अनुशंसा सुनिश्चित करना और

(इ) शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

9. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण –

(स) यह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग और सुविधाविहीन समूह के किसी भी बच्चे को किसी भी स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने और पूर्ण कराने में कोई भेदभाव या रोक न हो।

(द) अपनी अधिकार क्षेत्र में निवासरत 14 व र्ा के बच्चों का अभिलेख संधारण करेगा।

(क) विस्थापित परिवारों के बच्चो का प्रवेश सुनिश्चित करायेगा।

(ल) अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत स्कूलों के संचालन की मॉनिटरिंग करेगा।

(म) ैक्षणिक कैलेण्डर तय करेगा।

10. प्रत्येक माता, पिता या पालक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या पाल्य को निकट के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाये।

11. तीन व र्ा से अधिक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने की दृ ट से बच्चों को आरंभिक शिशु संरक्षण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त ाासन ऐसे बच्चों की निःशुल्क ाला पूर्व शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था करेगा, जब तक वे 6 व र्ा की आयु पूर्ण न कर ले।

अध्याय 4

12 ालाओं और शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ–

उक्त क्षेत्र में आने वाले सर्वेक्षित सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना ।

13. कैपिटेशन ुल्क व प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग नहीं किया जाना है।

1. कोई भी विद्यालय या व्यक्ति, किसी बच्चे के प्रवेश के लिए कोई भी कैपिटेशन ुल्क एकत्र नहीं करेगा और न ही बच्चे की या उसके माता–पिता या पालक की स्क्रीनिंग करेगा।

2 यदि कोई भी विद्यालय या व्यक्ति उपखण्ड (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो

(अ) कैपिटेशन ुल्क लेता है तो वसूली गई ुल्क के 10 गुने तक के जुर्माने के साथ सजा का पात्र होगा।

(ब) यदि किसी बच्चे को स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है तो वह पहली बार उल्लंघन के लिए 25,000 रूपये के जुर्माने के साथ सजा का पात्र होगा और अगले प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माने की राशि 50,000 रूपये होगी।

14. प्रवेश के लिए आयु का सत्यापन –

1. प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के उद्देश्यों के लिए किसी बच्चे की उम्र का निर्धारण, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन अधिनियम 1886 के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों के आधार पर ही होगा।

2 आयु प्रमाण के अभाव में किसी विद्यालय में किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

15. किसी भी बच्चे को किसी भी विद्यालय में ैक्षणिक सत्र के प्रारंभ मे या बढ़ाई गई सीमा के भीतर प्रवेश दिया जाएगा।

16. विद्यालय में किसी भी प्रवेशित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जा सकेगा और न हीं बाहर किया जा सकेगा, जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न कर ले।

17. बच्चों को ाारीरिक यातना और मानसिक प्रताड़ना का नि ेध।

21. ाला प्रबंधन समिति –

1. सभी ालाओं को स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रवेशित बच्चो के माता–पिता या पालकों और शिक्षकों को समाहित करते हुए एक ाला प्रबंधन समिति का गठन करना होगा। प्रावधान है कि समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता–पिता और पालक होंगे। आगे यह भी प्रावधान है कि कमजोर वर्ग और सुविधाविहीन समूहों के बच्चों के माता–पिता और पालकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले। यह भी प्रावधान है कि ऐसे समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी।

2 ाला प्रबंधन समिति निम्न कार्य करेगी –

अ ाला के संचालन की मॉनीटरिंग

ब ाला विकास योजना तैयार करना एवं अनुशंसा देना।

स उचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य किसी स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों की उपयोगिता की मॉनिटरिंग करना और

द इस प्रकार के अन्य कार्यों को क्रियान्वित करना।

22. ाला विकास योजना –

1. प्रत्येक ाला प्रबंधन समिति, जो खण्ड 21 के उपखण्ड (1) के तहत गठित होगी, एक ाला विकास योजना तैयार करेगी।

24. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निराकरण।

1. खण्ड 23 के उपखण्ड (1) के तहत् नियुक्त शिक्षकों के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे–

अ ाला में नियमित एवं समय पर उपस्थिति बनाए रखना।

ब खण्ड 29 के उपखण्ड (2) के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम को चलाना और पूरा करना।

स विशि ट कृत समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करना।

द प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षमता का मूल्यांकन एवं तदनुसार अतिरिक्त पूरक शिक्षण देना, आवश्यकतानुसार।

इ माता–पिता और पालकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना और बच्चों की नियमित उपस्थिति, अधिगम क्षमता, अधिगम में उन्नति और अन्य संबंधित सूचना देना और

फ इसी प्रकार के अन्य कार्य संपादित करना।

27. गैर शिक्षकीय कार्यों में शिक्षकों को लगाने का नि ेध

किसी भी शिक्षक को जनगणना, आपदा राहत या स्थानीय प्राधिकरण, विधानसभा या संसदीय चुनाव के कार्यों को छोड़कर किसी अन्य गैर ैक्षणिक कार्य में नही लगाया जाएगा।

28. शिक्षकों के निजी ट्यूशन का नि ेध ।

कोई भी शिक्षक अपने आपको प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्यों में संलिप्त नहीं रखेगा।

अध्याय – 5

पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता

29. पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की पद्धति –

1. प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण उचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विशि टीकृत अकादमिक प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

अ संविधान द्वारा संकल्पित पवित्र मूल्यों का समावेश

ब बच्चे का सम्पूर्ण विकास

स बच्चे का ज्ञान, क्षमता तथा बुद्धि का विकास

द बाल मैत्री व बाल केन्द्रित तरीके से गतिविधियों, खोज और परीक्षण द्वारा अधिगम।

ई ाारीरिक और मानसिक क्षमताओं का सम्पूर्ण विकास,

फ शिक्षण का माध्यम, जहां तक व्यवहारिक हो, मातृभा ा होगी।

ग बच्चे को भय, सदमा और चिन्ता से मुक्त रखना और स्वतंत्र अभिव्यक्ति में सहायता करना।

ह बच्चे की ज्ञान की समझ और उसके अनुप्रयोग क्षमता का सतत् और पूर्ण मूल्यांकन।

30. परीक्षा और पूर्णता प्रमाण पत्र –

1. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2 सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

सफलता की कहानी

शिक्षा का अधिकार कानून हम सबका मित्र

ग्राम–लखुरी, विकासखण्ड–बह्मनीडीह, जिला–जांजगीर–चाँपा में जयकिशन नाम का 13 व ा का बालक मिला। वह ाला त्यागी बालक था। जयकिशन के माता–पिता पंजाब में मजदूरी करने गए थे। अतः उसने 3री तक की पढ़ाई वहीं पूरी कर ली। उसके बाद वे गाँव वापस आ गए। 3री कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र न होने के कारण प्रधानपाठक ने उसे चौथी कक्षा में दर्ज नहीं किया, बल्कि जयकिशन को पुनः पहली पढ़ने के लिए कहा। जयकिशन को अपने से छोटे बच्चों के साथ पढ़ने में संकोच हुआ और इस वजह से उसने पढ़ना ही छोड़ दिया। जबकि उसे पढ़ने की बहुत इच्छा थी।

चूँकि निः ुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालक को अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में सीधे दाखिला लेने का अधिकार है। अतः जयकिशन को भी 7वीं कक्षा में सीधे भर्ती कराने की बात की गई। पहले तो जयकिशन ने मना किया, लेकिन बाद में वह खुशी–खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। अब जयकिशन रोज स्कूल जाकर 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता है।

अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों से प्रश्न पूछेगें :–

प्र– क्या जयकिशन को पुनः कक्षा पहली से पढ़ना चाहिये था?

संभावित उत्तरः—..

प्र— क्या अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण—पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाना उचित है?

संभावित उत्तरः—..

प्र— क्या बड़े बच्चों को छोटे बच्चों के साथ पढ़ने में हीन भावना आती है ?

संभावित उत्तरः—..

प्र— क्या अंकसूची के अभाव में बच्चे को जीवन भर अनपढ़ ही रहना उचित है या उम्र के अनुसार कक्षा में भर्ती कराकर शिक्षित कर देना?

संभावित उत्तरः—..

प्र— तो क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी बच्चों को शिक्षा की मूलधारा से जोड़ने के लिए सार्थक है?

संभावित उत्तरः—..

प्र— निः ुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाने से सभी बच्चों को स्कूल में लाकर उनको उचित शिक्षा दी जा सकेगी ?

संभावित उत्तरः—..

प्र— निः ुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने एवं उचित क्रियान्वयन करने हेतु किनके सहयोग की आवश्यकता होगी ?

संभावित उत्तर—..

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से अपने गाँव की माइक्रोप्लानिंग फाईल पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे—

प्र— आपके गाँव की किन समस्याओं का समाधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है?

क्र	**ैक्षिक समस्याएँ**	**शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा समाधान**
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
4.	....	....
5.	....	....

निकर्ष— अतः शिक्षा का अधिकार कानून प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मूलधारा से जोड़ने, उन्हें गति एवं स्तरानुरूप शिक्षा देने तथा पालक, शिक्षक और समुदाय की मदद करने के लिये लागू किया गया है। अब 6—14 व र्ष के किसी भी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में बाधा नहीं आयेगी।

बालिका शिक्षा

उद्देश्यः–

1) बालिका शिक्षा के महत्व को बताना।

(2) 6–14 व र्ा के ात्–प्रतिशत् बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।

(3) लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कार्ययोजना निर्मित करना।

(4) बालिकाएँ सकारात्मक आत्मछवि बना सकें इसके लिए वातावरण निर्माण करना।

(5) बालक–बालिकाओं से संबंधित समाज में व्याप्त भ्रान्तियों एवं मान्यताओं को बदलना।

आवश्यक सामग्रीः–

कोरा कागज, ड्राइंग ीट, मार्कर, व्हाईट बोर्ड आदि।

गतिविधिः–

प्रशिक्षक प्रतिभागियों को अपनी–अपनी डायरी में 5–5 बच्चों के नाम लिखने को कहेंगे। तत्पश्चात् कुछ प्रतिभागियों से उनके द्वारा लिखे गये नामों को पढ़ने के लिए कहेंगे। प्रशिक्षक देखेंगे किः–

(1) प्रतिभागियों ने लड़कों का नाम ज्यादा लिखा है।

(2) लड़कों के नाम ुरूआत में ही लिखे हैं।

प्रश्नः– ऐसा क्यों हुआ?

संभावित उत्तरः– आज भी हमारी सोच में केवल बालक है, बालिकाएँ हैं ही नहीं।

प्रश्नः– इस सोच के कारण शिक्षा पर क्या विपरीत प्रभाव दिखाई देता है?

संभावित उत्तरः–

(1) बालिकाओं की शिक्षा पर विशे ा ध्यान नहीं दिया जाता है।

(2) बालिकाओं को बालकों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है।

(3) बालिकाओं की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी जाती है।

(4) बालिकाओं के विवाह तथा बालकों के भवि य पर चिन्ता की जाती है।

(5) बालिकाओं को आवश्यकता से अधिक संरक्षण दिया जाता है जिससे उनमें आश्रितता की भावना उत्पन्न होती है और वह आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं।

(6) अपने भवि य के निर्णय स्वयं नहीं ले पातीं।

(7) कार्यों का बँटवारा योग्यता को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि लिंग को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(8) बालिकाओं की तुलना में बालकों को अधिक अवसर प्रदान किया जाता है।

प्रश्नः– हमारे समाज में कौन–कौन सी जेण्डर (लिंग) सम्बन्धी भ्रान्तियाँ दिखाई देती हैं?

सम्भावित उत्तरः–

1) लड़के एवं लड़कियाँ समूह में एक साथ नहीं रह सकतीं।

2) लड़कियाँ वह काम नही कर सकतीं जो लड़के करते हैं।

3) झाडू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन माँजना, पानी भरना, कपड़े धोना, खाना पकाना जैसे काम केवल

लड़कियाँ ही करेंगी लड़के नहीं।

4) लड़कियाँ तो पराया धन होती हैं।

5) लड़के तो कुल–दीपक होते हैं लड़कियाँ नहीं।

6) लड़कियाँ ज्यादा पढ़–लिख लेंगी तो उनके विवाह में बाधा आयेगी।

7) लड़कियों को पढ़ा–लिखाकर कौन–सी हमें उन्हें नौकरी करवानी है।

8) लड़की पढ़ने जायेगी तो घर का काम कौन करेगा?

9) माता–पिता का अन्तिम संस्कार यदि बेटा करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी।

10) लड़कियाँ पढ़–लिखकर क्या करेंगी, उन्हें तो चूल्हा ही फूँकना है।

11) लड़की नौकरी करेगी तो क्या पैसा माँ–बाप को देगी?

12) लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक घूमने–फिरने की छूट दी जाती है।

एकांकी

पात्र परिचयः– मधु, रानी, रानी के पिताजी, मधु के पिताजी, रानी की माता, मधु की माता, गाँव का शिक्षक, सामाजिक अध्यक्ष।

(बिलासपुर के बिल्हा विकासखण्ड के मोहतराई गाँव में मधु और रानी नाम की दो सहेलियाँ रहती थीं। दोनों कक्षा 5वीं में पढ़ती थीं। एक दिन की बात है, जब दोनों खुशी–खुशी अपना परीक्षा परिणाम लेकर अपने–अपने घर पहुँचीं।)

(पहला दृश्य)

मधुः– माँ! माँ! मैं पास हो गई।

मधु की माँः– (हँसते हुए) पास हो गई बेटी, मै अभी तुम्हारे पिताजी को बताती हूँ। (पिताजी की ओर जाती हुई कहती है) अजी! सुनते हो।

मधु के पिताजीः– बोलो भाग्यवान! अब क्या हो गया?

मधु की माँः– अजी! हमारी लाडली पास हो गई, अब इसे आगे भी पढ़ाते है।

मधु के पिताजीः–बस करो, बड़ी आई पढ़ाने वाली। क्या इस गाँव में कोई बेटी को आगे भी पढ़ाया है?

(मधु छुपकर यह सब सुन रही थी इससे उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं क्योंकि वह पढ़ना चाहती थी। उसके सपने टूट जाते हैं और मधु की माँ भी उदास हो जाती है।)

(दूसरा दृश्य)

रानीः– (हँसते हुए माता–पिता के पास पहुँचती है) पिताजी! पिताजी! मैं पास हो गई।

रानी के पिताजीः–ठीक है अच्छा हुआ, जाओ माँ से बोलो तुम्हे घर का काम सिखाएगी (रानी उदास होकर चली जाती है और अपनी माँ के साथ कार्य में लग जाती है।)

(तीसरा दृश्य)

(विद्यालय के प्रधान पाठक घूमते हुए मधु के घर पहुँचते है)

गुरूजीः– (मधु के पिताजी से कहते है) मधु कक्षा में प्रथम आई है, इसे आगे की पढ़ाई जरूर करवाइए।

मधु के पिताजीः—नहीं गुरूजी! मधु अब आगे नहीं पढ़ेगी। हमारे समाज मेंआज तक कोई भी लड़की आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गाँव नहीं गयी।

गुरूजीः— (शिक्षा के महत्व को समझाते हुए) देखो भाई! मधु पढ़ेगी—लिखेगी तो अपना जीवन अच्छे से बिताएगी और समाज मेंअपना स्थान बना पाएगी।

मधु के पिताजीः—ठीक है गुरूजी! आप बोलते हैंतो मैंमधु को आगे पढ़ाऊँगा। उसको निकट गाँव के स्कूल में प्रवेश दिलाऊँगा। पर गाँव और समाज वाले क्या कहेंगे? (शिक्षक के बार—बार समझाने पर आखिरकार मधु के पिताजी मधु को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गाँव भेज देते हैं।)

(इसी प्रकार प्रधानपाठक रानी के पिताजी को भी समझाते हैं लेकिन वे रानी को पढ़ाने से साफ मना कर देते हैं।)

(चौथा दृश्य)

समाज का मुखियाः—(मधु के पिताजी से) मधु कहाँ गई है? आखिर तुमने उसे दूसरे गाँव मेंपढ़ाई के लिए भेज ही दिया। हे राम!!! न जाने वहाँ क्या होगा?

मधु के पिताजीः—नहीं मुखिया जी! मेरी बेटी पढ़ेगी। मैंउसे अधिकारी बनाऊँगा। (इतना सुनकर समाज का मुखिया झल्लाते हुए अपने घर की ओर चला जाता है।)

(पाँचवा दृश्य)

(12 व[illegible] बाद)

(मधु अधिकारी बनकर अपने गाँव लौटती है। सभी गाँव वाले उसका स्वागत और सम्मान करते हैं। मधु के पिताजी का सिर गर्व से ऊँचा हो जाता है।)

रानीः— अच्छा हुआ बहन! तुम पढ़—लिखकर बड़ी अधिकारी बन गई हो। अब इन गाँव वालोंको तुम ही समझाओ ताकि मेरी तरह गाँव की अन्य लड़कियाँ पढ़ाई से वंचित न रहें।

रानी के पिताजीः—(रोते हुए) क्यों मैंने अपने बेटी को आगे नहीं पढ़ाया?

मधु— हमेंगाँव के सभी बालक—बालिकाओंको पढ़ना—लिखाना चाहिए। ताकि स्वावलंबन आए और बेटा—बेटी एक समान हो।

(पर्दा गिरता है)

आइये जरा सोचें—

:— क्या कभी किसी पालक नेअपनी बेटी के नाम पर कोई जमीन—जायदाद या कोईअचल सम्पत्ति खरीदी है? अथवा अपने जायदाद में बिना कहे बेटियों को बेटों के समान हक स्वेच्छा से दिया है?

:— अपने ही बच्चों के साथ इतना भेद—भाव क्यों? क्या ये सही है?

:— क्या हम एक आदर्श पालक बन पाए?

:— हममें से कितने लोगों ने बेटी के जन्म होने के पश्चात् नसबन्दी करवा ली?

:— हर साल हजारों की संख्या में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। क्या यह सही है?

:— क्या हमारी बेटियों के मन में कभी यह सवाल नहीं आयेगा कि हमारे पालकों ने हमारे साथ कितना बड़ा

अन्याय किया है?

आइये, कुछ और विचार करते हैं–

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से महिला एवं पुरू ा के कार्यों को पूछकर बोर्ड पर अलग–अलग खण्ड में लिखते जायेंगे।

महिला के कार्य	**पुरू ा के कार्य**

इसके बाद प्रशिक्षक महिला एवं पुरू ा द्वारा किये जाने वाले कार्यों की तुलना करके बतायेंगे कि महिलाएँ भी उतना ही कार्य करती है जितने कि पुरू ा।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से माइक्रोप्लानिंग की फाईल पढ़कर विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के बारे में जानकारी लेंगे और उन्हें विद्यालय तक लाने के लिये कार्ययोजना का निर्माण करेंगे।

कार्य योजना

क्र.	**बालिका का नाम के कारण**	**स्कूल न आने रणनीति**	**ाला में लाने की**	**जिम्मेदारी**	**कब तक**
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....

नि क ा– बालक एवं बालिकाओं के साथ समानता का व्यवहार करते हुए बालिकाओं को आगे लाने के लिए सरपंच, पालक एवं समुदाय को संवेदनशील होना होगा।

तत्पश्चात् प्रशिक्षक एवं सभी प्रतिभागी **' बेटी हूँ मैं बेटी'** गीत गायेंगे।

समावेशी शिक्षा

उद्देश्यः–

1) विशे ा आवश्यकता वाले बच्चोंकी कठिनाइयोंसेअवगत कराना।
2) विशे ा आवश्यकता वाले बच्चोंकी शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाना।
3) विशे ा आवश्यकता वाले बच्चोंको दी जाने वाली सुविधाओंसेअवगत कराना।
4) विशे ा आवश्यकता वाले बच्चोंके प्रति समाज मेंविद्यमान भ्रांतियोंको दूर करना।
5) विशे ा आवश्यकता वाले बच्चोंको शिक्षा की मूलधारा से जोड़ने हेतु कार्ययोजना निर्मित करना।
6) विशे ा आवश्यकता वाले बच्चोंकी शिक्षा एवं सहयोग के लिए समाज को जागृत करना।

आवश्यक सामग्रीः– सुतली 1 फीट, लकड़ी का डंडा, आँख को बाँधने के लिए काली पट्टी।

गतिविधिः–

प्रशिक्षण मेंउपस्थित कुछ व्यक्तियोंके हाथ को कोहनी के पास से लकड़ी का डंडा लगा कर बाँध दें, कुछ व्यक्तियों के आँखों में पट्टियाँ बाँध दें, कुछ व्यक्तियों के पैर को घुटने के पास लकड़ी के डंडे से बाँध देंऔर कम से कम 10 मिनट बँधे रहने दें। समावेशी शिक्षा के उद्देश्योंपर चर्चा ुरू कर दें।

बीच–बीच मेंउन्हें कुछ सामान एक दूसरे को देने को कहें तथा स्थान परिवर्तन कराएँ।

10 मिनट पश्चात् उनके हाथ, पैर व आँखों में बँधी पट्टियों व लकड़ी के डंडों को खोल दें।

चर्चा के बिन्दुः–

(1) आपने पिछले 10 मिनट मेंकैसा महसूस किया?

संभावित उत्तर.....

(2) आपको सामग्री को यहाँ से वहाँ लाने, ले जाने मेंकिस तरह की कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा?

संभावित उत्तर.....

(3) क्या आप इसी तरह के दूसरे खेल (गतिविधि) मेंभाग लेना चाहेंगे?

संभावित उत्तर.....

(4) अगर आपका हाथ, पैर या आँख न हो तो कैसा लगेगा?

संभावित उत्तर.....

(5) जो बच्चे निःशक्त होते हैंउन्हें किस तरह अपनी दिनचर्या गुजारनी पड़ती होगी?

संभावित उत्तर.....

(6) आपका व्यवहार निःशक्त बच्चोंके साथ कैसा होता है?

संभावित उत्तर.....

(7) क्या आपकी जरूरतेंऔर निःशक्त बच्चोंकी जरूरतें जीवनयापन करने के लिए भिन्न है?

संभावित उत्तर.....

(8) क्या इन बच्चोंको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है?

संभावित उत्तर.....

आइये, विकलांगता के प्रकारों को जानें:—

1. दृष्टिहीन
2 कम दिखाई देना
3 श्रवण दोष
4 अस्थिबाधित दोष
5 मानसिक विकलाँग
6 बहुविकलाँग

प्रश्नः— क्या इस प्रकार के निःशक्त बच्चे आपके गाँव में है?

संभावित उत्तर..........

प्रश्नः— हमारा व्यवहार इन बच्चों के प्रति कैसा है?

संभावित उत्तर..........

प्रश्नः— क्या ये निःशक्त बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं?

संभावित उत्तर..........

प्रश्नः— क्या उनके कार्य—व्यवहार तथा उनकी आवश्यकता को आपने महसूस किया हैं?

संभावित उत्तर..........

सफलता की कहानी

(1) सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं अभिनेत्री है। उनका एक पैर दुर्घटना के कारण काटा जा चुका था, लेकिन नकली पैर लगाकर सुधा ने अपनी कमजोरी को शक्ति बनाया और एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आई।

(2) जांजगीर—चाँपा जिले के ग्राम बलौदा की रहने वाली अंजनी पटेल एक कुशल तैराक है। उनका चयन दिल्ली कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए हुआ है। अंजनी पटेल पैरालिंपिक कॉमन वेल्थ में 50 मीटर और 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी (इवेंट) में भाग ली।

(3) ज्योति चंद्राकर नेत्रहीन है, जो बागबहरा ब्लॉक के घुंचापाली में शिक्षिका के रूप में पदस्थ है और कुशलतापूर्वक अध्यापन कार्य कर रही है।

(4) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम—मेड़की के बसन्त हिरवानी के दोनों हाथ नहीं हैं। वे पढ़ाई में सामान्य से अच्छे थे। पैरों से लिखने के बावजूद वे वर्ष 1980—81 की सुलेख प्रतियोगिता में पूरे मध्यप्रदेश में प्रथम रहे। उन्हें राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वर्तमान में बसंत हिरवानी तहसील कार्यालय बालोद में क्लर्क हैं।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए :—

(1) समुदाय क्या सहयोग कर सकता है?

संभावित उत्तर..........

(2) शाला विकास एवं प्रबंधन समिति कैसे सहयोग कर सकती है?

संभावित उत्तर.....

(3) स्वयं सेवी संस्थाएँ क्या कर सकती है?

संभावित उत्तर.....

(4) आँगनबाड़ी कार्यकर्ता व अन्य स्थानीय अधिकारी क्या कर सकते है?

संभावित उत्तर.....

(5) शिक्षक उनकी मदद कैसे कर पायेंगे?

संभावित उत्तर.....

(6) ग्राम पंचायत इन बच्चों के लिए क्या कर सकती है?

संभावित उत्तर.....

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ:–

:– विकलांग छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क चिकित्सा, यात्रा–भाड़ में छूट, निःशुल्क कृत्रिम उपकरण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुरक्षित स्थान, मूक बधिर व दृ ि टहीनों को परीक्षा ुल्क में छूट, नेत्रहीनों को सहायक की सुविधा, सेवा आयु में एवं 6 प्रतिशत आरक्षित स्थान।

केन्द्रीय ासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ:–

दृ ि टहीन व अस्थि बाधितों को यात्राा के समय सहायक के साथ रेल किराया में छूट, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ोध कार्यों के लिए छात्रवृत्ति एवं आरक्षण, ासकीय सेवाओं में आरक्षण, दृ ि टहीनों के उपयोगी साहित्य की दरों में छूट, नेत्रहीनों को घरेलू उड़ान व समुद्री यात्रा में विशे ा छूट।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से अपने गाँव की माईक्रोप्लानिंग फाईल पढ़कर निम्न कार्य योजना बनाने को कहेंगे:–

कार्य योजना

क्र.	विशे ा आवश्यकता वाले बच्चों के नाम	ाला न आने के कारण	ाला लाने हेतु योजना	जिम्मेदारी	कब तक
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....

नि कर्ष–

विशे ा आवश्यकता वाले बच्चे हमारे समुदाय के महत्वपूर्ण अंग है। इनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दायित्व भी सरपंच, ाला विकास एवं प्रबन्धन समिति, कक्षा मूल्यँाकन समिति, पालक एवं शिक्षक का है।

अनुदान राशियों की जानकारी

उददेश्यः—

1) शैक्षिक विकास के लिये ाासन से प्राप्त होने वाली राशियों के संबंध में जानकारी देना।
2) राशि के सही उपयोग के वि ाय में जानकारी देना।
3) विभिन्न ैक्षिक योजनाओं की जानकारी देना।
4) योजनाओं के क्रियान्वयन में समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करना।

आवश्यक सामग्रीः—

व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, अनुदान राशियों की जानकारी देने वाला चार्ट।

विधिः— प्रश्नोत्तर एवं चर्चा विधि।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से प्रश्न करें—

1) क्या आपको मालूम है कि ाासन के द्वारा विद्यालय के विकास के लिये राशि प्रदान की जाती है?
संभावित उत्तर.....

2) क्या आपको मालूम है कि विद्यालय के विकास के लिए ाासन द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है?
संभावित उत्तर.....

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से उत्तर प्राप्त करते हुए ाासन द्वारा ैक्षिक मदों में दी जाने वाली अनुदान राशियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दें।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त होने वाली राशियाँ

क्र	उद्देश्य	राशि
1)	प्रत्येक बसाहट / बस्ती के लिए 1 कि.मी. के भीतर नवीन प्राथमिक ाला भवन निर्माण हेतु।	4.17 लाख रूपये
2)	प्रत्येक 3 कि.मी. या दो प्राथमिक ालाओं के बीच में पूर्व माध्य. ाला भवन निर्माण हेतु।	4.35 लाख रूपये
3)	बच्चों की संख्या के अनुपात में अतिरिक्त कक्षा निर्माण हेतु।	2.00 लाख रूपये
4)	जिन विद्यालयों में ौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ उस सुविधा को सुनिश्चित करने हेतु।	
	एक यूनिट के लिए	20 हजार रूपये
	दो यूनिट के लिए	40 हजार रूपये
5)	शिक्षण अधिगम उपकरण क्रय हेतु। (सिर्फ एक बार)	
	नवीन प्राथमिक विद्यालय	10 हजार रूपये
	नवीन पूर्व माध्य. विद्यालय	50 हजार रूपये
6)	ाला मरम्मत एवं अनुरक्षण अनुदान (नव निर्मित भवन वाले विद्यालय को यह राशि 3 व ा के बाद ही स्वीकृत की जाती है)।	7.5 हजार रूपये

7)	ाला अनुदान।	
	प्राथमिक ाला हेतु	5 हजार रूपये
	पूर्व माध्य. विद्यालय हेतु	7 हजार रूपये
	(व ार्मेएक बार)	
8)	शिक्षक अनुदान।	500 रूपये
	विद्यालय मेंसहायक शिक्षण सामग्री निर्माण कर अध्यापन को प्रभावी बनाने हेतु कार्यरत प्रति शिक्षक को प्रतिव ार्ष दी जाने वाली राशि।	
9)	किचन ेड निर्माण।	60 हजार रूपये
10)	आवश्यकता वाले विद्यालयों मेंचरणबद्ध तरीके से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी (पी.एच.ई) विभाग के माध्यम से।	पेय जल व्यवस्था
11)	विशे ा आवश्यकता वाले बच्चोंके लिए प्रति बच्चे प्रतिव ार्ष जिला परियोजना कार्यालय के माध्यम से व्यय की जाने वाली राशि। (इसका उपयोग विशे ा आवश्यकता वाले बच्चोंके सर्वेक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, उपकरण क्रय, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा जैसे अन्य मदों मेंव्यय किया जाता है)	1250 रूपये
12)	रैम्प निर्माण	5 हजार रूपये

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से प्रश्न करें

1) इन राशियोंका उपयोग आपके गाँव के विद्यालय मेंकिस प्रकार किया जाता है?

संभावित उत्तर.....

2) सभी राशियों का उपयोग निर्धारित कार्य के लिए होता है या नहीं?

संभावित उत्तर.....

3) क्या इन राशियों के उपयोग हेतु आप शिक्षक को परामर्श देते हैं?

संभावित उत्तर.....

4) क्या प्रत्येक मासिक बैठक मेंइन राशियोंके आय–व्यय की समीक्षा की जाती है?

संभावित उत्तर.....

5) क्या आपको पता है कि आपके स्कूल मेंकिन–किन चीजोंकी आवश्यकता है?

संभावित उत्तर.....

6) क्या आवश्यकता के अनुसार अनुदान राशि खर्च करने मेंआप शिक्षक की मदद करते हैं?

संभावित उत्तर.....

अनुदान राशियों के उपयोग हेतु कार्ययोजनाः–

1. ाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक आयोजित कर प्राप्त अनुदान राशियों की जानकारी देना।
2. ाला की आवश्यकताओं की प्राथमिकता के अनुसार खर्च करने की अनुमति प्राप्त करना।
3. 5 हजार रूपये से अधिक मूल्य की सामग्री खरीदने पर एक से अधिक फर्म से मूल्य सूची लेते हैं।
4. न्यूनतम मूल्य सूची के फर्म को सामग्री प्रदाय हेतु प्रस्ताव किया जाता है।
5. सामग्री प्राप्त होने के पश्चात् भौतिक सत्यापन कर राशि का भुगतान किया जाता है।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से माईक्रोप्लानिंग फाईल देखकर ाला के आवश्यकता अनुसार अनुदान राशियों के खर्च की कार्य योजना बनाने को कहेंगे।

कार्य योजना

क्र.	मद	आवश्यकताएँ	राशि	अधिकृत व्यक्ति
1.	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....

नोट:– सरपंच को ाला विकास एवं प्रबंधन समिति, कक्षा मूल्यांकन समिति और समुदाय के साथ मिलकर अनुदान राशि के उचित उपयोग हेतु कार्ययोजना का निर्माण करना होगा एवं समय–समय पर सामाजिक अंकेक्षण हो यह सुनिश्चित करना होगा।

ाला विकास एवं प्रबंधन समिति, कक्षा मूल्यांकन समिति का गठन और कार्य

उद्देश्यः—

(1) ाला विकास एवं प्रबंधन समिति, कक्षा मूल्यांकन समिति के गठन एवं उनके कार्यों की जानकारी देना।

(2) ाला के संचालन एवं प्रबंधन में सहयोग करने हेतु प्रेरित करना।

(3) ाला की ैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए कार्ययोजना बनाना एवं सतत् मॉनीटरिंग करना।

(4) बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

आवश्यक सामग्रीः— 6 ड्राईंग ीट, 12 स्कैच पेन, मार्कर, व्हाईट बोर्ड आदि।

वातावरण निर्माणः— मानव श्रृंखला खेल—

सभी प्रतिभागियों को 8—8 के समूह में बाँटेंगे। 6 व्यक्तियों को एक—दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। उसके पश्चात् सभी लोगों को हाथ छोड़े बिना गुत्थमगुत्थी होने को कहेंगे।

अन्य दो व्यक्ति कलेक्टर और नेता बनकर गुत्थी को सुलझाने के लिए बाहर से परामर्श देंगे।

लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे और आपसी सलाह विमर्श कर एवं योजना बनाकर अपनी गुत्थी स्वयं सुलझायेंगे।

प्रशिक्षक खेल के दौरान यह देखेंगे कि किस समूह ने पूरी योजना बनाकर, आपसी सलाह विमर्श से एवं नेतृत्व करके गुत्थी सुलझाई।

टीपः— पूरे खेल के दौरान कोई भी व्यक्ति अपनी श्रृंखला नहीं तोड़ेंगे।

खेल के पश्चात् प्रशिक्षक प्रतिभागियों से पूछें कि इस खेल से उन्होंने क्या सीखा।

गतिविधिः— प्रशिक्षक प्रतिभागियों को नीचे लिखे चार्ट का उपयोग करते हुए उनके गठन, कार्यकाल, बैठक, कार्य एवं समिति गठन करने हेतु विभिन्न ार्तों की जानकारी सविस्तार देंगे।

ति का	पदाधिकारी	समिति संख्या	कार्यकाल	बैठक	कार्य	समिति निर्माण की ॉर्तें
ार मूल्यांकन णवत्ता विकास ी, कक्षा समिति	अध्यक्ष–पालक सदस्य सचिव–कक्षा शिक्षक सदस्य–पालक सदस्य सदस्य–पालक सदस्य	प्रा.शा. में 05 कक्षा पहली का का सितम्बर तक ो ा जुलाई में मा.शा. में 03 6वीं सितम्बर तक ो ा जुलाई में	1व ा	प्रत्येक माह कुल 10	1. बच्चों का ात–प्रतिशत् नामां–कन। 2. नियमित उपस्थिति व ठहराव। 3. ैक्षिक समस्याओं का चिन्हांकन एवं विश्ले ाण। 4. ैक्षिक गतिविधियों में सहयोग व निगरानी। 5. मूल्यांकन कार्यों में सहयोग। 6. ैक्षिक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान। 7. बच्चों के ैक्षिक स्तरों की समीक्षा। 8. स्तर सुधार हेतु कार्य योजना निर्माण व क्रियान्वयन में सहयोग। 9. ैक्षिक गतिविधियों एवं अन्य कार्यों में सहयोग। 10. ैक्षिक योजनाओं का प्रचार–प्रसार।	1. प्रत्येक कक्षा के लिए अलग–अ 2. बच्चों के स्तरानुसार ए.बी. सी. प्रत्येक वर्ग के एक बच्चे के पालक सदस्य के रूप में मनोनीत किया 3. कक्षा में 20 से कम बच्चे होने प 3 पालक सदस्य हों। 4. इनका मनोनयन सरपंच / अध्य पाठक मिलकर करें। 5. मनोनीत सदस्यों में आधी संख्य की होगी। 6. कक्षा में एस.सी., एस.टी. या अ समुदाय के बच्चे होने पर उनके मनोनयन अनिवार्य होगा। 7. कक्षा समिति हर व ा बदली ज

ा प्रबंधन एवं िकास समिति ुख समिति	अध्यक्ष–अध्यक्ष/सरपंच/ प्रति ठित व्यक्ति। सचिव– प्रधान पाठक को ाध्यक्ष–वरि ठ शिक्षक सदस्य–पा द/पंच सदस्य–पा द/पंच सदस्य–1ली –अध्यक्ष सदस्य–2री –अध्यक्ष सदस्य–3री –अध्यक्ष सदस्य–4थी –अध्यक्ष सदस्य–5वी –अध्यक्ष सदस्य–युवा/युवती सदस्य–युवा/युवती सदस्य–युवा/युवती	01	03व ा	सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक 3माह में कुल 4 बार। आवश्यकता पड़ने पर और भी बुलाई जा सकती है।	बच्चों का ात–प्रतिशत् नामांकन डोर–टू–डोर सर्वे में सहयोग नियमित उपस्थिति एवं ठहराव में सहयोग। ालेय उपलब्धियों एवं समस्याओं के चिन्हांकन करने व स्थानीय स्तर पर हल करने में सहयोग। ालेय प्रबंधन व ैक्षिक कार्यों में सहयोग। निर्माण कार्यों में सहयोग एवं निगरानी। कार्ययोजना निर्माण व क्रियान्वयन में सहयोग। ैक्षिक योजनाओं का प्रचार–प्रसार शिक्षकों की अनुपस्थिति में ाला संचालन की व्यवस्था। मध्यान्ह भोजन का सुचारू रूप से संचालन व्यवस्था। ाला भवन, ौचालय, पेयजल की व्यवस्था करने में सहयोग।	ग्राम पंचायत में एक ही स्कूल होने अथवा कोई प्रति ठित व्यक्ति इस अध्यक्ष होंगे। सरपंच की सहमति सदस्य अध्यक्ष का चयन करेंगे। ग्राम पंचायत में एक से अधिक स् पर सरपंच समिति के अध्यक्ष होंगे पंचायत के अन्य गाँव/मजरा अ में स्थित स्कूलों के समितियों में स अध्यक्ष होंगे, जिनका मनोनयन स किया जायेगा। स्कूल स्थित गाँव/मजरा/टोला सरपंच/पंच न होने की स्थिति में द्वारा मनोनीत नजदीक के गाँव/म के पंच समिति के अध्यक्ष होंगे। नगरीय निकायों/शहरी निकायों में स्थानीय पा द/प्रति ठित व्य होंगे। पा द की सहमति से समिति अध्यक्ष का चयन करेंगे। प्रधान पाठक पदेन सचिव होंगे। को ाध्यक्ष–समिति के सचिव द्वारा ाला का वरि शिक्षक होगा। अन्य सदस्य– गाँव/मजरा/टोल

				अनुदान राशियों के उचित उपयोग हेतु सलाह एवं व्यय मेंसहयोग। समुदाय के बीच ग्राम सभा मैं सामाजिक अंकेक्षण मेंसहयोग। शिक्षकोंकी ाला संचालन में अनियमितता अनुपस्थिति पर निगरानी। शिक्षकोंके वेतन भुगतान पत्र मेंहस्ताक्षर। शिक्षकोंकेअवकाश आवेदन पत्र काअग्र ाप। प्रत्येक व िके ुरू मेंसत्रांत तक प्राप्त की जानी वाली गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का विज़न तैयार करना। प्रत्येक सप्ताह शिक्षकोंको 45 घण्टे कार्य करने को सुनिश्चित करना। प्राथमिक ाला मेंबच्चोंके लिए प्रतिव ि200 दिन अथवा 800 घण्टे एवं उच्च प्राथमिक ाला के के लिए 220 दिन अथवा 1000 घण्टे ैक्षिक अवधि सुनिश्चित करना।	निर्वाचित पंचोंमें से अधिकतम सभी कक्षा समितियोंके अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होंगे। संबंधित गाँव / मजरा / टोला के अ.ज.जा., अ.जा. तथा अल्प संख्य के बच्चे पढ़ते हैं तो इन समुदायों कम एक–एक सदस्य अवश्य हों समुदायों के लोगोंका प्रतिनिधित्व हो तो पुनः लेने की आवश्यकता ैक्षिक गतिविधियोंमेंरूचि रखने मनोनीत युवा (अधिकतम आयु सीम जिनमेंकम से कम एक युवती क अनिवार्य होगा, समिति के सदस्य समिति मेंसदस्योंकी संख्या में5 महिलाएँ होंगी।

मध्यान्ह भोजन

उद्देश्यः–

1– मध्यान्ह भोजन संचालित करने के उद्देश्यों की जानकारी देना।

2– मध्यान्ह भोजन में पौि टक भोजन देने हेतु सरपंचों को संवेदनशील करना।

3– मध्यान्ह भोजन द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों की जानकारी देना।

4– मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना।

5– मध्यान्ह भोजन से मिलने वाले लाभों की जानकारी देना।

आवश्यक सामग्रीः– ब्लैक बोर्ड, चॉक, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ड्राईंग ीट

विधिः– चर्चा एवं प्रश्नोत्तर विधि।

चर्चा के बिन्दुः–

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगेः–

प्रश्नः– क्या आपको पता है कि विद्यालय में मध्यान्ह भोजन क्यों दिया जाता है?

संभावित उत्तर–

(1) 6–14 आयु वर्ग के बच्चों का ात्– प्रतिशत् नामांकन

(2) ाला में दर्ज बच्चों की नियमित उपस्थिति।

(3) ाला समय तक बच्चों का ठहराव।

(4) ारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए गुणवत्तायुक्त पौि टक आहार।

(5) गरीब परिवार के लिए सहयोग।

(6) सभी बच्चों में समानता का भाव जागृत करना।

(7) बच्चों को घर जैसा वातावरण प्रदान करना।

प्रश्नः– क्या भोजन मीनू के अनुसार बनता है?

संभावित उत्तर...

प्रश्नः– मध्यान्ह भोजन में क्या–क्या देते हैं?

संभावित उत्तर...

प्रश्नः– प्रत्येक बच्चे को कितना चावल मिलता है?

संभावित उत्तर...

प्रश्नः– सब्जी के लिए कितने रूपये निर्धारित हैं?

संभावित उत्तर...

आइए इनके बारे में और अधिक जानकारी लें–

खाद्यान्न मानक–

खाद्य पदार्थ	**खाद्यान्न मानक (प्रति छात्र, प्रतिदिन निर्धारित मात्रा)**	
	प्राथमिक	**उच्च प्राथमिक**
अनाज (चॉवल)	100 ग्राम	150 ग्राम
दाल	20 ग्राम	30 ग्राम
सब्जी (पत्तीदार सहित)	50 ग्राम	75 ग्राम
तेल तथा घी	05 ग्राम	07.5 ग्राम
नमक तथा मसालें	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
सब्जी एवं मसालें हेतु	03.30 रूपया	04.00 रूपया

पो□क तत्व–

पो ाक तत्व	प्रथमिक	उच्च प्रथमिक
कैलोरी	450	700
प्रोटीन	12	20

सूक्ष्म पो ाक तत्व, आयरन, फालिक एसिड, विटामिन ए व आयोडीन आवश्यकतानुसार

प्रश्नः– क्या रसोईया द्वारा पर्याप्त भोजन बनाया जाता है?

संभावित उत्तर.....

प्रश्नः– क्या बच्चे मध्यान्ह भोजन करने से पहले साबुन से हाथ व थाली धोते हैं?

संभावित उत्तर.....

प्रश्नः– क्या बच्चे भोजन करने पंक्ति में बैठते हैं?

संभावित उत्तर.....

प्रश्नः– क्या रसोई का कमरा साफ–सुथरा होता है?

संभावित उत्तर.....

प्रश्नः– क्या शिक्षक प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन चखकर देखते हैं?

संभावित उत्तर.....

प्रश्नः– क्या रसोईया बच्चों को प्रेमपूर्वक भोजन कराता है?

संभावित उत्तर.....

प्रश्नः– आपके गाँव में मध्यान्ह भोजन का अवलोकन कौन–कौन करते है?

संभावित उत्तर.....

प्रश्नः– क्या आपने कभी मध्यान्ह भोजन खाकर देखा है ?

संभावित उत्तर.....

प्रश्नः– मध्यान्ह भोजन को और अधिक गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए क्या–क्या किया जा सकता है?

संभावित उत्तर.....

प्रश्नः– आपके गाँव में मध्यान्ह भोजन को और अधिक गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए समुदाय द्वारा कौन–कौन से कार्य किये जाते हैं?

संभावित उत्तर.....

आइये एक कहानी सुनें

सफलता की कहानी

–: एक मुट्ठी चावल का कमाल :–

धमतरी जिले में एक गाँव है मैनपुर। यहाँ के प्रत्येक परिवार की महिलाएँ रात्रि में भोजन बनाने के पूर्व एक मुट्ठी चावल निकालकर एक मटका में डालती जाती हैं। जब मटका भर जाता है तो उस चावल को विद्यालय में दान कर देते हैं। प्रत्येक परिवार से एकत्र किए गए चावल से बच्चों को पर्याप्त भोजन दिया जाता है। विद्यालय में आने वाले अतिथियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाती है। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा ाला परिसर के पीछे जमीन के कुछ हिस्से को घेरकर बाड़ी बनाया गया है। बाड़ी में समुदाय द्वारा साग–सब्जियाँ उगाई जाती हैं जिससे बच्चों के लिए ताजी सब्जियाँ व सलाद भी उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार बच्चों को ताजा और पौ ि टक भोजन मिलता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है।

इसी प्रकार सरगुजा जिले में भी एक गाँव है, गाँगीकोट (खास)। यहाँ मध्यान्ह भोजन के लिए समुदाय द्वारा हरी सब्जियों का इंतजाम किया जाता है। साथ ही समुदाय के द्वारा त्यौहार विशे ा पर खाना पकाकर खिलाया जाता है। जिसके कारण वहाँ आज तक मध्यान्ह भोजन एक दिन भी बंद नहीं हुआ।

अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों से पूछेंगेः–

प्रश्नः– क्या ऐसा कार्य आपके गाँव में हुआ है?

यदि नहीं तो,

क्या ऐसा कार्य किया जा सकता है?

संभावित उत्तरः– .....

यदि हाँ तो मध्यान्ह भोजन की सफल संचालन में निम्नलिखित की क्या –क्या भूमिकाएँ होंगी–

छात्र	शिक्षक	सरपंच	समुदाय	अन्य

प्रश्नः– आपके गाँव के विद्यालय में बच्चों की दर्ज संख्या 200 है तथा आज की उपस्थिति 175 है तो मध्यान्ह भोजन में चावल, दाल एवं सब्जी कितनी मात्रा में पकेगी?

उत्तरः– .....

प्रश्नः– अपने गाँव के स्कूल के लिए मध्यान्ह भोजन हेतु साप्ताहिक मीनू तैयार करें।

उत्तरः– .....

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से अपने गाँव के स्कूल में गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन के संचालन में आने वाली समस्याओं का चिन्हांकन कर उनके निदान के लिए कार्ययोजना तैयार करवाएँ।

कार्ययोजना

क्र.	समस्याएँ	समाधान	क्रियान्वयन	निगरानी
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....	.....
6.	.....	.....	.....	.....
7.	.....	.....	.....	.....

निष्कर्षः–

बच्चों को गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने में सरपंच एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अतः सरपंच एवं समुदाय की जवाबदारी है कि मध्यान्ह भोजन प्रतिदिन मीनू के अनुसार और गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए। जिससे बच्चों को पर्याप्त पो ाक तत्व प्राप्त हो सके।

गाँव के प्रत्येक बच्चे अपने बच्चे हैं।
इन्हें शिक्षित करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।

निर्माण कार्य में ाला विकास एवं प्रबंधन समिति की भूमिका

उद्देश्यः—

(1) निर्माण प्रक्रिया से अवगत कराना।

(2) निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्रों की जानकारी से अवगत कराना।

(3) निर्माण कार्य के लिए कार्य योजना बना पाने की क्षमता विकसित करना।

आवश्यक समाग्रीः— ड्राईंग ीट, स्केच पेन, स्केल पट्टी, रस्सी, चूना, सुई—धागा।

गतिविधिः— कुर्सी दौड़, छोटी सुई में धागा डालना।

निर्देशः— उक्त खेलों को कमरों मे न कराया जाए तथा खेलों के उपरांत कमरों के पंखों को कुछ समय तक बंद रखा जाए।

परिचर्चाः— कमरों मे बैठने के उपरांत प्रतिभागियों से पूछें कि—

1. यह खेल आपको कैसा लगा?
2. खेलने का स्थान एवं समय कैसा था?
3. कमरे में आने के बाद किस चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा महसूस हुई और क्यों?
4. क्या आप यह चर्चा धूप या बरसात में बैठकर करना चाहेंगे?

सफलता की कहानी

बात सरगुजा जिले के प्रतापपुर विकासखण्ड के गोंदा ग्राम पंचायत के पूर्व माध्य.शाला की है। व र्ा 2008—09 में स्कूल के छात्रों की उपस्थिति 30—40 प्रतिशत थी। समुदाय एवं एस.डी.एम.सी. के सदस्यों की सामूहिक बैठक में निर्माणाधीन स्कूल भवन में बालू पाटकर एवं गोबर लीपकर बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया गया। पाँच से सात दिनों के भीतर छात्रों की दैनिक उपस्थिति त—प्रतिशत् हो गई। समुदाय के सहयोग से बाँस का बाउण्ड्रीवाल बनाकर वृक्षारोपण किया गया।

सफलता की कहानी सुनाने के बाद प्रशिक्षक निर्माण कार्यो से संबंधित निम्नांकित जानकारी दें—

निर्माण कार्य समिति का गठन—

अध्यक्ष— ाला प्रबंधन एवं विकास समिति का अध्यक्ष।

सचिव— संबंधित संस्था का प्रधान पाठक अथवा प्रभारी प्रधान पाठक।

को ाध्यक्ष— संस्था का कोई एक शिक्षक।

सदस्य— ाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सभी सदस्य।

निर्माण कार्य समिति द्वारा निर्माण कार्यो का विवरण तथा समयावधि—

1. प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण / पुनः निर्माण — अधिकतम 6 माह
2. उच्च प्राथ. विद्या. भवन का निर्माण / पुनः निर्माण—
3. ौचालय / मूत्रालय का निर्माण—
4. अतिरिक्त कक्ष का निर्माण—
5. पेयजल हेतु नलकूप का खनन—

6. किचन ेड का निर्माण–
7. विद्युतीकरण की व्यवस्था–
8. ाला परिसर मेंअहाते का निर्माण–
9. ैम्प का निर्माण–
10. विद्यालय भवन का मरम्मत कार्य–

निर्माण कार्य समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यों के प्रति कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ–

1. निर्माण कार्य समिति के द्वारा बैठक बुलाकर समस्त सदस्यों को स्वीकृत कार्यों की जानकारी देना।
2. सर्वसम्मति से समिति के द्वारा ऐसे ासकीय भूमि का चयन किया जाए जो किसी भी प्रकार से विवादित न हो।
3. प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु निर्विवाद भूमि का प्रस्ताव, खसरा, नक्शा, बी–1 तथा 50रू. के स्टाम्प पेपर में निर्माण समिति (एजेन्सी) के अध्यक्ष, सचिव व को ाध्यक्ष का हस्ताक्षरयुक्त अनुबंध पत्र बी.आर.सी. के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए।
4. जिला शिक्षा समिति एवं जिला परियोजना समिति की स्वीकृति के बाद जिला परियोजना कार्यलय के द्वारा इस आशय का एक पत्र संबंधित निर्माण समिति को दिया जावे। कार्य की स्वीकृति पश्चात उपअभियंता के द्वारा ले–आउट करा कर कार्य प्रारंभ किया जाए।
5. निर्माण हेतु धन राशि रा ट्रीयकृत बैंक या जिला परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित बैंक में रखी जायेगी।
6. बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव व को ाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
7. निर्माण समिति यदि चाहे तो समुदाय से अतिरिक्त राशि जुटाकर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कर निर्माण कार्य करा सकती है। किन्तु अधिक व्यय होने की स्थिति में पूर्ण पारदर्शिता बरती जावे।
8. समय–समय पर उपअभियंता निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता व सदुपयोग के बारे में जानकारी देंगे।
9. आवश्यकतानुसार निर्माण कार्यों की देख–रेख सरपंच, पंच, समिति के सदस्य एवं पालकों के द्वारा किया जाये।
10. समिति एवं पालकों के द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नहीं होने पर निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सलाह दी जाये।
11. निर्माण एजेंसी के द्वारा सलाह देने के बाद भी कार्य में सुधार नहीं होने पर उसकी सूचना एवं जानकारी उच्च कार्यालय को दी जाये।
12. कार्य प्रगति का मूल्यांकन उपअभियंता द्वारा किये जाने के पश्चात् अलग–अलग किश्तों में राशि जारी की जा सकेगी।
13. व्यय की गई राशि का बिल व्हाउचर तथा रसीदों का संकलन सचिव, को ाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
14. निर्माण समिति के सचिव व को ाध्यक्ष के द्वारा स्टॉक रजिस्टर और कैशबुक का संधारण किया जायेगा।

निर्माण कार्यों से संबंधित प्रमाण पत्रों की सूची–

1. भूमि चयन प्रमाण पत्र।
2. अनुबन्ध पत्र।
3. आवेदन पत्र।
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र।
5. पंजी संधारण।

भूमि चयन प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि प्राथ. विद्या./उच्च.प्राथ. विद्या..... के निर्माण हेतु भूमि ग्राम पंचायत.....ग्राम..... पारा.....विकास खण्ड. .....जिला.....(छ.ग.) जिसका ख.नं. .....रकबा..... है। ाला विकास एवं प्रबंधन समिति.....द्वारा चयन किया गया है। भूमि विद्यालय संचालन एवं भवन निर्माण के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है, उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, यदि भवि य में इस भूमि पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ाला विकास एवं प्रबंधन समिति की होगी।

अध्यक्ष
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

सचिव/को ाध्यक्ष
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

संस्तुति———

मेरे द्वारा दिनांक .....को उपरोक्त स्थल का निरीक्षण किया गया जो कि विद्यालय भवन निर्माण हेतु उपयुक्त/पर्याप्त है।

वि. ख. स्त्रोत समन्वयक	उप अभियंता	मुख्य अभियंता	वि.ख.शि.अधिकारी
वि.ख.....	वि.ख.	वि. ख.	वि.ख. .....

अनुबंध पत्र

सेवा में

जिला परियोजना समन्वयक

सर्वशिक्षा अभियान

जिला................................

हम ाला विकास एवं प्रबंधन समिति ....ग्राम पंचायत..................वि. ख. ....
जनपद. ....के अध्यक्ष...पुत्र श्री...
निवासी...................................एवं सदस्य सचिव...पुत्र श्री...निवासी..(छ.ग), सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत. ....का निर्माण कार्य किये जाने हेतु निम्न इकरारनामा प्रस्तुत करते है–

1. यह कि निर्माण कार्य स्वीकृत धन राशि के अन्तर्गत जिला / राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा निर्धारित नियमों एवं र्तों के अधीन कार्य ुरू होने की तिथि............................... से ....माह के अंदर पूर्ण करेंगे।
2 यह कि परियोजना द्वारा दी गई धन राशि का व्यय उपर्युक्त निर्माण कार्य का सम्पादन करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे एवं राशि का उपयोग उक्त निर्माण कार्य के अतिरिक्त किसी भी कार्य में नही करेंगे।
3. यह कि इस निर्माण कार्य का क्रियान्वयन राज्य परियोजना कार्यालय छ.ग. द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशिका में निहित मानकों एवं विशि टयाँ एवं तकनीकी निर्देशों के अनुसार करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
4. यह कि हम जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दी गई धन राशि का रख–रखाव अपने संयुक्त बैंक खाता संख्या.......................... बैंक..शाखा..में करेंगे तथा उक्त निर्माण कार्य का आज से संपन्न होने तक इस कार्य का लेखा–जोखा नियमित रूप से निर्धारित पत्र पर एक पंजी मे रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
5. यह कि उक्त निर्माण कार्य में त्रुटि यदि कोई हो, का निराकरण ाला विकास एवं प्रबंधन समिति को अपने संसाधन से करना होगा, इसके लिए परियोजना से कोई अतिरिक्त धन की मांग नही की जायेगी।
6. यह कि भूमि का खसरा नं..................रकबा................जो कि निजी / ग्राम समाज / अन्य की है ाला भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई है पर किसी भी प्रकार का विवाद नही है। भूमि स्थानांतरण की कार्यवाही एस.डी.एम.सी. द्वारा की जायेगी।
7. निर्माण कार्य संबंधी सभी विवादों (भूमि संबंधी एवं अन्य) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एस.डी.एम.सी. की होगी।
8. निर्माण कार्य निर्देशिका में दी गई समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा। यदि समय–सीमा के भीतर निर्माण नहीं कराया जाता है तो परियोजना कार्यालय द्वारा जो विलंब ुल्क तय किया जायेगा

वह एस.डी.एम.सी. को मान्य होगा।

9. यह कि भवन निर्माण के सभी मुख्य स्तरों पर जैसे फाउंडेशन, प्लिन्थ बैंड, डोर बैंड एवं छत ढ़लाई कार्य तकनीकी पर्यवेक्षक की उपस्थिति में किया जायेगा। अन्यथा किसी तकनीकी गड़बड़ी की जिम्मेदारी एस.डी.एम.सी. की होगी एवं उसकी क्षति पूर्ति एस.डी.एम.सी. करेगी।

10. उक्त निर्माण कार्य के अंतर्गत हमारे तथा जिला परियोजना कार्यालय.....के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर इसका निराकरण हेतु जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति जनपद.....का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों को मान्य होगा।

11. परियोजना द्वारा निर्गत निर्देश हमने पढ़ लिए हैं एवं पूर्ण रूप से अवगत हो गए हैं।

सचिव / को ाध्यक्ष
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

अधयक्ष
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

गवाह–

1. .....
2. .....

(नोटः– यह अनुबंध पत्र 50 रू. के स्टाम्प पेपर पर बनाया जायेगा।)

आवेदन और प्रमाण पत्र

सेवा में,

जिला परियोजना समन्वयक

सर्व शिक्षा अभियान

जिला.....(छ.ग.).

महोदय,

सर्व शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत..... निर्माण कार्य ाला विकास एवं प्रबंधन समिति .....ग्राम पंचायत .....वि. ख. .....जिला..... द्वारा..... स्तर तक पूर्ण कर लिया गया है। ाला विकास एवं प्रबंधन समिति को आपको द्वारा रू. .....खाता संख्या..... बैंक.....में प्राप्त हुए है, जिसमें से एस. डी.एम.सी. को निम्नवत् धनराशि किश्त भुगतान के रूप में हुआ है।

1.

2

3

धन राशि में से.....राशि खर्च हो चुकी है। जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. मजदूरी
2. सीमेन्ट
3. सरिया (छड़)
4. अन्य समान

कुल.....

महोदय एस. डी. एम. सी. को .....किश्त भुगतान आदेश करने की कृपा करें।

अध्यक्ष
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

सचिव/को ाध्यक्ष
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत ..... निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्माण कार्य हेतु निर्धारित धन राशि रू. ..... का नियमानुसार उपयोग कर लिया गया है एवं कार्य तकनीकी विनिर्देश के अनुसार पूर्ण कर लिया गया है।

सचिव/ को ाध्यक्ष वि.खंस्त्रोत समन्वयक वि.खं. शि. अधिकारी उप अभियंता
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति वि.खं..... वि.खं..... वि.खं.....

कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत..... .....निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था ाला विकास एवं प्रबंधन समिति ..... द्वारा निर्धारित मानकानुसार दिनांक.....को पूर्ण कर दिया गया है।

सचिव/ को ाध्यक्ष वि.खंस्त्रोत समन्वयक वि.ख. शि. अधि. उप अभियंता
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति वि.खं..... वि.खं..... वि.खं.....

पंजी का निर्माण

I. व्यय विवरण पंजी :–

1. कार्य स्थल – ग्राम –.....
   वि.खण्ड –.....
   जिला –.....
2. कार्य का नाम –.....
3. स्वीकृत राशि –.....
4. कार्य करने हेतु एस.डी.एम.सी./प्रधान पाठक का नाम –.....
5. बैंक खाते का विवरण –.....

बैंक का नाम —...

खाता खोलने की तिथि —...

खाता संख्या —...

6. कार्य प्रारंभ करने की तिथि —..

7. कार्य पूर्ण होने की तिथि —..

8. जिला परियोजना कार्यालय से प्राप्त धन राशियों के जमा / आहरण का विवरण —

क्र.	जमा धनराशि	जमा धनराशि की दिनांक	आहरित धनराशि	आहरित धनराशि की दिनांक	बकाया राशि

अध्यक्ष — ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

सचिव / को ाध्यक्ष — ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

II. निरीक्षण पंजी :—

दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	अध्यक्ष / सचिव के हस्ताक्षर	निरीक्षण कर्ता की टिप्पणी	निरीक्षण कर्ता का पद एवं हस्ताक्षर

III. निर्माण सामग्री का क्रय :—

दिनांक	वाउचर संख्या	निर्माण संबंधी	मात्रा	दर	व्यय	योग

अध्यक्ष — ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

सचिव / को ाध्यक्ष — ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

IV. मजदूरी व्ययः–

दिनांक	कार्यरत मजदूर	दर	दैनिक भुगतान राशि	योग

अध्यक्ष
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

सचिव/कोाध्यक्ष
ाला विकास एवं प्रबंधन समिति

'ाला विकास योजना का निर्माण कैसे करें?

निर्देशः–

प्रत्येक प्रतिभागियों को कोरा कागज देकर यह निर्देश देंगे कि अपने–अपने ग्राम की सूक्ष्म नियोजन फाइल में वर्णित समस्याओं को ध्यान रखते हुए, ाला विकास की योजना निर्माण करेंगे। अंत में (10–15 मिनट बाद) प्रशिक्षक कुछ प्रतिभागियों से योजना का वाचन करायेंगे। अब प्रमुख बिन्दुओं को व्हाईट बोर्ड पर लिखेंगे एवं व्हाईट बोर्ड में प्रदर्शित बिन्दुओं के अलावा अन्य कोई बिन्दु प्रतिभागियों के पास है तो उसे आमंत्रित कर लिखेंगे।

इसके बाद प्रशिक्षक द्वारा चार्ट का प्रदर्शन किया जायेगा तथा समस्त कालमों पर चर्चा की जायेगी।

'ाला विकास समिति की कार्ययोजना का प्रारूप

ाला का नाम.....

गांव का नाम..... वि. खण्ड..... जिला ..... (छ.ग.)

क्र.	योजना	गतिविधि	आवश्यक सामग्री	बजट	जिम्मेदारी	कब तक

योजना निर्माण प्रक्रियाः–

आर.टी.ई. के संख्या के अनुरूप शिक्षक, सरपंच और पालकों की बैठक आयोजित करेंगे। बैठक में सभी मिलकर विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में यह ध्यान देंगे कि बच्चों की क्या आवश्यकताएँ हैं। यह बच्चों से पूछा जाये। इसके पश्चात् आवश्यक संसाधनों के प्रकार, लागत मूल्य एवं संख्या निगरानी समिति कार्यवाहक व्यक्ति का निर्धारण करेंगे।

कार्य योजना

प्रशिक्षक अपने गाँव की माइक्रोप्लानिंग फाइल को पढ़कर आवश्यकतानुसार ाला हेतु ाला विकास योजना का निर्माण करें–

क्र	योजना	गतिविधि	आवश्यक सामग्री	बजट	जिम्मेदारी	कब तक
1.	....	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....	....
3.	....	....	....	....	....	....
4.	....	....	....	....	....	....
5.	....	....	....	....	....	....

नि□कर्ष:–

ाला भवन के निर्माण, रखरखाव एवं योजना निर्माण में ाला विकास एवं प्रबंधन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि ाला विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्य जागरूक हों, तो ाला भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होगा तथा भवनों का रखरखाव बेहतर होगा।

.........00..........

ग्राम पंचायत एवं शिक्षा का अधिकार

उद्देश्यः–

1:– पंचायत के समस्त प्रतिनिधियों एवं समुदाय के लोगों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जानकारी देना।

2:– शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उचित क्रियान्वयन हेतु पंचायत की भूमिका से अवगत कराना।

3:– पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करते हुए क्रियान्वयन करना।

4:– शिक्षा के अधिकार के अनुरूप स्कूलों में पंचायत एवं समुदाय के माध्यम से ैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

5:– पंचायती राज में शिक्षा के अधिकार को लागू करते हूए ात्–प्रतिशत नामांकन करना एवं उनका ठहराव करना।

6– पंचायती राज में शिक्षा के अधिकार को लागू करते हुए शिक्षा में गुणवत्ता लाना

7:– समुदाय के माध्यम से 3–6 एवं 6–14 आयु वर्ग के बच्चे जो अप्रवेशी, ाला त्यागी, अध्ययन त्यागी, निःशक्त है, उन्हें समुदाय के माध्यम से नियमित स्कूल लाना।

8– पंचायती राज एवं शिक्षा के अधिकार को समझाते हुए बच्चों के ैक्षणिक गुणवत्ता विकास के लिए नवीन योजना बनाना।

जैसे– भ्रमण, प्रश्न मंच, कॉपी वितरण।

सामाग्रीः–ड्रईंग ीट, स्केच, चॉक, मार्कर आदि।

प्रहसन

"बाल शिक्षा का अधिकार"

टीपः– प्रशिक्षक स्थानीय भा॥ में प्रतिभागियों के सहयोग से प्रहसन का मंचन करेंगे

पात्र परिचयः–

1) गाँव का शिक्षक
2) सरपंच
3) राकेश –होटल में काम करने वाला 12 व ीय बालक
4) चम्मन –होटल में काम करने वाला 11 व ीय बालक
5) मंगाली–एक गरीब परिवार की भीख माँगने वाली 9 व ीय बालिका
6) बुधवारू–मंगाली का पिता
7) इतवारी–चम्मन का पिता
8) नवलू– राकेश का पिता
9) सन्तू–होटल का मालिक

पहला दृश्य

स्थान– गाँव का होटल

(गाँव के शिक्षक और सरपंच चाय पीने के लिये होटल में बैठे है)

सरपंच: राकेश, जरा पानी तो पिला।

राकेश: जी हाँ, अभी लाया। (पानी लाकर) ये लीजिए।

(सरपंच और शिक्षक पानी पीते है)

सरपंच: अरे चम्मन, दो चाय ले आ।

चम्मन: जी हाँ, ये लीजिए।

(सरपंच और शिक्षक को चम्मन चाय देता है।)

उसी समय एक भिखारी बालिका मंगाली भीख मांगने सरपंच के पास आती है।

मंगाली: कुछ पैसे दे दो बाबूजी, बाबूजी कुछ पैसे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा।

(सरपंच जेब से पैसा निकालता है लेकिन शिक्षक उसे देने से मना करता है।)

शिक्षक: ये क्या कर रहे हैं सरपंच जी?

सरपंच: अरे भई, भीख दे रहा हूँ।

शिक्षक: नहीं सरपंच जी, इस छोटी–सी बालिका को भीख देने से इसकी भीख माँगने की आदत पड़ जायेगी। ये तो अभी लगभग 9 साल की ही है। इसे तो स्कूल में पढ़ना चाहिए।

सरपंच: ठीक है, इसे स्कूल में पढ़ना चाहिए तो राकेश और चम्मन भी तो 12 एवं 11 साल के हैं। इन्हें भी तो स्कूल में पढ़ना चाहिए।

शिक्षक: हाँ, हाँ, जरूर, इन्हें भी स्कूल में होना चाहिए। आप गाँव के सरपंच हो स्कूल में इन्हें दाखिला दिलाने के लिए आपको भी तो ध्यान देना चाहिए।

सरपंच: वाह गुरूजी! आप कैसी बातें करते हैं। ये सब काम तो गुरूजी का है।

शिक्षक: हमने प्रयास किया किन्तु उनके पालक उन्हें स्कूल भेजने को तैयार ही नहीं है।

सरपंच: (राकेश को बुलाकर) अरे राकेश! तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो?

राकेश: सरपंच चाचा, मैं पाँचवीं कक्षा में दो बार फेल हो गया इसलिए पिताजी ने होटल में भेज दिया।

सरपंच: चम्मन, तुम भी इधर आओ। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो।

चम्मन: सरपंच जी, हम लोग गरीब हैं। खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम करके खाता हूँ और घर में पैसे भी देता हूँ।

सरपंच: (तीनों बच्चों से) जाओ अपने–अपने पिताजी को बुलाकर लाओ।

(तीनों बच्चे अपने–अपने पिताजी को बुलाकर लाते है)

सरपंच: (सभी को) चलिए, स्कूल में चलते है। कुछ चर्चा करते हैं, हमारे पंचों को भी बुला लेते हैं।

शिक्षक: ठीक है सरपंच जी। चलिए।

दूसरा – दृश्य

स्थानः– विद्यालय भवन।

(सरपंच, शिक्षक, पंचगण, तीनों पालक, बच्चे एवं कुछ ग्रामीण बैठे हैं)

सरपंच–नवलू, तुम अपने बच्चे राकेश को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो?

नवलू– क्या बताऊँ सरपंच साहब, राकेश पाँचवीं कक्षा में दो बार फेल हो गया, तो मैंने सोचा कि अब पढ़कर क्या करेगा? इससे अच्छा है कि वह होटल में काम करे, कुछ पैसा भी मिल जायेगा।

शिक्षक– नवलू भाई, आपको मालूम नहीं होगा कि ाासन के द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है – "बाल शिक्षा का अधिकार।" इस कानून के अनुसार कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। सबका समग्र मूल्याँकन होगा।

सरपंच– कैसे इतवारी? तुम्हारा बच्चा चम्मन भी तो होटल में काम करता है।

इतवारी–क्या करूँ सरपंच जी? गरीब होने के कारण होटल में काम करवा रहा हूँ।

सरपंच– अरे! तुमको मालूम नहीं है। गरीब बच्चों की मदद के लिए ाासन कई प्रकार की योजनाएँ चला रही है।

बुधवारू तुम बताओ, अपने लड़की मंगली से भीख क्यों मँगवाते हो?

बुधवारू–सरपंच जी, मैं गरीब हूँ। इनको पढ़ाने–लिखाने के लिए कापी–किताबें, फीस और कपड़े कहाँ से लाऊँगा? मंगली भीख माँगकर अपने लिए कमा लेती है। स्कूल जाने से क्या मिलेगा? लड़की है पढ़–लिखकर करेगी भी क्या? आखिर घर का चूल्हा ही तो फूँकेगी।

शिक्षक– अरे भई बुधवारू! सरकार के द्वारा "शिक्षा के अधिकार" के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किताबें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन व छात्रवृत्ति भी दी जाती है। यदि आप चाहो तो सालभर के लिए आश्रम–शाला में भी दाखिला करवा सकते हो।

सरपंच– (सभी लोगों से) अब सुन लिये न। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए गरीबी कोई कारण नहीं है। ाासन गरीबों के लिए कई प्रकार की योजनाएँ चला रही है और तुम लोग काम न करके नशाखोरी और कामचोरी करते हो। इन सबके लिए पैसा कहाँ से आता है? बच्चों को पढ़ने स्कूल न भेजकर अन्य काम करवाते हो। कल से गाँव के 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल जाने चाहिए। सन्तू तुम भी सुन लो। होटल में छोटे बच्चों को काम करवाना कानूनन अपराध है।

(सभी एक स्वर में) – जी हाँ, सरपंच जी। अब हम लोग कल से अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे।

सरपंच– (बच्चों से) क्यों बच्चों? तुम लोग कल से स्कूल आओगे।

तीनों बच्चे (एक स्वर में) – जी सरपंच जी। जरूर आएँगे।

(पर्दा गिरता है)

आ गे पंचायती राज रे संगी..... गीत सभी मिलकर गायेंगे।

प्रश्नोत्तरः—

प्रश्नः— बताइये कि क्या आपने कभी होटल में काम करने वाले, घूमने वाले, कबाड़ बीनने वाले बच्चों को स्कूल में लाने का प्रयास किया?

संभावित उत्तरः—.....

प्रश्नः— क्या आपने कभी स्कूल के बच्चो की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है?

संभावित उत्तरः—.....

प्रश्नः— माह में आप कितनी बार शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन करने स्कूल में जाते है?

संभावित उत्तरः—.....

प्रश्नः— क्या आपने कभी अपने विद्यालय के समस्याओं एवं कमियों को जानने का प्रयास किया है?

संभावित उत्तरः—.....

प्रश्नः— क्या आपने कभी शिक्षकों एवं बच्चों की कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया है?

संभावित उत्तरः—.....

प्रश्नः— यदि आपके गाँव के स्कूल में ऐसी कोई भी समस्या है तो आप सरपंच होने के नाते उसके समाधान के लिए क्या—क्या कर सकते है?

संभावित उत्तरः—.....

प्रश्नः— शिक्षा का अधिकार कानून के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आप क्या कर सकते है?

संभावित उत्तरः—.....

कार्य योजना

प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों से अपने स्कूल के लिए योजना बनाने को कहेंगे एवं चार या पाँच प्रतिभागियों से योजना का पठन करवाएँगे।

क्र.	शिक्षा का अधिकार कानून	क्रियान्वयन में भूमिका	कैसे करेंगे?	कब तक
1.	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....

निष्कर्षः—शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की महती भूमिका है। अतः सरपंच एवं पंचों द्वारा पूरे समुदाय को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए जागरूक करना होगा।

.....00.....

6–14 व ा के बच्चों के लिये नामांकन एवं ठहराव के लिए क्या कर सकते हैं ?

उद्देश्यः–

(1) ात्–प्रतिशत सर्वेक्षित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।

(2) 6–14 व ा के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना।

(3) नामांकित बच्चों का ाला में ठहराव सुनिश्चित करना।

(4) 6–14 व ा के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना।

(5) समुदाय को 6–14 व ा के बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक करना।

(6) जन प्रतिनिधियों एवं अन्य ासकीय निकायों को 6–14 व ा के बच्चों की शिक्षा के लिए कार्ययोजना तैयार करने हेतु प्रेरित करना।

आवश्यक सामग्रीः– कोरा कागज, पेन, मार्कर, बोर्ड, डस्टर, फाईल, आलपिन आदि।

चर्चा के बिन्दुः–

(1) आपके गाँव का एक बच्चा पशु चराने के कारण स्कूल नहीं आता; आप उसे स्कूल में कैसे लायेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

.....

(2) आपके गाँव का एक बच्चा महुआ बीनने जाता है तो आप उसे स्कूल में कैसे लायेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

(3) आपके गाँव की एक बालिका, घर में छोटे बच्चों की देखभाल और घरेलू कार्य करती है; आप उसे स्कूल में कैसे लायेंगे ?

संभावित उत्तरः–.....

(4) आपके गाँव का एक बच्चा दृ ि टहीन है। उसे स्कूल में कैसे दाखिला करायेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

(5) आपका बच्चा घर में दिन भर टी.वी. देखता है और विडियो गेम खेलता है इस कारण वह अक्सर स्कूल नहीं जाता तो उस बच्चे को स्कूल कैसे लायेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

(6) आपके गाँव के दो बच्चे स्कूल तो आते हैं लेकिन खेलने के लिए भाग जाते हैं। आप उन्हें स्कूल में पूरे समय तक रखने के लिए क्या करेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

(7) आपके गाँव के बच्चे शिक्षक से डरते हैं। बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन वहाँ से भाग जाते हैं।इन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए आप क्या करेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

सफलता की कहानी

बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा विकास खण्ड के ग्राम बहारगुड़ा में 6–14 व र्ा के 6 बालक और बालिकाएँ ाला नहीं जाते थे। वे प्रतिदिन पशुओं को चराने जाते थे। गाँव के शिक्षकों ने उन बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया। पालकों एवं गाँव के प्रमुख लोगों से संपर्क भी किया, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। शिक्षा के महत्व को गाँव में बैठक लेकर समझाया, लेकिन गाँव वाले नकारने लगे। उसी गाँव का बारहवीं तक पढ़ा–लिखा एक युवक रमेश गाँव वालों को समझाने में शिक्षकों की मदद करने लगा। युवक की बात को सुनकर सब सोच में पड़ गए कि आखिर करें तो क्या करें क्या ? हमारे मवेशियों को कौन चरायेगा? सभी ने निर्णय लिया कि कल से चार परिवार के एक–एक सदस्य मवेशी चराने जायेंगे। वे इसी तरह प्रत्येक परिवार के 4–4 सदस्यों की बारी लगाकर मवेशी चराने लगे। दूसरे दिन से उन 6 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया गया और वे आज भी अध्ययनरत है।

चर्चा हेतु प्रश्नः–

➡ क्या आप जानते हैं कि आपके गाँव के कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते?

संभावित उत्तरः–.....

➡ क्या बच्चों के स्कूल नहीं आने के कारणों का समुदाय के साथ मिलकर समाधान किया जा सकता है?

संभावित उत्तरः–.....

➡ क्या आप अपने गाँव के सभी लोगों को रमेश जैसा देखना चाहते है?

संभावित उत्तरः–.....

➡ अशिक्षित बच्चे और गाँव के विकास में बाधा या शिक्षित बच्चे और गाँव का तेजी से विकास। दोनों में से आप किसे चुनेंगे ?

संभावित उत्तरः–.....

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से माइक्रोप्लानिंग फाईल पढ़कर गाँव के नियमित ाला न आने वाले बच्चों को ाला में नियमित करने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहेंगे।

क्र.	अनियमित बच्चों के नाम	समाधान	क्रियान्वयन	निगरानी	कब तक
1	.....				
2.	.....				
3.	.....				
4.	.....				
5.	.....				

नि क ा– गाँव के प्रत्येक बच्चे को स्कूल लाने की जिम्मेदारी समुदाय की है । सभी बच्चों के स्कूल न आने एवं स्कूल में न रूकने के कारणों का समाधान सरपंच एवं समुदाय को मिलकर करना होगा क्योकि सभी समस्याओं का हल समुदाय के पास ही है।

ग्रामीण / शहरी / नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु रणनीति

उद्देश्यः—

(1) ग्रामीण / शहरी / नक्सली क्षेत्रों की विशि ट ैक्षिक समस्याओं से अवगत कराना।

(2) समस्याओं का विश्ले ण करने की क्षमता विकसित कर पाना।

(3) समस्या के समाधान हेतु कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन कर पाना।

आवश्यक सामग्रीः— बॉटल, कागज का बनाया गया ढक्कन, व्हाईट बोर्ड, चॉक का टुकड़ा, मार्कर, ड्राईंग ीट आदि।

वातावरण निर्माण हेतु खेलः—

सभी प्रतिभागियों के मध्य एक ऐसा बॉटल रखा जाए जिसके अंदर चॉक का टुकड़ा हो एवं बॉटल कागज के बने ढक्कन से बंद हो। प्रतिभागियों को यह कहा जाए कि ढक्कन को बिना खोले एवं बॉटल को बिना नुकसान पहुँचाए, बिना किसी अन्य सामग्री के मदद के उस चॉक के टुकड़े को बाहर निकालना है। यदि कोई भी सरपंच / जनप्रतिनिधि इसका हल नहीं निकाल पाते हैं तो उन्हें हल निकालने हेतु बार—बार प्रेरित करेंगे। फिर भी यदि कोई हल नहीं निकलता तो स्वयं प्रशिक्षक बॉटल को पकड़कर ढ़क्कन को जमीन पर मारेंगे। जिससे ढ़क्कन बॉटल के अंदर प्रवेश कर जायेगा और फिर चॉक का टुकड़ा बाहर निकल आयेगा।

अंततः प्रशिक्षक प्रतिभागियों से यह नि क र्ष निकलवाएँगे कि हर समस्या का हल है। उसे केवल तलाशने की जरूरत है। वह चॉक का टुकड़ा एक बच्चे के समान है जो किसी भी कारण से ाला त्यागी, अप्रवेशी अथवा अध्ययन त्यागी है। उसे हमें ढूँढकर बाहर निकालना है और शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है।

हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है।
जीवन में अगर विश्वास है साथियो, मरूस्थल में भी जल है।

केस स्टडी

एक महिला रामबाई यादव जो ग्राम पेंड्री विकास खण्ड बेमेतरा जिला दुर्ग की निवासी है। वह निकट के ग्राम दाढ़ी में विजय ांकर त्रिपाठी के घर झाड़ू—पोंछा और पानी भरने का काम करती है। उसकी 9 व र्ष की एक नातिन है सीमा। जो कभी—कभी अपनी दादी के साथ आ जाती है। सीमा स्वभाव से ही तेज, चंचल और ाला जाने को उत्सुक है। विजय ांकर ने राम बाई से पूछा कि सीमा कौन—सी कक्षा में पढ़ती है? राम बाई ने कहा पंडित जी सीमा पढेगी तो घर का काम कौन करेगा? सीमा घर में झाड़ू—पोंछा लगाती है, पानी भरती है, छोटे बच्चों की रखवाली भी करती है। विजय ांकर ने कहा कि इसको स्कूल भेजने का सारा खर्च मैं उठाऊँगा। इसे स्कूल भेजो। किन्तु राम बाई नहीं मानी। वर्तमान में सीमा अपने माता—पिता के साथ पलायन कर लखनऊ में रह रही है।

ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु रणनीति

समस्याएँ	समाधान हेतु रणनीति
1. ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे पशु चराने, घरेलू कार्य, बालश्रम आदि कार्यों के कारण ाला से बाहर है।	1. गाँव के प्रत्येक बच्चे को ाला में प्रवेश दिलाने के लिए गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त होना जरूरी है। 2. पशु चराने वाले बच्चों के स्थान पर गाँव के लोग चरवाहे की व्यवस्था मिलकर करें। 3. अपने भाई–बहनों की देख–रेख एवं घरेलू कार्य करने वाले बच्चों को ाला में लाने हेतु झूलाघर, आँगनबाड़ी या स्कूल में व्यवस्था करें। 4. बालश्रमिक बच्चों को स्कूल में दर्ज कराएं, इन बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षकों को अतिरिक्त समय देने को कहें। पढ़े–लिखे युवा भी इन बच्चों की मदद कर सकते हैं।
2 कृ ा कार्य, महुआ बीनने, जंगल में कटाई के समय ाला से महीनों बाहर रहते हैं।	1. कृ ा कार्य, महुआ बीनने एवं जंगल में कटाई के समय स्कूल का समय बदला जा सकता है, ताकि बच्चे काम करते हुए शिक्षा ग्रहण कर सकें।
3. रोजगार एवं अन्य कारणों से पलायन होना।	1. पलायन करने वाले परिवार अपने बच्चों के रहने की व्यवस्था गाँव में ही करें ताकि बच्चों को बीच में ाला छोड़ना न पड़े। 2. यदि बच्चे अपने परिवार के साथ चले जायें तो उस समय तक स्थानीय स्कूल में उसका प्रवेश सुनिश्चित करायें। इस हेतु उस ग्राम के शिक्षक एवं समुदाय को अपने ग्राम आने वाले बच्चों की रिपोर्ट रखनी होगी।
4 ाला में दर्ज बच्चे ाला समय में ाला के बाहर खेलते, मछली पकड़ते, घूमते या कुछ अन्य गतिविधि करते पाये जाते हैं।	1. स्कूल समय में यदि कोई बच्चा बाहर है तो शिक्षक, समुदाय उसे समझाकर स्कूल वापस लायें एवं कारण जानने का प्रयास करें। 2. स्कूल में खेल का मैदान हो और बच्चों को खेलने का समय मिले। मध्यान्ह भोजन उत्तम हो ाला आक क व शिक्षकों का व्यवहार मित्रवत हो।
5. लिंग भेद, बालविवाह, कुसंगति, नशा पान जैसी कुरीतियाँ।	1. लड़का और लड़की, दोनों की शिक्षा के महत्व को समझना एवं पालकों को समझाना। 2. बालविवाह एवं विशे ा जाति द्वारा नशा–पान की कुरीति को समाप्त करना होगा।
6. स्थानीय त्यौहारों व कार्यक्रमों के कारण बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है।	1. स्थानीय त्यौहार व कार्यक्रम समुदाय ाला के साथ मिलकर मनाएँ। 2. तीज, पोला, मड़ाई जैसे त्यौहारों में बच्चों को अपने साथ न ले जाकर उन्हें ाला जाने हेतु प्रेरित करें।

	3. यदि बच्चें 5–6 दिनों के लिए ननिहाल आदि जायें तो वहाँ के स्कूल में पढ़ने जाएँ।
7. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव है जिसके कारण मौसमी बीमारियाँ होती हैं और बच्चे स्कूल में अनुपस्थित हो जाते हैं।	1. स्वास्थ्य केंद्र / उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर व नर्स से मौसम सम्बंधी बीमारियों की जानकारी लें। एवं पूरी सावधानी बरतें। 2. किसी भी बच्चे को आँख आना, मियादी बुखार, चेचक, आदि होने पर तुरंत उपचार कराएँ। प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य का विशे ा ख्याल रखें ताकि बच्चा ाला में नियमित उपस्थित हो सके।
8. बरसाती नाला एवं कीचड़	बरसाती नालों में पुल बनवाएँ व दलदली क्षेत्रों को पटवाएँ, ताकि बच्चे बरसात के मौसम में भी रोज ाला जा सकें।
9. बच्चों की मातृभा ा एवं शिक्षण की भा ा में विविधता शिक्षक बच्चों की भा ा को नहीं समझ पाते।	1. बच्चों को उनकी मातृभा ा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इस हेतु मातृभा ा में पुस्तकें तैयार हो। 2. योग्य स्थानीय व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियुक्त करें ताकि बच्चों को भा ा की समस्या न हो और बच्चे सीख सकें।
10. तेंदू पत्ता एवं साल बीज संग्रहण।	1. तेंदू पत्ता एवं साल बीज संग्रहण करने के समय स्थानीय ालाओं का समय परिवर्तित कर सकते है।
11. अशिक्षा एवं गरीबी।	1. गाँव में सबसे अधिक समस्या अशिक्षा की है। गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के महत्व से परिचित कराना होगा। 2. गरीब बच्चों को दी जाने वाली विशे ा सुविधाओं का लाभ दिलाकर, इन बच्चों को ाला में लाया जा सकता है।
12. विद्यालय के साथ समुदाय का जुड़ाव न होना।	1. गाँव के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने एवं ाला व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को ाला से जुड़ना आवश्यक है।
13. आधुनिक तकनीकों से दूरी के कारण बच्चे नई–नई जानकारियों से वंचित रह जाते हैं।	1. समय–समय पर गाँव के बच्चों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना चाहिए। 2. समुदाय और शिक्षक के सहयोग से विभिन्न आधुनिक तकनीकों को गाँव में ही लाकर बच्चों को उनसे परिचित कराना।

□हरी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु रणनीति

समस्याएँ	समाधान
1. पुल के नीचे रहने वाले, रेल्वे स्टेशन व बस स्टैंड में रहने वाले, भीख माँगने वाले झिल्ली–पन्नी व कचरा बीनने वाले तथा होटल में काम करने वाले बच्चों के नामांकन की समस्या।	1. इन बच्चोंका निकट के ाला, नाईट ोल्टर मेंनामांकन कराया जाये। 2. इन बच्चोंको वि ाय मेंदक्ष करने के लिए आर.टी.सी./ एन.आर.टी.सी केन्द्रों में प्रवेश कराया जाए। 3 रेल्वे स्टेशन में रहने वाले, भीख माँगने वाले, रेल गाड़ियों में जूता पॉलिश करने वाले, पाउच बेचने वाले बच्चों को जी.आर.पी (रेल्वे पुलिस) तत्काल निकट के ाला मेंदर्ज करायें। 4. झिल्ली पन्नी बीनने वाले, बस स्टैप्ड मेंरहने वाले व होटलोंमेंकाम करने वाले बच्चोंका चिन्हांकन कर सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय को सूचित करें अथवा परिचित स्वयंसेवी संस्था को जानकारी दें।
2. घूमन्तू व बंजारा परिवार के बच्चोंका नामांकन	1. घूमन्तू व बंजारा परिवार किसी भी क्षेत्र मेंआते ही, निकट के पुलिस थानोंको सूचना देते हैं। पुलिस इन बच्चोंकी जानकारी निकट के प्रधान अध्यापक कौ दें ताकि इन बच्चोंको ाला मेंनामांकित किया जा सके।
3. बालश्रमिक बच्चोंका नामांकन	1. बालश्रम कानून का प्रचार –प्रसार किया जाये एवं इस कानून का सख्ती से पालन किया जाये। 2. ऐसे बच्चोंको उनकी सुविधा के अनुरूप नाइट ोल्टरों मेंभर्ती कराया जाए।
4. भा ाायी समस्या	1. कुछ बच्चे अन्य राज्योंसे ाहरोंमेंअपने माता–पिता के साथ आते है, उनके शिक्षण मेंभा ा की समस्या होती है। इसे दूर करने के लिए उस भा ा के जानकार शिक्षित लोगोंका सहयोग आंशिक समय के लिए लिया जा सकता है। 2. शाला के पुस्तकालय मेंबहुभा ाी पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिये जिससे इन बच्चोंकी भा ा संबंधी कठिनाई को दूर किया जा सके।
5.शाला भवन निर्माण की समस्या	1.व्यस्त व ाहरी क्षेत्रोंमें ाला भवन बहुमंजिला ईमारत हो सकती है। ध्यान रखें कि छोटे बच्चोंके लिए कक्षाएँ नीचे के तल मेंलगाई जाएँ।
6. बाल अपराधी बच्चों की शिक्षा	1. बाल अपराधी बच्चोंके लिए बाल संप्रे ाण गृह मेंही आर.टी.सी केन्द्र की तरह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 2. नैतिक शिक्षा, कौशल विकास की शिक्षा व जीवन मूल्य की शिक्षा पर जोर दिया जाए।

7. ाला परिसर में खेल के मैदान का अभाव	1. ऐसे खेल जिसे कमरे के अंदर खेला जा सके (जैसे–कैरम, तरंज, रस्सी कूद, बिल्लस खेल आदि) को ाला में आयोजित करनी चाहिए। 2. सप्ताह में कम से कम एक दिन नजदीक में उपलब्ध खेल के मैदान में खेलने हेतु ले जाना चाहिए।
8. झुग्गी–झोपड़ी एवं गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा।	1. ऐसे बच्चों के परिवेश में शिक्षा के प्रति जागरूकता लानी चाहिये। 2. इन बस्तियों में ाला या आर.टी.सी. / एन.आर.टी.सी. केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिये।
9. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम (जैसे– ादी व जन्मदिवस की पार्टी व खेल आदि) में ाला भवनों का उपयोग करना।	1. ाला भवनों का उपयोग ादी व जन्म दिवस की पार्टी खेल–कूद जैसे कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाना चाहिये। 2. यदि ऐसे कार्यक्रमों के लिए ाला भवन या परिसर का उपयोग किया जाए तो परिसर को साफ–सुथरा रखें एवं कोई हानि न पहुँचाएँ। 3. ऐसे कार्यक्रमों से विद्यालय की कोई भी गतिविधि प्रभावित न होने पाए, इसका ध्यान रखें।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु रणनीति

क्र	समस्या	समाधान हेतु रणनीति
1.	शिक्षा संबंधी गलत धारणाओं को दूर करना।	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोग शिक्षा की महत्ता से अनभिज्ञ हैं। शिक्षा के प्रति लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियाँ व्याप्त है। लोग अपने बच्चों को शाला भेजना ही नहीं चाहते। अतः ऐसे स्थानों में समझदार एवं शिक्षित व्यक्तियों, प्रतिनिधियों तथा प्रभुत्व रखने वाले लोगों को शिक्षा का महत्व समझाकर बच्चों को शाला की मुख्यधारा से जोड़ना।
2	ऐसे बच्चों का चिन्हांकन जो किसी भी कारण से बाहर हैं।	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज भी शाला अप्रवेशी, शाला त्यागी एवं अध्ययन त्यागी बच्चों की वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिकांश बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में गाँव के स्वयंसेवी शिक्षकों (अनुदेशकों) की सहायता से ऐसे बच्चों का चिन्हांकन कर शाला में उनका नामांकन सुनिश्चित करना।
3.	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनाथ एवं पलायन–कर्ता बच्चे।	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनाथ एवं पलायनकर्ता परिवारों के बच्चों को आश्रम शालाओं की माँग करते हुए सभी बच्चों को इन शालाओं में नामांकित करना एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए गति एवं स्तरानुरूप शिक्षण कराना।
4.	शिक्षा की मुख्य धारा से भटक चुके बच्चे।	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के मुख्यधारा से भटक कर अन्य कार्यों में संलग्न हो रहे बच्चों को शाला में लाने हेतु गाँव के शिक्षित युवक युवतियों की मदद लेना। ऐसे बच्चों को रूचिकर शिक्षा प्रदान कर एवं शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए शाला जाने हेतु प्रेरित करना।
5.	विद्यालयों का अनियमित संचालन।	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियमित विद्यालयों का संचालन नहीं हो पाता। बंद के चलते आए दिन विद्यालय बंद हो जाते हैं। ऐसे समय में शाला संचालित करने के लिए गाँव के ही पढ़े–लिखे युवाओं की मदद लेना। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति, कक्षा मूल्यांकन समिति के सदस्यों का शाला के संचालन में मदद लेना।
6.	शिक्षकों को क्षेत्रीय बोली एवं भाषा का ज्ञान न होना।	ऐसे क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय बोली जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति करना ताकि क्षेत्रीय बोली के माध्यम से अध्यापन कार्य कर सकें। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्कूल में क्षेत्रीय अनुदेशक नियुक्त करना जिससे कि शिक्षकों को मदद मिल सके।
7.	शाला भवनों एवं आश्रम	जो शाला भवन एवं आश्रम शालाएँ शिक्षा के लिए बने हैं उन्हें मात्र शैक्षिक कार्य के लिए उपयोग में लाना।

	ाालाओंमें सुरक्षा बलों का कब्जा।	
8	भवन विहीन विद्यालय।	ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ ाला भवन नहीं हैं वहाँ झोपड़ियों में पढ़ाई होती है, ऐसे क्षेत्रों में समुदाय एवं पंचायत की मदद से ाला भवनों की व्यवस्था करना। गाँव में यदि किसी प्रकार के विद्यालय चलाने योग्य भवन हो तो वहाँ विद्यालय लगाना।
9	लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन न देना	बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय के महिलाओं को सशक्त करना तथा समाज में महिलाओं के योगदान को बढ़ाना। मितानिन व आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से बालिका शिक्षा को विशे ा महत्व देना इन क्षेत्रों की महिलाओं, शिक्षित युवाओं का विशे ा सहयोग लेते हुए बालिकाओं को नियमित ाला में लाना।
10.	विकलाँगता से प्रभावित बच्चों को कोई प्रोत्साहन न मिलना।	विशे ा आवश्यकता वाले बच्चों को ात्–प्रतिशत ाला में प्रवेश दिलाना। समुदाय को शिक्षकों के सहयोग से निःशक्त बच्चों को मिलने वाले सहयोग की जानकारी देकर बच्चों को लाभान्वित करना। सरपंच भी अपने स्तर पर ऐसे बच्चों की विशे ा सहायता करेंगे।
11.	अपार प्रकृतिक संपदा होने के बावजूद शिक्षा का स्तर निम्न होना।	इन क्षेत्रों में अपार प्राकृतिक संपदाओं के होने के बावजूद भी वनोपज एवं परम्परागत वस्तुओं पर ही निर्भर रहना एवं ासन द्वारा उनका उचित दाम व महत्व न मिलना। यदि इनका जीवन स्तर सुधारना है तो शिक्षा के स्तर को सुधारना ही होगा।
12.	बीमारियों से प्रभावित जन–जीवन।	बीमारियों के कारण कई बच्चे ाला नहीं आ पाते, अतः मौसमी बीमारियों के पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक, एस.डी.एम.सी., सी.ई.सी., सरपंच एवं पालकों की सहायता से जागरूकता लाना एवं टीकाकरण करवाना। समुदाय, सरपंच व महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायता लेते हुए गाँव वालों को जागरूक करना, ताकि सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
13.	सतत् मॉनीटरिंग का अभाव।	ऐसे क्षेत्रों में ासन की ओर से सतत् मॉनीटरिंग का अभाव है। यह क्षेत्र पहुँच विहीन हैं। अतः समुदाय द्वारा ाला की सतत् मॉनिटरिंग करना
14.	आश्रम ालाओं में मात्र एस.टी. एस.सी. के बच्चों को ही प्रवेश	आश्रम ालाएँ केवल एस.टी., एस.सी. के बच्चों के लिए ही है। ऐसे स्थानों पर सीटों को बढ़ाकर अन्य बच्चों को भी प्रवेश देना।

	देना।	
15.	शिक्षकों का भय युक्त वातावरण महसूस करना।	इन क्षेत्रों में शिक्षक भययुक्त वातावरण में रहते हैं। इसके लिए समुदाय को शिक्षक का सहयोग करना चाहिए। शिक्षकों के लिए आवास की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
16.	बाहरी वातावरण से अवगत न होना।	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई गाँवों के लोग आज भी बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ है और शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ सरपंच ऐसे पहुँच विहीन क्षेत्रों में समुदाय एवं शिक्षक की मदद से बाह्य दुनिया का ज्ञान दे सकते हैं।

सफलता की कहानी

बस्तर जिले के दूरस्थ ब्लॉक लोहाण्डीगुड़ा, जिसे चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जिसे आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। सहसा कोई व्यक्ति अंदर के ग्रामों में जाना नहीं चाहता। वहाँ ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 25 किमी. दूर बस्तानार और लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक के मध्य पहाड़ियों से घिरा ग्राम अलनार जहाँ आज भी 13 शाला त्यागी, 9 अध्ययन त्यागी एवं 3 अप्रवेशी बालक – बालिका मिले। जिन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का सफल प्रयास नहीं किया गया। लोग अपने बच्चों को मवेशी चराने एवं वनोपज संग्रह में व्यस्त रखते हैं। बच्चे भी इन्हीं कार्यों में लगे रहने को अपना जीवन समझते हैं। 7 टोलों का यह ग्राम जहाँ 4 टोलों में आज भी शिक्षा की दयनीय स्थिति है। लोग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना कोई आवश्यक कार्य नहीं समझते थे। परन्तु माइक्रोप्लानिंग की जिला स्तरीय टीम जब वहाँ पहुँची और प्रत्येक पारा में ग्राम सभा करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर डाला और बच्चों को समुदाय और नवयुवकों की सहायता से विद्यालय तक पहुँचाया और उनकी समस्याओं का निदान समुदाय से करवाया जिससे 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चे शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ सके। आखिरकार एक चिंगारी जिसकी आवश्यकता थी। ग्राम की एक बुजुर्ग महिला बुधिया दाई ने जिम्मेदारी ली कि वह गाँव के सारे बच्चों को स्कूल तक लायेगी। तो फिर क्या था, सभी लोग उससे प्रेरित होकर बच्चों को स्कूल भेजने लगे। आज भी वह महिला स्कूल की मॉनीटरिंग करती है, जबकि उसका कोई बच्चा नहीं है। अन्तिम दिन समुदाय ने निर्णय लिया कि वे मवेशी चराने हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे और बच्चों को शाला भेजेंगे। एक बच्ची जिसे अजीब बीमारी थी, समुदाय ने 15 मिनट के अंदर ग्राम सभा में उसके ईलाज के लिए 1396 रू. की व्यवस्था की और उसके ईलाज की गारंटी ली, तो फिर क्या इस गाँव का विकास नहीं होगा? सभी बच्चे शाला नहीं जायेंगे? इस ग्राम में शिक्षा की चिंगारी लगी है, जो विकास की आग बन कर ही दम लेगी। सभी बच्चे शाला में मनोरंजनात्मक तरीके से सीखेंगे और शाला से समुदाय और पालकों का अटूट रिश्ता बनेगा। क्योंकि यहाँ समुदाय, स्कूल को अपना स्कूल, बच्चों को अपना बच्चा और शिक्षक को अपना साथी कहेंगे।

सरपंच एवं सदस्य अपने क्षेत्र की माईक्रोप्लानिंग फाईल पढ़कर निम्नलिखित कार्य योजना बनाएँगे:–

कार्य योजना

क्र.	समस्या	समाधान हेतु प्रयास	जिम्मेदारी	निगरानी	कब तक
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....	.....	.....
6.	.....	.....	.....	.....	.....
7.	.....	.....	.....	.....	.....

नोट्स:–

ग्रामीण / शहरी / नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की समस्याएँ अलग–अलग हो सकती हैं। लेकिन इनका समाधान समुदाय की सहभागिता से ही संभव है।

.....00.....

बाल मनोविज्ञान

उद्देश्य :–

1. शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था के लक्षण बताना।
2. बच्चों की आवश्यकताओं से अवगत कराना।
3. घर पर बच्चे की पढ़ाई–लिखाई को लेकर क्या–क्या करें व क्या–क्या न करें बताना।
4. बाल मनोविज्ञान के अनुरूप बच्चों के पालन– पो ाण हेतु प्रेरित करना।

आवश्यक सामग्रीः– व्हाईट बोर्ड, मार्कर।

नोटः– प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे एवं प्राप्त उत्तरों को व्हाईट बोर्ड पर लिखते जायेंगे।

प्रश्नः– बच्चे के विकास की कौन–कौन सी अवस्थायें होती हैं एवं उसके क्या लक्षण होते हैं?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– जब हम बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं उस वक्त बच्चे के दिमाग मे किस प्रकार की बातें होती है? क्या बच्चा उस समय जिलाधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर या शिक्षक बनने के बारे में सोचता है?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या बच्चे स्वप्रेरित होकर पढ़ाई करते हैं या आप उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर करते है?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या आपने कभी इसके कारणों को जानने का प्रयास किया है?

संभावित उत्तरः–.....

अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों को बाल मनोविज्ञान की जानकारी देंगे।

6–14 आयु वर्ग के बालकों के व्यवहार, क्रियाकलाप आदि का विश्ले ाण बाल मनोविज्ञान कहलाता है। जाहिर है कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई नहीं करता है। तो वह पढ़ाई क्यों करें? बच्चा पढ़ाई तब कर सकता है, जब इस कार्य से उसकी आवश्यकताओं (भावात्मक, ारीरिक व बौद्धिक) की पूर्ति हो व उसे आनन्द की प्राप्ति होती हो।

उदाहरण के लिए – क, ख ..... लिखने के बाद हम उसकी पीठ थपथपाते है तो वह एक नये उत्साह के साथ काम करने को तैयार होगा। इसके साथ ही बच्चे को सीखने का उचित वातावरण प्रदान किया जाए तो वह लिखाई–पढ़ाई की ओर आक ित होता है।

प्रश्नः– क्या हमारा बच्चा एक व्यस्क बच्चे की तरह एक जगह पर बैठकर पढ़ता है?

संभावित उत्तरः–.....

(वास्तव में बच्चे का सीधे–सीधे पढ़ाई से दूर–दूर तक का भी वास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक पढ़ाई में आनन्द का तत्व नहीं होगा यह समस्या बनी रहेगी।)

प्रश्न – बच्चों को किन कार्यों में आनंद (मजा) आता है?

संभावित उत्तरः–.....

अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों को बच्चों के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ विस्तारपूर्वक देंगे–

जिन कार्यों को करने मे बच्चे को आनंद आता है, बच्चे उन कार्यों को स्वफूर्त होकर करते है। उन्हें तीन वर्गो मेंबांटा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चा अपने को तीन समन्वित रूपों मे व्यक्त करता है।

(1) गाना (2) गति / खेलकूद (3) निर्माण / सृजन

(1) गाना :–

बच्चा चिल्लाता है गुनगुनाता है ोरगुल करता है यह प्रकृति प्रदत्त है। ऐसा करने से बच्चे को आनन्द आता है, जबकि हम सारे दिन उससे "शोर" न करने को कहते रहते हैं। वास्तव में होना यह चाहिए कि बच्चे को सीखने की ऐसी गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें वह खुशी–खुशी सीख सकें।

उदाहरण के लिए बच्चों को विभिन्न समूहों में बाँटकर खेल, गीत, चर्चा, सर्वेक्षण आदि गतिविधियाँ करवाएँ।

(2) गति / खेलकूदः–

बच्चे को उछल–कूद मचाने मे, तोड़–फोड़ करने मे आनंद आता है। आपकी या अध्यापक की सुंदर व उपयोगी वस्तुओं को तोड़ देता है। आपकी सुंदर व उपयोगी वस्तु को तोड़कर वह आपको परेशान करने की मंशा नही रखता अपितु यह प्रकृति प्रदत्त महान गुण है। सोचिए यदि आपका बच्चा उछल–कूद न करें व चुपचाप रहे तो आप किस कदर परेशान हो जाते है। यदि बच्चा उछलकूद न करें तो हमे उसकी उंगली पकड़कर चौबीस घंटे उसे घुमाना पड़ता। क्योंकि ऐसा न करने से बच्चे की मांसपेशियाँ मजबूत नहीं हो सकती और मांसपेशियाँ मजबूत नहीं होंगी, तो बच्चा पढ़ाई के लायक ही नहीं रहेगा। इस तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास अवरूद्ध हो जाएगा।

कक्षा के अंदर एवं बाहर खेल–कूद, व्यायाम, योग, नृत्य आदि गतिविधियाँ करवाकर हम बच्चों की गति को दिशा दे सकते हैं।

(3) निर्माण / सृजन :–

तीसरी बात जिसमें बच्चे को आनंद आता है वह है निर्माण। याद कीजिए अपने बचपन के दिनों को जब हम नाव बनाने, कागज के जहाज बनाने, पतंग बनाने, चकरी बनाने में पूरी कॉपी को फाड़ देते या फिर पूरा दिन मिट्टी के घर बनाते रह जाते थे।

अतः सीखने–सिखाने के अनुभव इस तरह डिजाइन करने चाहिए कि उसमे निर्माण वाली बात हो। उदाहरण के लिए आयत पढ़ाने के लिए बच्चे को कैंची, कागज व ज्यामिती बॉक्स देकर आयताकार कागज के टुकड़े काटने को कह सकते हैं। यदि बच्चा कुछ "निर्माण" के खेल कर रहा है तो उसको टोकने या डाँटने के स्थान पर उसे ाबाशी दें व उसे पढ़ाई–लिखाई या सीखने–सिखाने से जोड़ें।

नोटः– प्रशिक्षक बातचीत व चर्चा परिचर्चा के माध्यम से बाल मनोविज्ञान प्रकरण को आगे बढ़ाता है। प्रश्नों को समूह के सामने रखने के बाद प्रतिभागियों से मिलने वाले उत्तर बोर्ड पर लिखता रहता है व बाद मे संभावित उत्तरों को प्रशिक्षार्थियों के सम्मुख रखता है।

घर पर बच्चे की पढ़ाई और पालक :–

क्या करें :–

– जब तक पालक घर पर बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नही देंगे तब तक विद्यालय के प्रयासोंको सफलता मिलना असंभव है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े–लिखे हैं या नहीं।

– बच्चे को पढ़ाते समय डाँटने–फटकारने की बजाय उससे मित्रवत व्यवहार करें।

– धैर्य रखें। बच्चा यदि सीख नहीं रहा हो तो उस पर झुंझलाहट न दिखाकर अपने प्रयास को जारी रखें।

– बच्चे को पढ़ाई–लिखाई मे हर तरह से सहयोग करें। उसको पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायें। समय पर सुलायें–जगायें, खाने–पीने का ध्यान रखें। उसके खेल व मनोरंजन की उचित व्यवस्था करें। यहाँ तक कि अगर वह पढ़ रहा है और पानी पीना चाहता है तो उसकी सीट पर आप पानी ले जायें।

– बच्चे को पढ़ाई हेतु भयमुक्त शैक्षिक वातावरण दें। जैसे घर मे कलह, परिवार में शराब का सेवन न हो घर स्वच्छ व साफ सुथरा हो।

– बच्चे की प्रत्येक उपलब्धि पर उसकी पीठ थपथपाकर उसे प्रोत्साहित करें।

क्या न करें :–

– बच्चे को ठेस न पहुँचाएँ।

– अनावश्यक दूसरे बच्चोंसे तुलना न करें।

– दूसरोंके सम्मुख अपने बच्चे की अनावश्यक प्रशंसा न करें।

– बार–बार पढ़ने हेतु न कहें।

– बच्चे को किसी भी दशा में हतोत्साहित न करें।

कार्य योजना

आप अपने बच्चोंकी अच्छी शिक्षा के लिए कौन–कौन से कार्य करेंगे एवं कौन–से कार्य नहीं करेंगे?

क्र.	क्या करेंगे	क्या नहीं करेंगे
1.	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....
6	.....	.....

निष्कर्ष–

बाल्यावस्था बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। यदि प्रत्येक पालक एवं शिक्षक बाल मनोविज्ञान के अनुरूप बच्चोंका पालन–पोषण करेंगे तो ही बच्चोंका पूर्ण विकास संभव है।

बच्चों की ैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रक्रिया

उद्देश्यः—

1. बच्चों की ैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी देना।
2. ाला पूर्व की शिक्षा के महत्व को बताना।
3. विभिन्न प्रकार की ैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने की विधा से परिचित कराना।
4. बच्चों की ैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए समुदाय को सक्रिय सहभागिता हेतु प्रेरित करना।
5. 'करकेसीखना' पर आधारित नवाचारी प्रक्रियाओं से अवगत कराना।
6. बच्चों के सीखने की गति एवं स्तरानुरूप शिक्षा देने वाली प्रक्रियाओं से अवगत कराते हुए महत्व बताना।
7. प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत शिक्षण एवं उसके विकास हेतु लक्ष्य तैयार कर योजना बनाना।

आवश्यक सामग्रीः— व्हाईट बोर्ड, मार्कर, MGML, ELLC, ALM एवं ECCE का किट, ड्राईंग ीट।

विधिः— प्रश्नोत्तर एवं प्रदर्शन विधि

चर्चा के बिन्दुः—

(1) क्या आपके गाँव में आँगनबाड़ी केंद्र है?

संभावित उत्तरः—..

(2) क्या आप कभी आँगन बाड़ी केन्द्र गए है?

संभावित उत्तरः—..

(3) आपके आँगनबाड़ी केन्द्र में क्या—क्या होता है?

संभावित उत्तरः—..

(4) क्या आपके आँगनबाड़ी केन्द्र में "रेडी—टू—ईट" दिया जाता है?

संभावित उत्तरः—..

(5) क्या आपके आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को खेल खेलाए जाते हैं?

संभावित उत्तरः—..

(6) क्या आपके आँगनबाड़ी केन्द्र में ाला जाने की पूर्व तैयारी कराई जाती है?

संभावित उत्तरः—..

(7) क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चों को कुछ सिखाना चाहिए?

संभावित उत्तरः—..

(8) क्या आप बच्चों के मस्ति क विकास की प्रक्रिया से परिचित हैं?

संभावित उत्तरः—..

(9) क्या आपने आँगनबाड़ी केन्द्र में कोई चित्र कार्ड देखा है?

संभावित उत्तरः—..

मस्ति क विकास की प्रक्रियाः— गर्भ में ही बच्चे के मस्ति क का विकास प्रारंभ हो जाता है। 3 व तक के बच्चों

केमस्ति क का वजन 1100 ग्राम होता है जबकि एक वयस्क केमस्ति क का वजन 1400 ग्राम होता है। 3 व ा के बच्चो के मस्ति क में 10 खरब ज्ञान तंतु होते हैं। यदि उनके मस्ति क को उद्दीपन न मिले तो ज्ञान तंतु टूटकर झड़ने लगते हैं इसलिए जन्म के पश्चात् से ही बच्चों को सीखने की परिस्थितियाँ देने से बच्चे अपने मस्ति क की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। 0–3 व ा के बच्चों की देखरेख संबंधी जानकारियाँ आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से समुदाय को दी जाती है। इन बातों को भी ध्यान में रखकर हम अपने बच्चों के ारीर एवं मस्ति क का विकास कर सकते हैं।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 3–6 व ा के बच्चों के लिए चित्र, खेल एवं गीत आदि के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए कार्डों का निर्माण किया गया है।

प्रशिक्षक द्वारा प्रतिभागियों के सामने ECCE के किट के एक थीम का प्रदर्शन करें एवं अनौपचारिक शिक्षा की अवधारणा को स्प ट करें।

प्रदर्शन के पश्चात् प्रशिक्षक प्रतिभागियों से उनका अनुभव सुनेंगे।

प्रश्नः– क्या आपको यह प्रक्रिया अच्छी लगी?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या आपको लगता है कि बच्चे इन कार्डों के माध्यम से कुछ सीख पायेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या बच्चों को सीखने में मजा आयेगा?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या ऐसी गतिविधियाँ कराने से बच्चे आँगनबाड़ी जाने में रूचि दिखायेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– इन गतिविधियों को कराने में आप क्या सहयोग दे सकते हैं?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या इन गतिविधियों के माध्यम से सीखे हुए बच्चे स्कूल जाना पसंद करेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या आप अपने आँगनबाड़ी को सबसे अच्छा आँगनबाड़ी केन्द्र के रूप में देखना चाहेंगे?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– यदि हाँ, तो एक अच्छे आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए कौन–कौन से मापदण्ड होने चाहिए?

संभावित उत्तरः–.....

ECCE के ग्रेडेशन का आधार

ग्रेड 'ए':–

(1) तार की जाली, पॉकेट बोर्ड, जन्मतिथि चार्ट, मौसम चार्ट, थीम वेब चार्ट, उपस्थिति चार्ट, मूल्यॉंकन चार्ट, कंकड़, बीज आदि यथास्थान उपलब्ध है।

(2) प्रत्येक चार्ट का प्रतिदिन संधारण हो रहा है।

(3) ECCE के अनुरूप पाँचों विकास के क्षेत्रों पर प्रतिदिन 20–20 मिनट गतिविधियाँ हो रही है।

ग्रेड 'बी'

(1) कक्षा–कक्ष की सजावट पूर्ण हो चुकी है।

(2) प्रक्रियानुरूप कार्डों के माध्यम से गतिविधियाँ नहीं हो रही है।

ग्रेड 'सी'

(1) कार्ड अभी भी डिब्बे में बंद है।

(2) कक्षा–कक्ष की सजावट प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हुई है।

प्रश्नः– क्या बच्चों को स्कूल में भी खेल–खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– वर्तमान में आपके स्कूल में किस पद्धति से पढ़ाई होती है?

संभावित उत्तर.....

प्रशिक्षक प्रतिभागियों के द्वारा दिये गये उत्तरों को व्हाईट बोर्ड में लिखते जायेंगे।

MGML (बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण)

प्रश्नः– क्या सभी बच्चे एक जैसे होते है?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या एक कक्षा के सभी बच्चे एक जैसे सीखते हैं?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या एक कक्षा के सभी बच्चे एक ही स्तर के होते हैं?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या शिक्षक अलग–अलग स्तर और अलग–अलग गति से सीखने वाले सभी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या इन सभी कारणों से बच्चों के सीखने में असमान स्थिति निर्मित नहीं होती?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या हम ऐसी स्थिति में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की ओर समुचित ध्यान दे पाते हैं?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या तेज गति से सीखने वाले बच्चों को अपनी गति से सीखने का समुचित अवसर मिल पाता है?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को कक्षा नीरस नहीं लगती?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या इससे बच्चे ाला त्यागी नहीं हो जाते?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या इससे बच्चे का आत्मविश्वास कम नहीं होता?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः– क्या बच्चों के गति एवं स्तरानुरूप शिक्षण के लिए शिक्षा का अधिकार कानून में कोई प्रावधान है?

संभावित उत्तरः–.....

अब प्रशिक्षक बतायेंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल–शिक्षा का अधिकार कानून के अन्तर्गत बच्चों को अपनी गति एवं स्तर से सीखने का अधिकार है।

प्रश्नः– क्या आप कोई ऐसी गतिविधि से परिचित है जो बच्चों को गति एवं स्तर के अनुसार शिक्षा दे सके?

प्रशिक्षक कहेंगे कि आइये अब हम बहु–कक्षा एवं बहुस्तरीय (MGML) शिक्षण प्रक्रिया पर चर्चा करें।

MGML की अवधारणाः–

जब एक से अधिक कक्षा के अलग–अलग गति एवं स्तर से सीखने वाले बच्चे एक ही कक्ष में, एक ही समय में, अलग–अलग समूहों में अपनी गति एवं स्तर के अनुसार रूचिपूर्वक गतिविधि करते हुए आनंददायी वातावरण में सीखते हैं। वहाँ शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। तब यह पद्धति बहु कक्षा एवं बहु स्तरीय (MGML) शिक्षण पद्धति कहलाती है। इसमें बच्चे पुस्तक के बदले कार्डो से गतिविधियाँ करते हैं।

महत्वपूर्ण टीपः– यह पद्धति शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह वर्तमान समय की एक ैक्षिक आवश्यकता है।

(MGML) के अंगों का सामान्य परिचयः–

(1) माईल स्टोनः–

शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु पाठ्यक्रम को छोटे–छोटे भागों में बाँट दिया गया है।

(2) लोगोः–

एक प्रतीक चिन्ह है, जिसके माध्यम से बच्चा गतिविधियों को पहचानता है।

(3) लेडरः–

ैक्षिक विकास को दर्शाने वाला संकेतक है। बच्चे लेडर के अनुसार गतिविधि का चयन करते है।

(4) समूह थालीः–

एक–दूसरे से सहयोग प्राप्त करने का माध्यम है। कुल 6 थाली समूह हैं।

(5) किटः–

बच्चों की ैक्षिक कठिनाईयों को सरल एवं आनन्ददायी बनाने की सामग्री है।

अब प्रशिक्षक हिन्दी एवं गणित के एक–एक माईल स्टोन का प्रतिभागियों के सामने प्रदर्शन करेंगे।

आईये देखें कि MGML 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पर कितना सटीक है?

बाल शिक्षा का अधिकार	MGML
* धारा 3 के उपधारा 4 में यह प्रावधान है कि आयु अनुरूप कक्षा में सीधे दाखिला पाए बच्चें को दूसरे बच्चे के बराबर आने के लिए निर्धारित तरीके एवं समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।	* शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य ासन आर. टी. सी. एवं एन. आर. टी. सी. प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन कर रही है। यदि इन प्रशिक्षण केंद्रों में एम. जी. एम. एल. शिक्षण पद्वति से शिक्षा दी जाये तो बच्चे तीव्र गति से सीखेंगे एवं निर्धारित समय सीमा से पहले दक्षताओं को प्राप्त कर लेंगे। इस पद्धति से कम समय में अधिक से अधिक सिखाया जा सकता है।
* धारा 8 की उपधारा 'ग' दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो।	* MGML शिक्षण प्रक्रिया में व्यक्तिगत शिक्षण होता है अर्थात् प्रत्येक बच्चे को पहले समूह में अवधारणा सिखाने का कार्य शिक्षक को ही करना होता है। अतः इस प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में पक्षपात की संभावना नहीं रहती है।प्राथमिक शिक्षा में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होता और शिक्षा न मिलने की बाधा समाप्त हो जाती है।
* धारा 8 की उपधारा 'छ' प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	* MGML प्रक्रिया में यदि शिक्षक अवधारणा कार्ड और बाकी सभी कार्डों को बेहतर तरीके से उपयोग करता है तो निर्धारित समयावधि में बच्चा सीख ही जायेगा। इस प्रक्रिया में बच्चों की कमियों को पहचानने का भी उपकरण है। अतः उपचारात्क शिक्षण द्वारा कमजोर से कमजोर बच्चों के कमियों को दूर करना ही होता है।
* धारा 8 की उपधारा 'ज' प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को समय से विहित करना।	* MGML प्रक्रिया में प्रत्येक माईल स्टोन में पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को समय से विहित किया गया है।
* धारा 8 में प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो कहा गया है।	* MGML प्रत्येक बच्चे की सीखने की स्थिति को सुनिश्चित करता है।
* धारा 9 में अकादमिक कैलेण्डर का विनिश्चय करना।	* सालभर स्कूल में क्या–क्या होगा। MGML का का माईल स्टोन अपने आप तय करता है।
* धारा 16 के अन्तर्गत किसी भी बालक या	* MGML प्रक्रिया में पास और फेल पर ध्यान नहीं

बालिका को किसी भी कारण से फेल नहीं किया जायेगा।	दिया गया है। बल्कि प्रत्येक माईल स्टोन को गुणवत्ता के साथ सीखने पर जोर दिया गया है।
* धारा 24 की उपधारा 'ख' तय समय सीमा के अन्दर पाठ्यक्रम संचालित करना एवं पूरा करना।	* MGML प्रक्रिया में माईल स्टोन अर्थात् जो पाठ्य–क्रम है। जिसमें समय का निर्धारण है। निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करने पर शिक्षक बच्चे की कठिनाईयों तलाशता / पहचानता है। बच्चे की शिक्षण के कमजोरियों को पहचानकर उपचारात्मक शिक्षण कर समय सीमा में पाठ्यक्रम को पूरा करता है।
* धारा 24 की उपधारा 'घ' प्रत्येक बच्चे की पढ़ने के स्तर का निर्धारण और तद्नुसार अतिरिक्त शिक्षण ।	* प्रक्रिया की मुख्य विशे ाता प्रत्येक बच्चे की गति एवं स्तर के अनुसार शिक्षण है। वि ाय आधारित लेडर प्रत्येक कार्ड की गतिविधि कराने एवं अगले कार्डों में जाने के पहले उपचारात्मक कार्डों की व्यवस्था है। नई योजना तैयार कर प्रत्येक बच्चे को जाँचने और उसके अनुरूप शिक्षण की पूरी व्यवस्था करता है।
* धारा 24 की उपधारा '1' ङ के अन्तर्गत माता–पिता एवं पालकों को बच्चों की नियमित उपस्थिति, अधिगम क्षमता एवं अधिगम में उन्नति और अन्य संबंधित सूचना देना।	* MGML प्रक्रिया में माता–पिता, पालकों एवं समुदाय को कहानी सुनाने व चर्चा करने के लिए स्कूल बुलाया जाता है। इस दौरान दीवार में लगे मूल्यांकन चार्ट एवं शिक्षक की निजी डायरी द्वारा प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति, बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताएँ और उनकी प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है।
* धारा 24 की उपधारा '1' च के अन्तर्गत इसी प्रकार के अन्य कार्य संपादित करना।	* प्रक्रिया में गाँव के कामगारों (कृ ाक, बढ़ाई लोहार आदि) को कक्षा में अपने रोजगार के बारे में जानकारी देने के लिए कहा जाता है। साथ ही पर्यावरण शिक्षण के दौरान बच्चों को सर्वे करने एवं सीधे ग्रामीणों से चर्चा करने के लिए गतिविधियाँ दी जाती हैं।
* धारा 29 की उपधारा 'ख' बालक का सर्वांगीण विकास	* MGML प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे को शिक्षक, साथी और स्वयं से सीखने के कई अवसर उपलब्ध होते है। जो प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि इस कक्षा के बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं।
* धारा 29 की उपधारा 'ग' बालक के ज्ञान, अन्तःशक्ति और योग्यता	* MGML प्रक्रिया में अवधारणात्मक समझ के पश्चात् 10–14 कार्ड अभ्यास, अन्तःशक्ति और योग्यता का

का निर्माण करना।	निर्माण करने हेतु प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध होते हैं। समूह विभाजन की प्रक्रिया से गुजरकर स्वअधिगम तक जाने में धारा 29 'ग' की स्थिति पूर्ण होती है।
* धारा 29 की उपधारा 'ङ' बाल अनुकूल और बाल केंद्रित रीति में क्रियाकलापों का प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण।	* MGML की प्रक्रिया, किट और सामग्री, बाल अनुकूल और बाल केंद्रित रीति का ही अनुपालन करती है। पासा, अन्ताक्षरी, रेलगाड़ी का खेल, बिल्लस का खेल आदेश–निर्देश के पालन संबंधी खेल तथा पर्यावरण में खेल के अवसर प्राप्त होते है।
* धारा 29 की उपधारा 'छ' बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना।	* यह पूरी प्रक्रिया बच्चे को भय मुक्त तो करती ही है साथ ही कई ऐसे कार्य हैं जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने के अवसर देते हैं। समूह शिक्षण प्रक्रिया इस पूरी प्रक्रिया में मदद करता है ।
* धारा 2 के 'क' के अन्तर्गत संविधान द्वारा संकल्पित पवित्र मूल्यों का समावेश	* MGML प्रक्रिया सहयोग के सिद्धांत पर बनी है। सीखे हुए बच्चे, नहीं सीखे हुए बच्चों को स्वप्रेरित होकर सिखाते हैं साथ ही पूरे कार्डों का रख–रखाव एवं प्रबंधन बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। कार्डों में विशे ा रूप से प्रेम, प्रकृति प्रेम, सद्भावना, नैतिक दायित्व, सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण, जीवन–विद्या एवं अच्छी आदतों के विकास जैसे अनेक नैतिक मूल्यों को रखा गया है।
* धारा 29 की उपधारा (2) 'घ' के अन्तर्गत बाल मैत्री व बालकेन्द्रित तरीके से गतिविधियों, खोजों और परीक्षणों द्वारा अधिगम।	* MGML पूर्णतया बालकेन्द्रित एवं बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षण पद्धति है। इसमें शिक्षक बच्चों के साथ जमीन पर बैठता है एवं बच्चों की रूचि के अनुरूप शिक्षा देता है। साथ ही किसी प्रश्न का उत्तर बच्चों पर थोपने के बजाय बच्चों को गतिविधियाँ कराकर खोजों एवं परीक्षणों द्वारा हल पाने का प्रयास करवाता है। गणित, हिन्दी, अंग्रेजी जैसे वि ायों को बड़े ही रोचक एवं मैत्रीपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता है। पर्यावरण वि ाय का आधार तो खोज एवं परीक्षण ही है।
* धारा 29 की उपधारा (2) 'च' के अन्तर्गत शिक्षण का माध्यम जहाँ तक व्यवहारिक हो,	* MGML शिक्षण पद्धति मातृभा ा द्वारा शिक्षण को बहुत महत्व देती है। इस हेतु MGML के कार्डों को

मातृभा ा होगी।	हल्बी, भतरी एवं गोंडी जैसे स्थानीय बोलियों में कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा MGML के अन्तर्गत 'रीडर्स' को बच्चों की मातृभा ा में बताया जाता है।

आईये देखें MGML के ग्रेडेशन का आधार क्या है?

ग्रेड 'ए':–

(1) बच्चों का अनुमानित व वास्तविक माइल स्टोन निकाला जा चुका है।

(2) कक्षा सजावट पूर्ण हो चुकी है। तार की जाली पर गीत, कविता, कहानी से संबंधित चित्र टँगे हुए हैं।

(3) मूल्यांकन प्रपत्र संधारित हो रहे हैं।

(4) पासा, गुटका, बटन, कंकड़, बीज आदि का उपयोग कक्षा में हो रहा है। टाट–पट्टी के स्थान पर दरी या चटाईयाँ बिछी हुई है। भू–स्तर यामपट का उपयोग हो रहा है। स्क्रैप बुक बनाया जा रहा है। रैक, ट्रे, समूह थाली एवं लेडर व्यवस्थित हैं। बिल्लस के खाने, पॉकेट बोर्ड बने हुए हैं।

(5) शिक्षक डेली डायरी में बच्चों की दिनभर की गतिविधियों का रिकार्ड रख रहे हैं।

(6) शिक्षक अवधारणा कार्ड को सही तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। बच्चे लेडर देखकर कार्ड उठा रहे हैं एवं समूह में गतिविधि कर रहे हैं। सीखे हुए बच्चे अन्य बच्चों को सिखा पा रहे है। सृजन के अनुरूप अन्य खेल गतिविधियाँ कराई जा रही है। माताएँ ाला में आकर कहानी सुनाती है। कामगार (लोहार, बढ़ाई, कुम्हार, सुनार) को ाला में आमंत्रित करके बच्चों को आवश्यक शिक्षा दी जाती है।

ग्रेड 'बी':–

(1) रैक पर कार्ड ट्रे में सजे हुए हैं।

(2) लेडर, लोगो, समूह थाली उचित स्थान पर लगे है।

(3) बच्चों का अनुमानित एवं वास्तविक माइल स्टोन निकाला जा चुका है परन्तु प्रक्रिया के अनुरूप अध्यापन प्रारंभ नहीं हुआ है।

ग्रेड 'सी':–

(1) कक्षा–कक्ष की सजावट हो चुकी है।

(2) अनुमानित एवं वास्तविक माइल स्टोन नहीं निकाला गया है।

(3) प्रक्रियानुरूप अध्यापन प्रारंभ नहीं हुआ है।

ग्रेड 'डी':–

(1) कार्ड डिब्बे में बंद पड़े हैं।

(2) कक्षा–कक्ष की सजावट नहीं हुई है।

(3) रैक एवं ट्रे उपलब्ध नहीं हैं।

(4) पद्धति के अनुरूप कुछ भी कार्य नहीं हुआ है।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से उनके अनुभव पूछेंगे:–

प्रश्नः– आपको MGML शिक्षण प्रक्रिया कैसी लगी?

संभावित उत्तरः–.....

प्रश्नः— क्या बच्चे इस प्रक्रिया में गति एवं स्तरानुरूप सीख पायेंगे?

संभावित उत्तरः—.....

प्रश्नः— क्या आप गाँव के लोगों, माताओं एवं कामगारों को स्कूल में कहानी एवं जानकारियाँ देने के लिए तैयार कर पायेंगे?

संभावित उत्तरः—.....

प्रश्नः— क्या इन गतिविधियों से बच्चों में गुणवत्ता आयेगी?

संभावित उत्तरः—.....

अब प्रशिक्षक कहेंगेः—

MGML प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेल—खेल में शिक्षा देता है। ऐसी ही कुछ प्रक्रियाएँ पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी चलाई जा रही है।

ALM (Active Learning Method):-

एक्टिव लर्निंग मेथड (सक्रियता से सीखने की विधि) में बच्चों को शिक्षक विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियों द्वारा अध्यापन कार्य कराते हैं। इससे बच्चों में सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है और शिक्षक गतिविधियों के द्वारा उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। इस पद्धति में सहायक शिक्षण सामग्री का भरपूर उपयोग किया जाता है।

ELLC (English Language Learning Club):-
(अंग्रेजी भाषा शिक्षण समिति)

इसके अन्तर्गत बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाने हेतु विशेष कार्य किये जाते हैं चूँकि बच्चे ज्यादा समय घरों में बिताते हैं। अतः पालकों, बच्चों एवं समुदाय को मिलाकर एक समिति बनाई जाती है। यह समिति बच्चों को अंग्रेजी बोलने एवं सीखने में मदद करती है।

माइक्रोप्लानिंग की फाइल पढ़कर देखिए कि आपके गाँव में शिक्षण की कौन—कौन सी पद्धतियाँ लागू की गई है। क्या आप इन पद्धतियों से संतुष्ट हैं?

क्र.	लागू की गई पद्धतियाँ	वर्तमान स्थिति	गुणवत्तायुक्त बनाने हेतु उपाय	दायित्व	कब तक
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....	.....

निष्कर्षः— शिशु शिक्षा, बहु कक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण प्रणाली, एक्टिव लर्निंग मेथड एवं अंग्रेजी शिक्षण क्लब जैसे प्रक्रियाएँ स्कूलों में चलाई जा रही है। सरपंच एवं समुदाय को इनके सफल क्रियान्वयन के लिए सतत् मॉनिटरिंग करनी होगी। तभी हमारे सभी बच्चे गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

(सृजन गीत गाएँगे)

मूल्यांकन कैसे करें?

उद्देश्यः–

(1) सतत् एवं समग्र मूल्यांकन के महत्व को समझाना।

(2) शिक्षा के अधिकार कानून के अन्तर्गत परीक्षा प्रणाली के स्थान पर सतत् एवं समग्र मूल्यांकन के अवधारणा की जानकारी देना।

(3) बच्चों के मूल्यांकन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु समुदाय को प्रेरित करना।

(4) परीक्षा प्रणाली के दो ों का एहसास कराना।

(5) परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन के बीच मूलभूत अंतर से अवगत कराना।

आवश्यक सामग्रीः– व्हाईट बोर्ड, ड्रईंग ीट, स्केच पेन, मार्कर आदि।

– प्रशिक्षक प्रतिभागियों से पूछेंगे कि परीक्षा प्रणाली में कौन–कौन से गुण एवं दो ा हैं? प्रशिक्षक प्रतिभागियों के द्वारा बताए गए गुण एवं दो ों को व्हाईट बोर्ड में लिखते जाएँगे।

संभावित उत्तरः–

क्र	परीक्षा प्रणाली के गुण	क्र	परीक्षा प्रणाली के दो ा
01.	बच्चे परीक्षा में असफल होने के भय से पढ़ते हैं।	01.	बच्चों में परीक्षा का भय हमेशा व्याप्त होता है।
02.	शिक्षक परीक्षा के कारण कोर्स पूर्ण करते हैं।	02.	परीक्षा के कारण मानसिक प्रताड़ना होती है।
03.	परीक्षा के कारण शिक्षक अतिरिक्त कक्षा लेते हैं।	03.	परीक्षा से बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
04.	बच्चों के परीक्षा देने के बाद पालकों को संतु ट मिलती है।	04.	बच्चे पालकों के दबाव के कारण पढ़ते है, उनमें स्वयं सीखने की इच्छा नहीं होती।
05.	बच्चों की स्मरण क्षमता का पता चलता है।	05.	डिग्री हासिल हो जाती है परन्तु दक्षताओं एवं व्यवहारिक ज्ञान का पता नहीं चल पाता।
06.	उसके ज्ञान के स्तर का मापन अंको से होता है।	06.	अनुचित साधनों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
07	अगली कक्षा में जाने के लिए सीढ़ी का काम करता है।	07	साल भर में सीखे गए पाठ्यक्रमों की परीक्षा केवल कुछ घण्टों में ही हो जाती है।
08.	प्राप्तांको के आधार पर अच्छे स्कूल में प्रवेश मिल जाता है।	08.	केवल मानसिक स्मरण ाक्ति का पता लगाया जाता है।
09.	प्राप्तांको के आधार पर नौकरी मिल जाती है।	09.	परीक्षा के भय से अधिकांश बच्चे ाला त्यागी हो जाते हैं।
10.	परीक्षा से प्राप्त अंक सूची हमें पढ़ा –लिखा साबित करती है।	10.	शिक्षक परीक्षा के नाम पर भय दिखाकर पढ़ाते हैं।
11.	अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों का सम्मान	11.	परीक्षा के कारण ाला त्यागी बच्चों की संख्या

होता है।	बढ़ी है। 12. शिक्षक बच्चोंको ारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। 13. बच्चोंके खुद के अनुभव को व्यक्त करने का कोई स्थान नहीं है। 14. परीक्षा बच्चों के समग्र विकास में बाधक है। 15. परीक्षा से बच्चोंका समग्र मूल्यांकन नहीं हो पाता। 16. पढ़ने का उद्देश्य केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है। 17. परीक्षा में सफल न होने के कारण कई बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। 18. परीक्षा से बच्चे कुण्ठित हो जाते हैं। 19. परीक्षा में प्रतिस्पर्धा के कारण ई र्या का भाव उत्पन्न होता है। 20. बच्चों में तर्कशक्ति का पतन हो जाता है। 21. परीक्षा का उद्देश्य बच्चोंका सर्वांगीण विकास न होकर लिखित परीक्षा को महत्व देना है।

अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों से पूछेंगे कि इतने दो ों के बावजूद क्या आप परीक्षा प्रणाली को अपनाना चाहेंगे?

या

इससे बेहतर मूल्यांकन पद्धति को अपनाना चाहेंगे?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर उसके स्थान पर सतत् एवं समग्र मूल्यांकन करने का प्रावधान है।

हम बच्चों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन कैसे करें?

गतिविधिः–

प्रशिक्षक परीक्षा प्रणाली के दो ों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन पद्धति हेतु प्रतिभागियों से प्रश्न पूछकर मानक बिंदु तय करेंगे।

क्र.	मूल्यांकन कैसे करें? (संभावित उत्तर)
01.	बच्चोंका मूल्यांकन भयमुक्त वातावरण में करें।
02.	मूल्यांकन को आनन्ददायी बनाया जाए, ताकि बच्चे अपना स्वमूल्यांकन कर सकें।
03.	बच्चोंको अपने मनपसंद वि ायों पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर दें।
04.	समुदाय के सभी लोग मिलकर मूल्यांकन करेंगे, जिससे अनुचित साधनों का प्रयोग करने का अवसर ही

नहीं होगा।

05. बच्चों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन होगा।

06. इसमें बच्चों के मानसिक, बौद्धिक, साँस्कृतिक एवं व्यवहारिक स्तर का पता चलेगा।

07. मूल्यांकन बच्चों को ाला से जोड़ने का कार्य करेगी।

08. शिक्षक भी भय मुक्त होकर कक्षा में बच्चों से मित्रवत् व्यवहार करते हुए मूल्यांकन कर सकेंगे।

09. बच्चे के प्रत्येक क्रियाकलापों एवं अनुभवों को मूल्यांकन में स्थान दिया जायेगा।

10. मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा बच्चों की उपलब्धि का स्तर एवं कठिनाइयों का आँकलन किया जायेगा।

11. उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपचारात्मक शिक्षण किया जायेगा।

12. इस प्रकार मूल्यांकन से बच्चों के प्रत्येक क्षेत्र का ात–प्रतिशत आँकलन होगा।

13. इसमें पालकों को अपने बच्चों के स्तर का पता चल सकेगा।

14. मूल्यांकन प्रगतिकारक होगा।

15. पालक अपने बच्चे का मूल्यांकन स्वयं करेंगे।

16. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत् परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दी गई है।

17. सभी बच्चे अपने गति एवं स्तर के अनुरूप सीखते हैं।

18. स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है।

19. पढ़ने का उद्देश्य समझ के साथ सीखना होता है।

20. मूल्यांकन पद्धति में स्वयं के सीखे गए दक्षताओं का मापन होता है।

प्रश्नः— बताइये कि बच्चों के सतत् एवं समग्र मूल्यांकन में आप क्या सहयोग कर सकते हैं?

संभावित उत्तरः—...

टीपः— MGML संचालित ाालाओं में बच्चों का मूल्याँकन MGML प्रणाली से होगा।

कार्य योजना

प्रश्नः— यदि आप अपने बच्चों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन करें तो इसके लिए कौन–कौन से क्षेत्रों का चयन करेंगे?

क्र	मूल्यांकन के क्षेत्र	मूल्यांकन कैसे	जिम्मेदारी	कब तक
1.	....	....	....	....
2	....	....	....	....
3.	....	....	....	....
4.	....	....	....	....
5.	....	....	....	....

नि कर्ा— शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् परीक्षा प्रणाली के स्थान पर सतत् एवं समग्र मूल्याँकन का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में बच्चे शिक्षा का उपयोग व्यवहारिक रूप से कर सकेंगे।

पालकों से मिलकर बच्चों की समस्याओं को कैसे दूर करें?

उद्देश्यः—

(1) सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।

(2) पालकों का सहयोग लेकर सभी बच्चों का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।

(3) बच्चों के सीखने की गति एवं स्तर के अनुरूप गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना।

(4) बच्चे, पालक, शिक्षक एवं समुदाय के बीच में समन्वय स्थापित करना।

(5) श्रे ठ पालकत्व की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करना।

(6) पालकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति जवाबदारी तय करना।

(7) पालकों में बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।

आवश्यक सामग्रीः— ड्राईंग ीट, स्केच पेन, मार्कर, व्हाईट बोर्ड, बच्चों की ैक्षिक समस्याओं का चार्ट आदि।

विधिः— चर्चा एवं परिचिर्चा विधि।

गतिविधिः— प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को समूह में बॉटेंगे, प्रत्येक समूह में कम से कम 8 प्रतिभागी होंगे।

निर्देशः—प्रशिक्षक बच्चों की ैक्षिक समस्याओं से संबंधित चार्ट का प्रदर्शन करते हुए प्रतिभागियों को निर्देशित करेंगे कि प्रत्येक समूह, चार्ट में प्रदर्शित समस्याओं का अवलोकन करते हुए उनके निराकरण के लिए चर्चा एवं परिचिर्चा के द्वारा एक कार्ययोजना बनाएँ।

बच्चों की ैक्षिक समस्याएँ—

(1) शिक्षण पद्धति का बच्चों के रूचि व स्तर के अनुरूप न होना।

(2) परीक्षा के प्रति बच्चों के मन में भय।

(3) गलत संगति में पड़ जाना।

(4) खेलों के प्रति अत्यधिक रूचि।

(5) बच्चों का हीन भावना से ग्रसित होना।

(6) साथी से विवाद हो जाना।

(7) कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों का आ जाना।

(8) किसी भी प्रकार की ारीरिक विकलाँगता, संकोची एवं उद्दण्ड प्रवृत्ति का होना।

(9) वि ाय विशे ा के प्रति भय, जैसे कि गणित वि ाय को जटिल समझना।

(10) विभिन्न त्यौहारों एवं उत्सवों में अत्यधिक संलिप्तता।

क्र	बच्चों की ैक्षिक समस्याएँ	उन समस्याओं का पालकों/शिक्षकों/समुदाय के द्वारा निदान
01.	शिक्षण पद्धति का बच्चों के रूचि व स्तर के अनुरूप न होना।	प्राथमिक ालाओं में एम.जी.एम.एल., पूर्व माध्यमिक ालाओं में ALM, ELLC, खेल—खेल में शिक्षा एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करने में पालक शिक्षकों का सहयोग करेंगे।
02	बच्चों के मन में परीक्षा के प्रति भय।	RTE कानून 2009 के तहत् परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल बच्चों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन होगा। जिसके

		अन्तर्गत CEC बच्चों के दक्षता का मूल्यांकन, खेल–खेल में एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से करेंगे। इस तरह से बच्चों के मन से परीक्षा का भय समाप्त कर सकेंगे।
03.	कुसंगति में पड़ जाना।	शिक्षक, सरपंच, पंच, पालक एवं समुदाय के सहयोग से वार्डवार निगरानी समिति का गठन करेंगे। यह समिति ऐसे बच्चों का चिन्हाँकन करेगी, जो किसी भी प्रकार की बुरी आदतों में पड़े हुए हैं जो अन्य बच्चों को भी ऐसे कार्यों में ामिल कर लेते है। यह समिति ऐसे चिन्हाँकित बच्चों के पालकों एवं समुदाय का सहयोग लेकर उनमें अच्छी आदतें डालने के लिए प्रेरित करेगी तथा उन्हें ऐसी बुरी आदतों से होने वाले नुकसान एवं दु परिणामों को बताएगी एवं उन बच्चों में उन आदतों के सुधार होने तक निगरानी रखेगी।
04.	बच्चों का खेलों के प्रति विशे ा रूझान।	विद्यालय में पालकों एवं समुदाय के सहयोग से MGML एवं ALM जैसी खेल–खेल में सिखायी जाने वाली शिक्षण विधि के माध्यम से शिक्षण कराया जाएगा। जिससे विद्यालय में भी घर की तरह आनन्दपूर्ण वातावरण बन सके। जिससे बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा का आनन्द मिल सके।
05.	बच्चों में शिक्षक एवं गृह कार्य के प्रति भय।	प्राथमिक ालाओं में एम.जी.एम.एल. शिक्षण प्रणाली में गृह कार्य के स्वरूप को बदल दिया गया है। उन्हें गृह कार्य के रूप में विभिन्न प्रकार के अवलोकन एवं सर्वेक्षण का कार्य दिया जाता है, जिससे बच्चों में गृहकार्य न करके आने पर डाँट खाने अथवा अपमानित होने का भय नहीं रहता। सभी शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद भी यदि कोई शिक्षक बच्चों से कठोर व्यवहार करता है, तो उसे SDMC, CEC, सरपंच, पालक एवं समुदाय मिलकर उचित व्यवहार करने के लिए समझाईश देंगे। वैसे भी वर्तमान में लागू गति एवं स्तरानुरूप शिक्षण प्रणालियों ने बच्चों और शिक्षकों के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया है।
06.	बच्चों का हीन भावना से ग्रसित होना।	शिक्षक एवं पालक यह सुनिश्चित करेंगे कि किन्हीं भी दो बच्चों के बीच तुलना न करें। प्रत्येक बच्चों की कठिनाईयों को प्रेमपूर्वक दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई भी व्यवहार न करें, जिससे बच्चों को अपनी कमजोरी का एहसास हो और वह अपने आपको कमजोर समझते हुए हीन भावना से ग्रसित हो जाए।

07.	साथी से विवाद।	शिक्षक बच्चों को आपस में सहयोग, प्रेम एवं सद्भाव से रहने की नैतिक शिक्षा देंगे जिसमें समुदाय की पूरी सहभागिता होगी। कक्षा शिक्षण में शिक्षक ऐसे वि ाय एवं शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चों में नैतिकता, आपसी सहयोग, प्रेम एवं भाईचारे जैसे गुणों का विकास हो सके।
08.	कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों का आ जाना।	ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता या घर के मुखिया का साया उनके सिर से उठ जाता है तथा उस घर की पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे पर आ जाती है। समुदाय द्वारा ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए उस घर की जिम्मेदारियों में उस बच्चे का सहयोग किया जायेगा।
09.	किसी भी प्रकार की ाारीरिक विकलाँगता।	जो बच्चे निःशक्त होने के कारण शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे है उन्हें ाला तक लाने के लिए सरपंच एवं समुदाय द्वारा विशे ा व्यवस्था की जायेगी। उन्हें ाासन द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं को भी सरपंच एवं समुदाय उपलब्ध कराएँगे। ऐसे बच्चों के लिए ाासन अनुदेशक नियुक्त करेंएवं विशे ा स्कूल चलाएँ।
10.	बच्चों का संकोची एवं उद्दण्ड स्वभाव।	संकोची प्रवृत्ति के बच्चों का संकोच दूर करने के लिए शिक्षक, पालकों से संपर्क करके ऐसे बच्चों को जिम्मेदारी वाले कार्य देंगे। बच्चों को बार–बार आगे आने तथा अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करेंगे। उद्दण्ड बच्चों के ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना आवश्यक होगा।
11.	वि ाय विशे ा के प्रति भय।	कठिन वि ायों को पढ़ाने के लिए शिक्षक अधिक से अधिक सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। वि ायवस्तु को स्प ट करने के लिए अधिक से अधिक गतिविधियाँ करवाएँगे। इस क्रम में विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों को जोड़ने के लिए शिक्षक, समुदाय का भी सहयोग लेंगे।
12.	बच्चों का त्यौहारों एवं उत्सवों के प्रति अधिक रूचि।	SDMC, CEC, पालक, शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न प्रकार के स्थानीय त्योहारों पर विद्यालय में समारोह का आयोजन हो तथा संबंधित त्योहारों के अनुरूप मध्यान्ह भोजन में बच्चों को पकवान दिया जाये।

कार्य योजना

माईक्रोप्लानिंग फाईल का अवलोकन कर समस्याग्रस्त बच्चों की सूची बनाएँ तथा उनके निदान के लिए अभी तक किए गए कार्यों का विवरण लिखें—

क्र	बच्चों का नाम	समस्या	निदान के लिए उपाय	तिथि	जिम्मेदारी	परिणाम
1.	....	....	....	....	....	....
2	....	....	....	....	....	....
3.	....	....	....	....	....	....
4.	....	....	....	....	....	....
5.	....	....	....	....	....	....
6.	....	....	....	....	....	....
7.	....	....	....	....	....	....
8.	....	....	....	....	....	....

नि□क□ा— बच्चोंसे जुड़ी ऐसी कोई ैक्षिक समस्या ही नहीं है जिसे शिक्षक, पालक एवं समुदाय मिलकर हल नहीं कर सकते। वर्तमान में समुदाय को विद्यालय से जुड़ने की आवश्यकता है।

................00...............

शिक्षा विभाग से अन्य विभागों का समन्वय

उद्देश्यः—

(1) अन्य विभागों के समन्वय से शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करना।

(2) शिक्षा के विकास में अन्य विभागों की जवाबदेही तय करना।

(3) बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अन्य विभागों का सहयोग प्राप्त करना।

(4) अन्य विभागों से समन्वय बनाने हेतु कार्ययोजना बनाना।

आवश्यक सामग्रीः—व्हाईट बोर्ड, मार्कर, ड्राईंग शीट, स्केल, स्केच पेन एवं अन्य विभागों से समन्वय संबंधित चार्ट

विधिः—

चार्ट प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि।

निर्देशः—

प्रशिक्षक प्रतिभागियों को चार्ट का प्रदर्शन करते हुए सभी विभागों का शिक्षा विभाग से समन्वय संबंधित जानकारियाँ प्रदान करेंगे।

क्र.	विभाग का नाम	प्राप्त सुविधाएँ	अपेक्षित सहयोग	सहयोग पश्चात् परिणाम	सम्पर्क अधिकारी एवं विभाग
01	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	विद्यालयों में नल—कूप खोदना एवं लगाना। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। जल स्रोतों का रख—रखाव एवं साफ—सफाई कराना। खराब हेण्डपंपों की मरम्मत करना। शौचालय का निर्माण कराना।	समस्त विद्यालयों में हेण्डपंप की व्यवस्था करना। बरसात के समय में समस्त जलस्रोतों में आवश्यकता अनुसार लाल दवा (ब्लीचिंग पाउडर) अनिवार्य रूप से डालना।	विद्यालय में अध्ययनरत् समस्त बच्चों को पीने योग्य स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। बच्चे स्वस्थ रहेंगे। दूषित जल से होने वाले बीमारियाँ नहीं होंगी।	अभियंता, सहा. अभियंता, उप अभियंता, हेण्ड पंप तकनीशियन, लोस्वा. एवं यांत्रिकी विभाग

02	महिला एवं बाल विकास विभाग	आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन करना। रेडी टू ईट का वितरण। टीकाकरण। अनौपचारिक शिक्षा संदर्भ सेवा। स्वास्थ्य पो ाण। वृद्धि निगरानी। पूरक पो ाण आहार	अनौपचारिक शिक्षा अनि–वार्यतः कराना। किशोरी बालिकाओं का अनौपचारिक में मदद लेना। बच्चों का सर्वे कराना। विद्यालय में बच्चों का नामां–कन कराने हेतु सहयोग देना आँगनबाड़ी केन्द्र से निकले बच्चों का विद्यालय में ात्–प्रतिशत नामांकन कराना। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्य–वेक्षक द्वारा RTC,NRTC केन्द्रों का अवलोकन करना और उक्त बच्चों को दाखिला में मदद करना। खानाबदोश, घूमंतु, भिक्षा–वृत्ति वाले बच्चे, पुल के नीचे रहने वाले बच्चे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, होटल एवं सार्वजनिक स्थान पर घूमने एवं काम करने वाले बच्चों को RTC एवं NRTC सेंटर में लाने में मदद करना।	ात्–प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो सकेगा। शिक्षा की मुख्य धारा से अप्रवेशी, ाला त्यागी एवं अध्ययन त्यागी बच्चों को जोड़ा जा सकेगा।	जिला कार्य–क्रम अधिकारी परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका।
	स्वास्थ्य विभाग	स्वच्छता के प्रति जागरूकता। ANM, चिकित्सक की सहायता से प्रतिरक्षक टीका लगवाना। आयरन की गोली, ORS एवं विटा–	प्रत्येक माह बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। विशे ा आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क औ ाधि वितरण कराना। प्रत्येक तीन माह में नेत्र जाँच शिविर का आयोजन	प्रत्येक बच्चे स्वस्थ होंगे एवं स्वस्थ मान–सिकता के साथ सीखेंगे। बालक स्वस्थ रहेंगे वर्कर एवं नियमित विद्यालय आएँगे।	सिविल सर्जन, BMO, चिकित्सक,नर्स मलेरिया लिंक।

		मिन की गोलियों का वितरण। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण। विकलांग शिविर का आयोजन पल्स पोलियो, रा ट्रीय अभियान का संचालन। अंशत्व निवारण कार्यक्रम। हाथ धुलाई दिवस का आयोजन।	ANM, मितानिन एवं मलेरिया लिंक वर्कर के द्वारा बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन में शिक्षक का सहयोग करना। BMO अपने क्षेत्र के चिकित्सालय में जन्म लिए बच्चों के पाँच व ा की आयु पूर्ण होने पश्चात् विद्यालय में नामांकन की जानकारी लेकर संबंधित विभाग को अवगत कराएँ। चिकित्सालय में आए छात्र से अध्ययन ाला के बारे में जानकारी लेना।	चिकित्सालय में जन्म लिए बच्चों का ात्–प्रतिशत नामांकन विद्यालय में हो सकेगा। नियमित रूप से चिकित्सीय लाभ मिलने से बच्चे कुपो ाण से बचेंगे।	
04.	पुलिस विभाग	जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र । बोर्ड परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग।	खानाबदोश, घुमंतू, भिक्षा–वृत्ति, पुल के नीचे, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले, होटलों में एवं अन्य संस्थानों में काम करने वाले बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया में पुलिस शिक्षक का सहयोग करें। शिक्षा की मुख्य धारा से छूटे हुए बच्चों को RTC, NRTC सेंटर में दाखिला कराने में पुलिस सहयोग करें। नट जाति या करतब	खानाबदोश, भिक्षावृत्ति, घूमंतू, पुल के नीचे, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, सार्वजनिक स्थान, होटल में काम करने वाले एवं अन्य स्थानों पर काम करने वाले बच्चे जिन्हें शिक्षा एवं समाजसेवी संस्थाएँ पूर्णरूप से विद्यालय लाने में विफल रही है। वे बच्चे विद्यालय में पहुँचेंगे। विद्यालय में उनका नामांकन होगा	पुलिस अधीक्षक, SDOP, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी आरक्षक, हवलदार, कोटवार

			दिखाने वाले ारणार्थी किस्म के बच्चों को RTC, NRTC सेंटर से जोड़ें। कौटवार के रिकार्ड अनुसार जन्म लिये बच्चों का पाँच व ापश्चात् विद्यालय में नामांकन कराना एवं नामांकन की जानकारी विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षाधिकारी को थाना प्रभारी द्वारा दिया जाय	तथा बाल अपराध की प्रवृत्ति समाप्त होगी। ात्–प्रतिशत बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ पायेंगे। वर्तमान में जन्म लिए बच्चों का नामांकन में अन्य संस्थाओं का ात्–प्रतिशत सहयोग होगा।	
05.	राजस्व विभाग	MDM का निरी–क्षण, स्कूल का निरीक्षण, स्कूल भवन के लिए भूमि एवं सीमांकन	पटवारी के माध्यम से अपने हल्का में मवेशी चराने वाले बच्चों, पलायन से आए हुए बच्चों का नामांकन विद्या–लय में कराना। अपने हल्का में सभी परिवार के 6–14 आयु वर्ग वाले बच्चों का ात्–प्रतिशत नामांकन कराकर तहसील कार्यालय को सूचित करना एवं प्रतिलिपि विकास खण्ड शिक्षाधिकारी को देना। ाहरी क्षेत्रों में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक भी 6–14 आयु वर्ग वाले बच्चों का ात्–प्रतिशत नामांकन कराकर प्रतिलिपि उच्च कार्यालयों को देंगे।	ग्रामीण एवं ाहरी क्षेत्रों के सभी बच्चों को ात्–प्रतिशत नामांकन कराया जा सकेगा एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा।	अनुविभागीय अधि–कारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कोटवार,
06.	वन विभाग	वन ग्रामों में स्कूल भवन के लिए भूमि	जो बच्चे जंगल में जाकर तेंदूपत्ता, साल बीज, महुआ	जो बच्चे जंगल में वनोपज संग्रह करने	DFO, रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड,

		उपलब्ध कराना। स्कूल में वृक्षारोपण हेतु पौधे उपलब्ध कराना।	एवं वनोपज संग्रह करते हैं उनको विद्यालय में ात्–प्रतिशत नामांकन कराना। जंगल में चल रही गाड़ियों में काम कर रहे बच्चों को RTC,NRTC एवं आश्रम ाला से जोड़ना। शिकारी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।	जाते हैं, वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उसे शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ पाएँगे। जो बच्चे अधूरा अध्ययन कर मजदूरी कर रहे है एवं जंगल में उपज संग्रह कर रहें हैं, उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। शिकारी बच्चों का नामांकन हो सकेगा।	वन आरक्षक,
07.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मध्यान्ह भोजन चलाना। ाला विकास समिति का संचालन रा ट्रीय पर्व एवं स्कूल के अन्य कार्यों में सहयोग।	इंदिरा आवास व अन्य आवास वितरित किए गए हितग्राहियों के बच्चों को स्कूल में अनिवार्यतः नामांकन कराना। गरीबी रेखा के हितग्राही एवं राशन कार्ड वितरण करते समय लाभान्वित परिवार के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना। उक्त जानकारियों को जनपद पंचायत के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी, विकास खण्ड शिक्षाधिकारी तक पहुँचाना। ग्राम एवं ाहर के सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के बच्चों का ात्–प्रतिशत नामांकन कराना एवं शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।	ग्राम एवं ाहर के इंदिरा आवास एवं गरीबी रेखा का लाभ ले रहे सभी हित–ग्राहियों के बच्चे जो ाला से बाहर हैं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ कर विद्यालय में नामांकन कराया जा सकेगा।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। पंचायत इंस्पेक्टर। सचिव, पंचायत कर्मी। रोजगार सहायक। जिला पंचायत सदस्य। जनपद पंचायत सदस्य। सरपंच। पंच।

कार्य योजना

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से माइक्रोप्लानिंग फाईल पढ़कर गाँव के प्रत्येक बच्चे को □ााला में लाने हेतु सभी विभागों के साथ समन्वय करने के लिये कार्ययोजना निर्मित करने को कहेंगे।

क्र	विभाग	समन्वय हेतु कार्ययोजना	फॉलोअप
1	------------------------	------------------------	------------
2	------------------------	------------------------	------------
3	------------------------	------------------------	------------
4.	------------------------	------------------------	------------
5	------------------------	------------------------	------------
6	------------------------	------------------------	------------
7	------------------------	------------------------	------------

नि□क□ा– समस्त विभागों के समन्वय से 3–6 तथा 6–14 आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को हम आँगनबाड़ी एवं विद्यालय से जोड़ पाएँगे। साथ ही शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हुए बच्चों को ााला, RTC,NRTC एवंआश्रम ााला से जोड़ पाएँगे।

पंचायत, ाला विकास एवं प्रबंधन समिति तथा कक्षा मूल्यांकन समिति की भूमिका

उद्देश्यः—

(1) पंचायत, ाला विकास एवं प्रबंधन समिति तथा कक्षा मूल्यांकन समिति को उनके दायित्वों का बोध कराना।

(2) ाला के प्रबंधन एवं विकास में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना।

(3) स्कूल के ैक्षिक गुणवत्ता के विकास हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग करना व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(4) उच्च कार्यालयों से समन्वय करके विद्यालयीन समस्याओं का निराकरण करना।

आवश्यक सामग्री—स्केच पेन, ड्राईंग ीट, पेन्सिल, स्केल, मार्कर, ॉर्प्नर, रेजर, व्हाईट बोर्ड इत्यादि।

I) **ग्राम पंचायत की भूमिकाः—**

भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करानाः—

1. बच्चों के लिए ाला भवन की व्यवस्था / निर्माण करायेंगे।
2 ाला भवन उपलब्ध न होने तक किसी ासकीय / निजी भवन में ाला संचालन कराना।
3. भवन की स्वीकृति के लिए मांग पत्र एवं प्रस्ताव ासन को भेजना।
4. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।
5. ाला परिसर को आकर्भाक बनाने में शिक्षक की मदद करना।
6. खेल का मैदान उपलब्ध कराना।
7. विद्यालय में झूला, सी—सॉ झूला, रैंडपीट एवं अहाता निर्माण कराना।
9. मूत्रालय, ौचालय व किचन ेड का निर्माण कराना।
10. विद्यालय में फर्नीचर, पंखा, विद्युत आदि की व्यवस्था कराना।
11. पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था कराना।
12. ाला परिसर में बागवानी, वृक्षारोपण कराना।
13. आवश्यकतानुसार वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था करना।

नामांकन

1. 6—14 आयु वर्ग के बच्चों का सर्वेक्षण कराकर ात्—प्रतिशत् नामांकन कराना।
2 कार्य योजना बनाकर अप्रवेशी, ाला त्यागी व अध्ययन त्यागी बच्चों को ाला में लाना। (जैसे—पशु चराने वाले, घर में छोटे बच्चों की देखभाल करने वाले, खेतों में काम करने वाले, पलायन से वापस आये बच्चे और हॉटलों में काम करने वाले बच्चों को उनके आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिलाना।)
3. ाला न जाने वाले बच्चों को आर.टी.सी. / एन.आर.टी.सी. केंद्रों के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।
4. पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति का गठन करना जिसका उपसरपंच पदेन अध्यक्ष होगा।
5. समिति की प्रत्येक माह बैठक लेकर ाला जाने वाले एवं ाला न जाने वाले बच्चों की जानकारी लेना।

6. प्रत्येक पंच अपने वार्ड का प्रभारी होगा, जो अपने–अपने वार्ड के 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की जानकारी बैठक में देंगे।
7. अपने बच्चों को शाला न भेजने वाले पालकों को पंचायत की बैठक में बुलाकर बच्चों को शाला भेजने के लिए प्रेरित करना।
8. ग्राम सभा बुलाकर पालकों को शिक्षा के क्षेत्र में शासन की योजनाओं जैसे– निःशुल्क गणवेश, पाठ्यपुस्तक, छात्र–वृत्ति, मध्यान्ह भोजन, आर.टी.सी. / एन.आर.टी.सी. नवीन शैक्षिक प्रक्रियाओं, शिक्षा का अधिकार आदि की जानकारी देकर लाभ सुनिश्चित कराना।
9. ग्राम पंचायत की बैठक में शिक्षक को आमंत्रित करके शैक्षिक गतिविधियों एवं समस्याओं की जानकारी लेकर निदान हेतु रणनीति तैयार करना।
10. बैठक में उस क्षेत्र के संकुल समन्वयक को भी आमंत्रित करें।
11. समय–समय पर बैठक में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करें।

ठहरावः–

1. शाला का अवलोकन करना कि शिक्षक द्वारा कराये जा रहे शिक्षण प्रणाली बच्चों की रूचि के अनुरूप, आनंददायी तथा गुणवत्तायुक्त है या नहीं।
2. मीनू के अनुसार गुणवत्तायुक्त मध्याहन भोजन की व्यवस्था करना।
3. शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत व्यवहार बनाना तथा भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना।
4. शाला में बच्चों को पारिवारिक वातावरण मिले इसके लिए खेल एवं मनोरंजन सामग्री जैसे– झूला, सी–सॉ, फिसल पट्टी, घास का मैदान, एरोनिक बल्ब, पुस्तकालय, फुटबॉल, रस्सी कूद, बैडमिंटन आदि की व्यवस्था करना।
5. शाला का अवलोकन करके लगातार अनुपस्थित बच्चों का चिन्हांकन करके उनके पालक से सम्पर्क कर बच्चों को शाला में लाना।
6. पालकों को बारी–बारी से आमंत्रित कर बच्चों की गतिविधियों को देखने को कहेंगे।
7. शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार शाला में विभिन्न पर्वों का आयोजन कराएँ।

गुणवत्ताः–

1. ग्राम पंचायत के सदस्य समय पर विद्यालय में जाकर बच्चों के साथ कक्षा में बैठकर चर्चा करें।
2. शिक्षक द्वारा पढ़ाये हुए विषय से संबंधित प्रश्न करके गुणवत्ता की जाँच करें।
3. कमजोर लग रहे क्षेत्र के बारे में शिक्षक से चर्चा करके कार्य योजना बनाकर गुणवत्ता स्तर में सुधार लायें।
4. शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे–बालमेला, गणित मेला, विज्ञान मेला, प्रश्नमंच, शैक्षिक भ्रमण आदि का आयोजन करें।
5. सहायक शिक्षण समाग्री निर्माण में शिक्षक की मदद करें।
6. बच्चों की गुणवत्ता स्तर का मूल्यांकन समुदाय से कराने की कार्ययोजना बनाएँ।

7. शिक्षक समय पर उपस्थित होकर अध्ययन कराते हैं या नहीं या फिर अनावश्यक चर्चा करने मे अपना समय न ट करते हैं इसकी निगरानी करें।

8. शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा मोबाइल के अत्याधिक प्रयोग पर नियंत्रण करें।

9. शिक्षक की कमी होने पर पंचायत स्वयंसेवी शिक्षक की व्यवस्था करें।

— शिक्षा का अधिकार के अनुरूप स्कूलों में पंचायत एवं समुदाय के माध्यम से ैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

— विभिन्न मद की अनुदान राशियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करावें।

— ााला की विभिन्न ैक्षिक गतिविधियों में पालकों का सहयोग लें।

— शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए ााला से सतत् सम्पर्क बनाये रखें।

— एस.डी.एम.सी. और शिक्षक के साथ मिलकर ााला विकास की योजना बनाकर क्रियान्वयन कराएँ।

— प्रत्येक माता–पिता या पालक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6–14 आयु वर्ग के बच्चे या पाल्य को निकट के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाएँ।

— समय–समय पर ााला में जाकर बच्चों का मूल्यांकन करने में मदद करें।

— ााला विकास एवं गुणवत्ता स्तर में सुधार के लिए प्रतिमाह बैठक में पंचायत के सदस्य सम्मिलित हों। ााला की समस्याओं के समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार करने में एस. डी. एम. सी. की मदद करें। वार्ड पंच को उनके वार्ड की जिम्मेदारी दी जाए।

— आवश्यकतानुसार ैक्षणिक सामग्री एवं शिक्षक की व्यवस्था करें।

II) ‘ाला विकास एवं प्रबन्धन समिति:–

ााला के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आवश्यक संसाधनों के अलावा ैक्षिक व्यवस्था के तहत् नामांकन एवं ठहराव, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, ौचालय, मूत्रालय, मध्यान्ह भोजन, बागवानी आदि सुनिश्चित करना व उनकी सतत् मॉनीटरिंग करना। इसके लिए समिति समय–समय पर यथोचित बैठक आयोजित कर क्रियान्वयन करेंगे।

— शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् विद्यालयीन प्रबंधन एवं ैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन करना तदनुसार शिक्षक की मदद करना।

III) कक्षा मूल्यांकन समिति:–

— सी.ई.सी. द्वारा पूरे व ा के पाठ्यक्रम को साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवा िक, समय के लिए विभाजन करके अध्यापन करायें। निर्धारित समय पर पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु कार्य योजना तैयार कर शिक्षक के सहयोग से कक्षा मूल्यांकन करें।

— शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करते हुए कक्षा मूल्यांकन करते समय समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से मूल्यांकन करें।

आदर्श सरपंच, ाला, शिक्षक, पालक, ग्राम एवं ाला विकास एवं प्रबंधन समिति के मानक बिन्दु

उद्देश्यः—

(1) आदर्श सरपंच, शिक्षक, पालक, एस.एम.डी.सी., ाला एवं ग्राम के मानक बिन्दु से अवगत कराना।

(2) ाला एवं शिक्षा के विकास के लिए सरपंच, शिक्षक, पालक एवं एस.डी.एम.सी. को प्रेरित करना।

(3) मानक बिन्दु को आधार मानकर ैक्षिक विकास के लिए रणनीति तैयार करना।

(4) ैक्षिक समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर कर सकना।

आवश्यक सामग्रीः— व्हाईट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, कागज आदि।

चर्चा के बिन्दुः— प्रशिक्षक प्रतिभागियों से आदर्श सरपंच / शिक्षक / पालक / एस.डी.एम.सी. / सी.ई.सी. / विद्यालय / ग्राम कैसा हो, यह पूछेंगे और उनसे प्राप्त बिन्दुओं को व्हाइट बोर्ड पर लिखते जायेंगे।

सरपंच	शिक्षक	पालक	एस.डी.एम.सी. / सी.ई.सी.	विद्यालय	ग्राम
(1) ाला निर्धारित समय पर खुलने व बंद होने की मॉनीटरिंग करते है।	समय पर विद्या—लय आते है।	समय पर बच्चों को स्कूल भेजते है।	स्कूल के निर्धारित समय पर खुलने व बंद होने की सतत् मॉनीटरिंग करता हो।	विद्यालय नियमा—नुसार निर्धारित समय पर खुलते व बंद होते हैं।	ग्रामीणों को ाला खुलने एवं बंद होने की सही समय की जानकारी हो।
(2) सभी बच्चे रोज स्कूल आ रहे है या नहीं। इसकी मॉनीटरिंग करते है	निर्धारित समय तक ाला में रहते है।	शिक्षक के समय पर आने एवं जाने की जान—कारी रखते है।	बच्चों को नियमित ाला भेजने के लिए पालकों को प्रेरित साहित करते है।	विद्यालय का वाता—वरण इतना आक—र्षक और शिक्षा इतनी आनंददायी हो कि बच्चे प्रति—दिन विद्यालय आएँ।	अपने आसपास के ऐसे बच्चों को पहचानकर सरपंच एवं एस.डी.एम.सी., सी.ई.सी. के सदस्यों को बताएँ जो स्कूल नही जाते है।
(3) स्कूल नहीं आने वाले एवं ाला त्यागी बच्चों को विद्यालय लाते हों।	पालकों से संपर्क करके 6—14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को ाला में लाना। प्रवेश उत्सव सृजन उत्सव आदि का आयोजन करें।	अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें।	प्रति माह ाला त्यागी या स्कूल नहीं आने वाले बच्चों की जानकारी विद्यालय से प्राप्त करें एवं उन्हें विद्यालय लाएं	विद्यालय का वाता—वरण आक र्क हो जिससे बच्चे सह र्ा विद्यालय आये।	अपने आस पास के ऐसे बच्चों को पहचानकर सरपंच एवं एस.डी.एम.सी. सी.ई.सी. के सदस्यों को बताएँ जो स्कूल नहीं जाते
(4) बच्चे पूरे समय विद्यालय में	ाला नहीं आने वाले एवं ाला	यदि बच्चा ाला नहीं जाना	प्रतिमाह ाला त्यागी या स्कूल न आने वाले	ाला का वातावरण आक र्क एवं इतना	अपने आसपास के ऐसे बच्चों को पहचान कर

रहेंयह सुनिश्चित करते हों।	त्यागी बच्चों के ाला न आने के कारणों का पता लगाकर पालकों से संपर्क करें एवं विद्यालय लाएँ।	चाहता तो शिक्षकों संपर्क कर कारणों का पता लगाएँ व निदान कर बच्चों को ाला भेजें।	बच्चों की जानकारी विद्यालय से प्राप्त करें एवं उन्हें विद्यालय लाएँ।	आनंददायी हो कि बच्चे प्रतिदिन ाला आएँ।	सरपंच एवं एस.एम.सी./ सी.ई.सी. के सदस्यों को बताएँ।
(5) प्रत्येक बच्चे को स्तर एवं गति के अनुसार गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करते हों।	समुदाय के साथ योजना बनाकर बच्चों की गति एवं स्तर के अनुसार अध्यापन करें।	बच्चे को प्रति–दिन पढ़ने के लिए प्रेरित करें।	बच्चे की ैक्षिक विकास की योजना बनाएँ एवं संपूर्ण ैक्षिक गतिविधि का संचालन करवाएँ।	बच्चे के रूचि, गति एवं स्तर के अनु–सार शिक्षा की व्यवस्था हो।	बच्चों के स्तर एवं गति के अनुसार शिक्षण में सहयोग करें।
(6) विद्यालय में शिक्षण को रोचक एवं आनंददायी बनाने के लिए सहायक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग कराएँ।	अध्यापन में सहायक शिक्षण सामग्री का भरपूर उपयोग करें। करके सीखने एवं खेल–खेल में सिखाने का प्रयास करें।	शिक्षण सामग्री निर्माण एवं प्रयोग में सहयोग प्रदान करें। जैसे लकड़ी, मिट्टी, बाँस आदि का सामान।	सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण व प्रयोग कराएँ। अनुदान राशि का उचित प्रयोग शिक्षक से कराएँ।	सहायक शिक्षण सामग्री की गति–विधियों में प्रयोग करने एवं रख–रखाव का पर्याप्त स्थान हो।	सहायक अधिगम सामग्री निर्माण में शिक्षकों एवं बच्चों का सहयोग करें।
(7) विभिन्न ैक्षिक गतिविधियाँ जैसे– एम.जी.एम.एल, ए.एल.एम., ई.एल.एल.सी., ई.सी.सी.ई, खेलकूद कार्य–क्रम इत्यादि का सफल संचालन कराएँ, मॉनीटरिंग एवं समीक्षा करें।	प्रत्येक गतिविधियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करें एवं इसके लिए समुदाय से सह–योग लें।	कक्षा में जाकर शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन करें व जिस वि ाय–वस्तु की जानकारी हो, उसे बच्चों को बताएँ। खेलकूद के समय जान–कार बालक खेल में सहयोग करें।	ैक्षिक गतिविधि सुचारू रूप से संचालित हो रही है या नहीं इसकी समीक्षा करें। खेल, व्यायाम एवं योग शिक्षा के समय सम्मिलित होकर संचालित कराएँ।	प्रत्येक ैक्षिक गतिविधि के लिए समय निर्धारित हो। प्रत्येक गतिविधि में समुदाय का सह–योग प्राप्त होता हो।	प्रत्यक्ष अवलोकन, सर्वे इत्यादि के समय गाँव वाले आवश्यक जानकारी बताएँ।

(8) समुदाय को ाला से जोड़ने के लिए माँ की कहा– नियाँ, पालकों द्वारा अपने व्यवसाय की जानकारी देना, विद्यालय में मनाये जाने वाले पर्व एवं मासिक बैठक में उपस्थिति तथा विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में सहभागिता करता हो।	प्रतिदिन दो माताओं को आमंत्रित करके कहानी सुनाने को कहना। विद्यालय में मनाए जाने वाले पर्वों में समुदाय को आमंत्रित करें। प्रत्येक पालक को उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय की जानकारी देने के लिए आमंत्रित करें।	पालक स्कूल की गतिविधियों में सहयोग करें। समय–समय पर ाला में उप–स्थित होकर अपने काम–धंधे एवं व्यवसाय की जानकारी दें। माताएँ कहानी, कविता सुनाने के लिए ाला में उपस्थित हों।	प्रतिमाह बैठक आयो–जित की जावें। 26 जन., 15 अगस्त, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर आदि पर्व में सभी सदस्य अवश्य उपस्थित हों। कामगारों को ाला में जानकारी देने के लिए उपस्थित कराएँ। कहानी, कविता सुनाने के लिए माताओं को बारी–बारी से बुलाएँ।	माताओं को कहानी सुनाने, पालकों को अपने व्यवसाय की जानकारी प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हों।	ग्रामीण विद्यालय में मनाएँ जाने वाले पर्वों में अवश्य उपस्थित हों। गाँव के पर्वों में शिक्षकों को भी आमंत्रित करें।
(9) ैक्षिक ्रमण एवं प्रत्यक्ष अव–लोकन में आवश्यक सहयोग प्रदान करता हो।	समय–समय पर बच्चों को ैक्षिक ्रमण के लिए ले जाना।	ैक्षिक ्रमण के लिए बच्चों को आने–जाने की सुविधा उपलब्ध कराएँ एवं पर्या–वरण शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन तथा सर्वेक्षण बच्चों से कराएँ। उन्हें नि र्त क पहुँचने में मदद करें।	ैक्षिक ्रमण के समय कुछ सदस्य स्वयं साथ में रहकर शिक्षक को सहयोग प्रदान करें। ्रमण के लिए साधन उपलब्ध कराएँगे।	शिक्षण प्रत्यक्ष अव–लोकन पर आधा–रित होता हो एवं बच्चों को ैक्षिक ्रमण पर ले जाते हों।	ग्रामीण, ैक्षिक ्रमण में शिक्षक एवं बच्चों के साथ जाएँ।
(10) शिक्षकों की समस्याएँ जिनका निदान ग्राम पंचायत स्तर पर हो सकता है का निदान करता हो।	अपनी ऐसी समस्याओं को सरपंच एवं एस.डी. एम.सी. के सदस्यों को बताना जिनका निदान स्थानीय स्तर पर हो सकता	अपनी समस्याओं के समाधान समुदाय की मदद से कर सके। ैक्षिक समस्याओं का समाधान करने	बैठक लेकर शिक्षक की समस्याओं का समाधान करेंगे।	शिक्षकों के सम–स्याओं का निरा–करण समुदाय के सहयोग से विद्या–लय में ही हो जाता हो।	शिक्षकों की समस्याओं के निदान में सहयोग प्रदान करें।

	है।	में शिक्षक की मदद करें।			
(11) शिक्षक विद्यालय में नशापान एवं मोबाइल का प्रयोग कम करें। शिक्षक पूरे समय तक अध्यापन कार्य करना सुनिश्चित करें।	शिक्षक नशापान न करें। मोबाइल का प्रयोग कम करें।	पालक स्वयं नशापान करके स्कूल में न जाएँ	नशापान उन्मूलन के लिए कार्य योजना बनाकर गाँव में लागू करायेंगे।	विद्यालयीन समय में शिक्षक केवल शिक्षण का कार्य करे एवं कभी भी विद्यालय परिसर में नशापान न करें।	गाँव में नशापान पर प्रतिबंध लगाएँ व नियम बनाएँ।
(12) बच्चों का मूल्यांकन उचित तरीके से हो इसके लिए सी.ई.सी. एवं शिक्षक के साथ मिलकर मूल्यांकन करें।	बच्चों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन करें। कमजोर बच्चों के लिए कार्य योजना तैयार करत हो।	विद्यालय में जाकर बच्चों का समग्र मूल्यांकन करें। अच्छी गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को सलाह दे।	कक्षा में जाकर बच्चों का समग्र मूल्यांकन करें। बैठक में गुणवत्ता विकास के लिए रण–नीति तैयार करते हों।	बच्चों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन सी.ई.सी. एवं समुदाय के द्वारा होता है।	ग्रामीण विद्यालयों में जाकर बच्चों का मूल्यांकन करें या मूल्यांकन में सहयोग करते हों।
(13) विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था करना। आवश्यकता पड़ने पर सामुदायिक सहभागिता से गाँव के पढ़े–लिखे युवाओं का सहयोग लेना।	शिक्षकों की कमी होने पर अध्यापन के लिए स्थानीय युवाओं को सहयोग हेतु प्रेरित करें।	शिक्षित पालक स्वयं ाला में जाकर अध्यापन करके शिक्षक की कमी को पूरा कर सकते है।	गाँव के बेरोजगार, शिक्षित युवाओं को ाला में पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। समिति के सदस्य स्वयं बारी–बारी से अध्यापन कर सकेंगे।	विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हों।	ग्रामीण विद्यालयों में समय–समय पर शिक्षण करके शिक्षक की मदद कर सकते है।
(14) विद्यालय को एस.एस.ए. से प्राप्त अनुदान राशियों का समुचित उपयोग एस.डी.एम.	ासन से प्राप्त अनुदान राशियों का उचित उपयोग करने के साथ–साथ समुदाय से	ासन से प्राप्त राशियों की	विद्यालय को प्राप्त राशियों की जानकारी	विद्यालय को प्राप्त राशियों को एस.डी.	विद्यालय की समस्याओं का समाधान ग्रामीण

सी. की माध्यम से करें।	से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त करें एवं आय–व्यय का पूरा विवरण समुदाय को दें।	जानकारी प्राप्त प्राप्त करें। राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करें। आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें।	लेकर प्रस्ताव के अनुसार ही व्यय करें।	एम.सी. के अनु– मोदन के पश्चात् ही व्यय हो रहा है। इसकी जानकारी पंचायत एवं समु– दाय को दें।	प्रत्येक परिवार से सहयोग राशि एकत्र करके करेंगे।
(15) बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान शिक्षक एवं पालकों से मिलकर करता हो।	बच्चों की शैक्षिक समस्याओं की जानकारी सरपंच एवं एस.डी.एम.सी. के सदस्यों को देना।	बच्चों को कोई शैक्षिक समस्या तो नहीं, इसका ध्यान रखें एवं शिक्षकों से संपर्क कर समस्याओं को हल कराएँ।	शैक्षिक समस्याओं को शिक्षकों से मिलकर दूर करता हो।	बच्चों की शैक्षिक समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशिक्षित शिक्षक एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध हों।	ग्राम के शिक्षित लोग शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करें।
(16) शाला भवन की स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, बागवानी, शौचालय, खेल के लिए मैदान, अहाता आदि की व्यवस्था करें।	शाला भवन, पेय– जल, बागवानी, शौचालय, खेल के मैदान आदि की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें।	शाला भवन, शौचालय, हेण्ड पम्प, बगीचा, बाउण्ड्रीवाल को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है इसका ध्यान रखें।	शाला में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बाउण्ड्रीवाल खेल का मैदान आदि की व्यवस्था करें।	शाला में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, अहाता, खेल का मैदान, बगीचा इत्यादि की व्यवस्था हो। जो कि सामुदायिक सहभागिता से बनाए गए हों।	ग्रामीण विद्यालयीन संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाते अपितु अहाता निर्माण, बागवानी, खेल के मैदान की सफाई इत्यादि कार्य में सहयोग करते हों।
(17) मीनू के अनु– सार गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन बच्चों को मिल रहा है या नहीं इसकी मॉनीटरिंग करें।	मीनू के आधार पर पौष्टिक एवं गुण– वत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करें।	समय–समय पर मध्यान्ह भोजन का अवलोकन करें एवं चखकर देखें।	मध्यान्ह भोजन मीनू के अनुसार बन रहा है या नहीं इसकी मॉनीटरिंग करें।	निर्धारित मीनू के अनुसार मध्यान्ह भोजन का संचालन होता हो, जिसकी मॉनीटरिंग शिक्षक एवं समुदाय करते हैं।	मध्यान्ह भोजन की देख– रेख करते हैं। मीनू की जानकारी रखते हैं।
(18) शाला की आवश्यकता के अनुरूप शाला	विद्यालय की आवश्यकताओं से समुदाय, एस.डी.एम.	शाला विकास की योजना निर्माण के समय उप–	शिक्षकों से प्राप्त विद्यालयीन आवश्कता के अनुरूप शाला	शाला विकास की समस्त योजनाएँ एस.डी.एम.सी. एवं	शाला विकास की योजना निर्माण एवं मासिक बैठकों में उपस्थित रहते

विकास योजना का निर्माण करें।	सी. को अवगत कराएँ एवं ाला विकास योजना सबके साथ मिलकर बनाएँ।	स्थित रहें एवं अन्य सुझाव दें।	विकास योजना का निर्माण करें।	समुदाय के सहयोग से बनते हैं।	है।
(19) विश ा आवश्– यकता वाले बच्चों को ासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ मुैया कराता हो।	विश ा आवश्यकता वाले बच्चों को ासन द्वारा प्राप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराएँ।	विश ा आवश्य– कता वाले बच्चों को ाला लाने में सहयोग करें।	विश ा आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ैम्प निर्माण, बैसाखी, ट्राई– साइकिल इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराएँ।	विश ा आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ैम्प की व्यवस्था एवं प्रशिक्षित शिक्षक हों। बच्चों को ासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा हो।	विश ा आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय आने में मदद करते हैं।
(20) विद्यालय में शिक्षा का अधिकार कानून का सफल क्रियान्वयन कराएँ।	शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन करें।	शिक्षा का अधिकार अधि– नियम की जानकारी रखें एवं इसका पालन करें।	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप 6–14 आयु वर्ग का कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर न हो, यह सुनिश्चित करें।	शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पूर्णतः पालन होता हो। ाला त्यागी, ाला अप्रवेशी बच्चों की संख्या ून्य हो।	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं।
(21) आर.टी.सी. (आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) एवं एन.आर.टी.सी. (गैर आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) के संचालन में सहयोग प्रदान करें।	आर.टी.सी. एवं एन. आर.टी.सी. केन्द्रों को आवश्यकता के अनुरूप खुलवाएँ एवं इसकी सतत् मॉनीटरिंग करते रहें।	आरटी.सी. / एन. आर.टी.सी. केन्द्रों का अवलोकन करें एवं स्वयं भी किसी वि ाय– वस्तु जानकारी यदि रखता हो तो उसे बताएँ।	आर.टी.सी. / एन.आर.टी. सी. केन्द्र लगाने के समय एवं वहाँ चल रहे गतिविधियों का अव– लोकन करें।	विद्यालय के अधीन संचालित आर.टी. सी. / एन.आर.टी.सी. का सफल संचालन एवं मॉनीटरिंग करता हो।	अपने आसपास के बच्चे आर.टी.सी. / एन. आर.टी.सी. में भर्ती करने योग्य है, उन्हें भर्ती करवाते हैं एवं केन्द्र का मॉनीटरिंग करते हैं।
(22) एडेप्ट्स के मानक बिन्दुओं के अनुरूप अपने विद्यालय के लिए	एडेप्ट्स के मानक बिन्दु के अनुरूप विद्यालय को आदर्श बनाएँ।	एडेप्ट्स के मानक बिन्दुओं की जानकारी रखें एवं उसके	एडेप्ट्स के मानक बिन्दु के अनुरूप विद्यालय को विकसित करने हेतु योजना बनाएँ।	एडेप्ट्स के मानक बिन्दुओं के अनुरूप विद्यालय संचालित हो रहा	एडेप्ट्स के मानक बिन्दुओं के अनुरूप अपने ग्राम के विद्यालय को बनाने के लिए

योजना बनाये।		अनुसार विद्यालय में कार्य हो रहे हैं या नहीं इसकी अवलो– कन करें।		हो।	शिक्षकों के साथ मिल– कर कार्य करते हो।
(23) समस्त शास– कीय योजनाओं की जानकारी रखें।	विद्यालय से संबं– धित शासकीय योजनाओं की जानकारी समुदाय को प्रदान करता हो।	समय–समय पर विद्यालय जाकर नवीन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करता हो।	विद्यालय एवं शिक्षा से जुड़ी समस्त योजनाओं की जानकारी स्वयं रखें एवं समुदाय को भी अवगत कराये।	समस्त शासकीय योजनाओं की जानकारी सामु– दायिक श्यामपट पर अंकित हो।	समस्त शासकीय योजनाओं की जानकारी समस्त ग्रामवासी को हो।

शिक्षा समिति एवं विद्यालय का वार्षिक पंचाँग (कैलेण्डर)

क्र.	माह	सम्भावित कार्य	जिम्मेदार व्यक्ति
1.	जून	कैटेलिक टीम की सहायता से प्रतिवर्ष 6–14 आयु वर्ग के बच्चों का सर्वेक्षण एवं माईक्रोप्लानिंग करना। सर्वेक्षित बच्चों का नामांकन, प्रवेशोत्सव, सृजन उत्सव, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, पात्र बच्चों को निःशुल्क गणवेश वितरण, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (एस.डी.एम.सी.) और कक्षा मूल्याँकन समिति (सी.ई.सी) का गठन, एम. जी.एम.एल. कक्षा संचालन के लिए सृजन कक्ष की सजावट, कटे–फटे कार्डों की छँटाई एवं गुमे हुए कार्डों की व्यवस्था, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति, कक्षा मूल्याँकन समिति की बैठक एवं अगले माह के लिए कार्य योजना, मध्याह्न भोजन का संचालन।	प्रधानपाठक, समी शिक्षक, एस.डी.एम.सी., सी.ई.सी. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, कैटेलिक टीम एवं पालक।
2.	जुलाई	एम.जी.एम.एल. कक्षा का संचालन, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में ए.एल.एम., ई.एल.एल.सी. का संचालन, सी.ई.सी. द्वारा मासिक मूल्यांकन, स्कूल का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, एस.डी.एम.सी. सी.ई.सी. की मासिक बैठक, गत माह के कार्यों की समीक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्ययोजना बनाना, बाल केबिनेट का गठन तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा।	प्रधानपाठक, समी शिक्षक, एस.डी.एम.सी., सी.ई.सी., सी.ए.सी, सी. आर.सी., ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, पालक एवं कैटेलिक टीम।
3.	अगस्त	स्वतंत्रता दिवस उत्सव को धूमधाम से मनाना, प्रश्नमंच, भाषण, वाद–विवाद, सामान्य ज्ञान, चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन। इस माह में जन्म लिए महापुरूषों के बारे में जानकारी देना। सी.ई.सी. के द्वारा कक्षा मूल्याँकन, एम.जी.एम. एल., ए.एल.एम., ई.एल.एल.सी. की प्रगति समीक्षा के लिए बैठक एस.डी.एम.सी. की बैठक, गत माह के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी माह के लिए कार्य योजना, मीनू के अनुसार मध्याह्न भोजन के संचालन की समीक्षा।	——„——
4.	सितम्बर	शैक्षिक रूप से पिछड़े छात्रों हेतु कार्य योजना, विद्यालय के भौतिक आवश्यकताओं की पहचान, शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का समुदाय के द्वारा आयोजन, एम.जी.एम.एल. कक्षाओं की ग्रेडिंग, शाला त्यागी, अध्ययन त्यागी बच्चों का चिह्नांकन एवं उनको पुनः शाला तक लाने के लिए कार्ययोजना, पलायन से प्रभावित बच्चों का डारमेटरी शालाओं में प्रवेश। सतत् एवं समग्र मूल्यांकन (प्रथम सेमेस्टर) का आयोजन, त्रैमासिक ग्रेडेशन।	——„——

5. अक्टूबर	बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सॉंस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, शासन द्वारा प्राप्त राशि को आवश्यकता अनुरूप खर्च करने के लिए एस.डी.एम.सी. द्वारा कार्ययोजना, एवं उसका अनुमोदन, उक्त राशि से आवश्यक सामग्री का क्रय एवं स्कूल की पोताई, सूक्ति लेखन कार्य, शाला भवन की मरम्मत, गॉंधीजी एवं ाास्त्री जी की जयंती, शाला अनुदान राशियों का समुदाय के द्वारा अंकेक्षण।	प्रधानपाठक, सभी शिक्षक,एस.डी.एम.सी. सी.ई.सी.,सी.ए.सी, सी.आर.सी.,ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं पालक।
6 नवंबर	संकुल एवं विकास खण्ड स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन,बाल दिवस, बाल मेला, मैट्रिक मेला का आयोजन,जून से अक्टूबर माह तक किये गये कार्यों की समीक्षा, इकाई मूल्यांकन।	———,———
7. दिसंबर	मूल्यांकन समिति के द्वारा बच्चों का जुलाई से नवम्बर तक पढ़े हुए वि ायों का समग्र मूल्यांकन (द्वितीय सेमेस्टर) अर्धवार्ि ाक ग्रेडेशन, लगातार अनुपस्थित एवं ाला त्यागी बच्चों के पालकों से संपर्क व पुनः विद्यालय वापसी, एस.डी.एम.सी., सी.ई.सी. की मासिक बैठक एवं आगामी माह के लिए कार्य योजना का निर्माण।	———,———
8. जनवरी	गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन, वार्ि ाक बैठक, इकाई मूल्यांकन, मध्यान्ह भोजन की समीक्षा, वार्ि ाकोत्सव, ैक्षिक भ्रमण। एस.डी.एम.सी एवं सी.ई.सी. की बैठक, समीक्षा एवं कार्ययोजना, स्वास्थ्य परीक्षण।	———,———
9. फरवरी	जुलाई से जनवरी तक के पढ़ाए गए वि ायों का पुनरावलोकन, बच्चों के लिए विशे ा प्रशिक्षण की व्यवस्था जिससे बच्चे वि ाय विशे ा में दक्षता प्राप्त कर सकें, इकाई मूल्यांकन।	———,———
10. मार्च	वार्ि ाक मूल्यांकन, (तृतीय सेमेस्टर) मासिक बैठक में एस.डी.एम.सी. और सी.ई.सी. समितियों द्वारा किए कार्यों की समीक्षा।	———,———
11. अप्रैल	मासिक बैठक, प्रगति–पत्रक का वितरण, समस्त समितियों की वार्ि ाक बैठक एवं समीक्षा, निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव, अनुदान राशि की व्यय का समिति द्वारा जानकारी लेना। ग्री मावकाश के समय विद्यालय सुरक्षा समिति एवं उद्यान सुरक्षा समिति का गठन एवं कार्य विभाजन।	———,———
12. मई	शिक्षक–प्रशिक्षण।	———,———

परिशिष्ट

शब्द विस्तार:–

शब्द	शब्द विस्तार
RTE	Right to Education
आर.टी.ई.	शिक्षा का अधिकार
SDMC	School Development & Management Committee
एस.डी.एम.सी	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति
CEC	Class Evaluation Committee
सी.ई.सी.	कक्षा मूल्यांकन समिति
RTC	Residential Training Centre
आर.टी.सी.	आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र
NRTC	Non Residential Training Centre
एन.आर.टी.सी.	गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र
MGML	Multi Grade & Multi Level
एम.जी.एम.एल.	बहु कक्षा बहु स्तरीय शिक्षण
ECCE	Early Childhood Care & Education
ई.सी.सी.ई.	शिशु शिक्षा एवं देखभाल
ALM	Active Learning Methodology
ए.एल.एम.	सक्रिय अधिगम विधि
ELLC	English Language Learning Club
ई.एल.एल.सी.	अंग्रेजी भाषा अधिगम समिति
TLM	Teaching Learning Material
टी.एल.एम.	शिक्षण अधिगम सामग्री
TLE	Teaching Learning Equipment
टी.एल.ई.	शिक्षण अधिगम उपकरण

सहभागिता गीत

सहभागिता के मूल मंत्र को, जन–जन जब अपनाता है।
धीरे–धीरे गाँव हमारा, आगे बढ़ता जाता है।।

समुदाय का हित हो, नगर ग्राम सब साथ चले।
ऊँच–नीच का भाव मिटाकर, समता से सद्भाव बढ़े।
एकता का भाव मन में, एक हमारा नाता है।।1।। धीरे–धीरे.....

ऊपर दिखते भेद भले हों, ज्यों बगिया के फूल खिले।
रंग बिरंगी, मुस्कानों की, जीवन–रस पर एक मिले।
कर्म पथ पर आज सभी को, शिक्षा तुम्हें बुलाता है।।2।। धीरे–धीरे.....

मिलजुलकर सब काम करेंगे, समुदाय की रीति यही।
बच्चा–बच्चा पढ़ लिख जाये, हो गाँव की नीति यही।
शिक्षा ही वह ज्योति पुँज है, जो उजियार दिखाता है।
शिक्षा ही वह ज्योति पुँज है, नया राह दिखाता है।।3।। धीरे–धीरे.....

हर व्यक्ति शिक्षक हो और, घर–घर शिक्षा केन्द्र बने।
लक्ष्य हमारा एक यही, ाला सामुदायिक केन्द्र बने।
लिखने नव उत्थान की गाथा, समुदाय जाग जाता है।।4।। धीरे–धीरे.....

लखेश्वर प्रसाद साहू

गीत

आ गे पंचायती राज रे संगी.....देख लो शिक्षा के अधिकार रे संगी.....
स्कूल भेज के लईका ला .....
ज्ञान के सबो दीप जलाओ गा.....

जम्मो लईका ला पढ़ाबो लिखाबो
जम्मो के हे जिम्मेदारी
गाँव मा शिक्षा के जोत जलाबो
दूर करो अँधियारी.....
जम्मो लईका के पढ़े लिखे ले हो.....

गाँव के नाम जगाबो रे संगी.....
शिक्षा के जोत जलाबो.....
आ गे.....

दाई–ददा अउ भैया भौजी
जम्मो के हे जिम्मेदारी
एक–एक लईका पढ़–लिख जाये
जम्मों के हो जिम्मेदारी
घर के जम्मों लईका ला पढ़ाके
घर के नाम जगाबो रे संगी.....
शिक्षा के जोत जलाबो.....
आ गे सुराज के दिन रे संगी.....
आ गे पंचायती राज.....
आ गे शिक्षा के अधिकार.....

बेटी हूँ मैं बेटी

बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूँगी.....
तारा बनूँगी मैं सहारा बनूँगी.....

बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूँगीं.....
गगन पे चमके चंदा, मैंधरती पे चमकूँगी.....
मैंधरती पे चमकूँगी उजियारा करूँगी.....

लिखूँगी–पढ़ूँगी मैं मेहनत भी करूँगी.....
अपने पाँव से चलकर दुनिया को देखूँगी.....

बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूँगी.....
तारा बनूँगी मैं सहारा बनूँगी.....

ले मशालें चल पड़े है

ले मशालें चल पड़े हैं, लोग मेरे गाँव के।
अब अँधेरा जीत लेंगे, लोग मेरे गाँव के।।

पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी।
कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के।।

लाल सूरज अब उगेगा, देश के हर गाँव में।
अब इकट्ठा हो चले हैं लोग मेरे गाँव के।।

चीखती है हर रूकावट, ठोकरों की मार से।
बेड़ियाँ खनका रहे हैं, लोग मेरे गाँव के।।

देखो यारों सुबह जो, लगती थी फीकी आज तक।
नया रंग उसमें भरेंगे, लोग मेरे गाँव के।।

ज्ञान का दीपक जलेगा, देश के हर गाँव में।
रोशनी फैला रहे हैं, लोग मेरे गाँव के।।

बिना पढ़े कुछ भी यहाँ, मिलता नहीं यह जानकर।
अब पढ़ाई कर रहे हैं, लोग मेरे गाँव के।।

सहभागिता गीत

सहभागिता की भावना, जन–जन में जगाना है।
ाला से मधुर रिश्ता, समुदाय का बढ़ाना है।

ये गाँव है हमारा, ाला भी है हमारी।
ैक्षिक गुणवत्ता गढ़ना, हम सबकी है जिम्मेदारी।।
जिम्मेदारी की जज्बा, हर दिल में जगाना है।
ाला से मधुर रिश्ता, समुदाय का बढ़ाना है।।

इतिहास है बताता, सफलता की ये कहानी।
सफलता मिली कि जिसने, शिक्षा की महत्ता जानी।।
शिक्षा का केन्द्र अब तो, हर घर को बनाना है।
ाला से मधुर रिश्ता, समुदाय का बढ़ाना है।।

कुण्ठा कुरीतियों की जंजीरें तोड़नी है।
जीवन विद्या के पथ पर, हर पग को मोड़नी है।।
मानव है मानव का, हमें फर्ज निभाना है।
ाला से मधुर रिश्ता, समुदाय का बढ़ाना है।।

माँ वसुंधरा से आओ, हम सब करें ये अर्चन।
जनहित में अपना जीवन, माँ कर सके समर्पण।।
इस पुण्यमयी बेला को, न हाथों से गँवाना है।
ाला से मधुर रिश्ता, समुदाय का बढ़ाना है।।

मुन्ना लाल देवदास

सृजन गीत

ज्ञान के इस पुण्य पथ पर, नव सृजन का साथ हो।
हम बढ़ें सबको बढ़ायें ऐसा दृढ़ विश्वास हो।
जन्मभूमि के लिए हम कुछ तो ऐसा कर चलें।
ारदे के कमल रज में, जी चलें या मर चलें।।
खुद बढ़ें सबको बढ़ाएँ, ऐसा साथी साथ हो।
ज्ञान के इस पुण्य पथ पर, नव सृजन का साथ हो।।
समय कैसे बीत जाये, कुछ समझ न आयेगा।।
पायेगा न कुछ ओ राही, बाद में पछतायेगा।
ज्ञान का दीप जला तू, जग में तेरा नाम हो।
ज्ञान के इस पुण्य पथ पर, नव सृजन का साथ हो।।
असमर्थ हो कोई कितना, मेरू पर चढ़ जायेगा।
सृजन कर सबको सीखा दें ज्ञान ज्योति मशाल को।।
ज्ञान के इस पुण्य पथ पर, नव सृजन का साथ हो।

एन.एस.कौशिक

हमारा विज़न

शिक्षा के महत्व को स्थापित कर, संचेतनापूर्ण
समुदाय का निर्माण करना, जो अपनी समस्याओं की पहचान व निदान के
लिए सक्षम होकर, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षक व प्रत्येक घर को शिक्षा के केन्द्र के रूप
में विकसित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वजनीकरण कर सके।